खण्ड-350, अंक-9
गुरूवार, 5 चैत्र, शक संवत् 1903
(26 मार्च, 1981 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 350 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1027–1030
प्रश्नोत्तर	..	1031–1076
इलाहाबाद कचहरी में जमीन के बन्दोबस्त में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1076–1077
बस्ती जनपद में हत्याओं और लूट की घटनाओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1077–1078
नया बाजार, लखनऊ तथा लखनऊ विश्वविद्यालय शाखा नया बाजार में 2 लाख रुपये के वस्त्र का अपहरण तथा नियंत्रित कपड़े की चोरबाजारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1078
अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खंड 44, टांडा, फैजाबाद द्वारा स्टील की खरीद में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1078–1079
बाराबंकी की स्पिनिंग मिल के मजदूरों पर गोली चलाने व लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1079–1080
उत्तर प्रदेश विनियोग (1974–75, 1975–76 और 1976–77 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1981 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	..	1080
श्री यदुनाथ द्वारा प्राप्त गुमनाम पत्र को सदन में पढ़े जाने का प्रयास	..	1080–1082
पायोनियर लिमिटेड, लखनऊ के मुख्य सह सम्पादक श्री ए0 यू0 सिद्दीकी की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	1082–1084
दिनांक 28 अगस्त, 1980 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य	..	1084–1085
हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट के चलाने हेतु शिया सदस्य के निर्वाचन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	..	1085
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	1086
1981–82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या 3––मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या 17–सचिवालय, अनुदान संख्या 18––कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 19––गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) अनुदान संख्या 20––सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 29––सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 30––नागरिक सुरक्षा, अनुदान संख्या 37––विज्ञान और प्रौद्योग विभाग तथा अनुदान संख्या 81––गृह (पुलिस विभाग)––पूंजीगत परिव्यय (जारी)	..	1086–1145

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मन्डी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	1145
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1145–1146
उत्तर प्रदेश पथ-कर विनियमन (उदग्रहण और संग्रह) नियमावली, 1980 से नियम 9 निकाले जाने का प्रस्ताव (अस्वीकृत) ..	1146–1149
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	149
मैनपुरी के थाना नगला खंगर के ग्राम उरावर में सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा एक ही परिवार के 8 व्यक्तियों की हत्या करने व आग लगाने के फलस्वरूप उसके पशुओं के जल जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	1149–1153
नत्थियां ..	1155–1158

विधान परिषद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 26 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजकर 1 मिनट पर अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 350

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजात कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवर मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कदम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्दू, श्री (लखनऊ)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह श्री, (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भन्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव, श्री (एडवोकेट) (एटा)
कैलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खदीदीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैया, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रवली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)

जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जेराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
बल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ नीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
धुप राय, श्री (देवरिया)
नरेश लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलदेव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवतीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भगीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)

मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रतो राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)

राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राज मंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)

राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायण सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भू नाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शोभनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायण तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरिवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी शंकर, श्री (हरदोई)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेम चन्द निमेष, श्री (मेरठ)

नोट--मुख्य मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा श्रम मन्त्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 26 मार्च, 1981

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम से दवाओं की खरीद

*1—श्री मोहन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने 21 जनवरी, 1981 को दिल्ली के स्माल स्केल इंडस्ट्रीज से 2,10,70,530 रुपये की दवायें खरीदने के आदेश निर्गत किये हैं ? यदि हां, तो क्या इस फैक्टरी को दवा बेचने अथवा दवा बनाने का लाइसेंस प्राप्त है ? इन दवाओं की खरीद के लिए क्या निविदाएं आमंत्रित की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जनस्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री हरि सिंह)—

दिनांक 4 फरवरी, 1981 को दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम से जन स्वास्थ्य रक्षकों के लिये रुपये 1,66,02,509.28 रु0 (एक करोड़ छाछट लाख दो हजार पांच सौ नौ रुपये अट्ठाइस पैसे) केवल की होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक औषधि पेटिकाओं के क्रय सम्बन्धी आदेश निर्गत किए गए थे ।

उक्त फर्म जन स्वास्थ्य रक्षकों के लिए होम्योपैथिक, एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक पेटिकाओं की आपूर्ति करने के लिए रजिस्टर्ड है तथा उन्हें औषधियां बेचने का भी लाइसेंस प्राप्त है । जहां तक फर्म को दवा बनाने का लाइसेंस प्राप्त करने का प्रश्न है, जन स्वास्थ्य रक्षकों को औषधि पेटिकायें पूर्ति करने वाली फर्म को स्वयं औषधि निर्माता होने का कोई प्रतिबन्ध नहीं है । श्रीमन्त दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम स्वयं औषधि निर्माता नहीं है किन्तु वे औषधि पेटिकाओं की आपूर्ति करने हेतु टेन्डर की शर्तों के अनुसार पंजीकृत है ।

जन स्वास्थ्य रक्षकों के लिए प्रश्नगत होम्योपैथिक, एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक औषधि पेटिकाओं को क्रय करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निविदायें आमंत्रित की गयी थीं ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग में हेराफेरी का यह सबसे बड़ा मामला है, या इसे घोटाला कह लीजिये । घोटाला शब्द गोयल जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि असेन्शियल कमोडीटीज ऐक्ट में इन पर मुकदमा चल चुका है, इसलिये मैं हेराफेरी कह रहा हूं । यह अधिकारियों तक ही सीमित है । उस दिन मैंने यह पूछा था कि इनके पास मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस है या नहीं । माननीय मन्त्री जी ने यह बात तो स्वीकार कर ली कि इनके पास उत्पादन करने का लाइसेन्स नहीं है । लेकिन उन्होंने दूसरी बात को उलट कर रख दिया कि निविदा की शर्तों में यह लाइसेन्स प्राप्त करना जरूरी नहीं है । मैं आपकी आज्ञा से निविदा की शर्त नं0 8 पढ़ रहा हूं—इसमें लिखा है "टेन्डर्स आफ डीलर्स । स्टाकिस्ट्स बिल नाट बि कन्सीडर्ड" यानी स्टाकिस्ट और डीलरों की ओर से निविदायें स्वीकृत नहीं होगी । मान्यवर, इसकी शर्त नं0 27 (डी) भी मैं पढ़ रहा हूं उसे भी आप कृपया देख लें, उसमें लिखा है—

श्री मोहन सिंह--

(एन एफेडेविट ड्यू ो वेरीफाइड बाई नोटरी दैट दि मेडिसिन्स आफर्ड इन दि किट आर मैनूफैक्चर्ड वाई दि फर्म्स हू होल्ड वैलिड ड्रग लाइसेन्स आर रजिस्टर्ड दि डायरेक्टर जनरल आफ सप्लाईज एण्ड डिस्पोजल्स....)

यह लिखा है कि एक हलफनामा (अफेडेविट) नोटरी द्वारा किया हुआ हमारे पास आना चाहिए कि यह फर्म उत्पादन करने का लाइसेंस प्राप्त की हुई है। निविदा की इन दो शर्तों को आदरणीय सदन के सामने रखते हुए माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब यह शर्तें स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं, तो किस आधार पर आप यह कह रहे हैं कि इन दवाओं के लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आवश्यक नहीं है।

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)--

श्रीमन्, यह दवा की खरीद कम्पोजिट ड्रा फिट की है। हमने इसी सदन में कहा था कि हम पब्लिक अंडर टेकिंग के माध्यम से अधिक दवाओं की खरीद करेंगे। दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम एक पब्लिक अन्डरटेकिंग है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न दवा बनने के कारखाने हैं, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है। दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम इन कैपोजिट ड्रा फिट, भारत सरकार द्वारा प्रदेश राज्य को वितरित करती है। चूंकि यह सार्वजनिक उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है और राज्य संस्था है, अतएव उसको यह आदेश दिये गये हैं। जो हमारी निविदा मांगी गयी थी, उसके अन्तर्गत इसमें कोई घोटाला या गोलमाल नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, अभी माननीय मोहन सिंह जी ने निविदा की शर्तों के जिन-जिन प्वाइन्ट्स का हवाला दिया, उनकी पूर्ति के सम्बन्ध में इंस्पैक्टिंग एथारिटी की क्या रिपोर्ट है, क्या माननीय मन्त्री जी उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, सदन के पटल पर रख दूंगा।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, जिस फर्म को वह दिया गया ह, दवायें खरीदने का आर्डर, मैं जानना चाहूंगा माननीय मन्त्री जी से कि उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा क्या उनकी दवाओं के सैंपुल्स लिये गये थे और मेरी जानकारी में 12 सैम्पुल में से 8 सैम्पुल सब-स्टैन्डर्ड और मापदन्ड के मुताबिक नहीं लिये गये थे। (2) क्या इस फर्म के खिलाफ विजीलैंस इन्क्वायरी चल रही है, यह भी माननीय मन्त्री जी बतने का कष्ट करें ?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, 8 नहीं, 5 सैम्पुल के बारे में यह हुआ कि यह सब-स्टैंडर्ड हैं। दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने एक गारंटी दिया है उत्तर प्रदेश शासन को कि यह सब-स्टैंडर्ड नहीं हैं और इसके ऊपर आप जांच करा लें, जब तक आपका सैटिस्फैक्शन नहीं होगा, यह उन कि[illegible] का भुगतान नहीं लेंगे और यह

गारंटी ले रखी है कि अगर कोई भी किट की कोई भी दवा अनोपयोगी नहीं मानी जायेगी, तो उसको, दवा अपने खर्चे पर बदल लेंगे । वैसे इनकी जितनी यूनिट हैं, वह सब भारत सरकार के जो ड्रग विभाग द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, उससे इनकी हर यूनिट जो दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम के अन्तर्गत कार्य करती हैं, वह उससे संलग्न हैं, वह उनकी हर दवाओं की जांच भारत सरकार करती रहती है ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

क्या इस फर्म के खिलाफ विजीलेंस इन्क्वायरी चल रही है घोटाले के सम्बन्ध में, क्या यह माननीय मन्त्री जी की जानकारी में है ?

श्री लोकपति—

श्रीमन्, हमारी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो निविदायें आपने आमंत्रित की थीं, तो कुल कितनी निविदायें प्राप्त हुईं क्या कुछ ऐसी भी थीं, जो उत्पादक फर्मों द्वारा दी गयीं ? और नम्बर दो, जो माननीय मोहन सिंह जी ने प्रश्न किया था इस बारे में दो शपथ-पत्र दाखिल होने चाहियें, तो क्या शपथ-पत्र देते हुए उसने यह कहा था कि हम खुद दवाओं की सप्लाई करेंगे ?

श्री लोकपति—

यह उन्होंने नहीं दिया था । उन्होंने दिया था कि रिप्रेजेन्टेटिव हैं, औषधि निर्माता पंजीकृत हैं और स्टेन्डर्ड फैक्ट्री है ।

श्री हुकम सिंह—

क्या अन्य उत्पादक फर्मों ने भी निविदायें दी थीं ?

श्री लोकपति—

उन्होंने भी दिया था । भारत सरकार की जो संस्तुति आती थी, उसके आधार पर हमने उनको उपयुक्त पाया, दे दिया ।

श्री सूबेदार सिंह—

जिस फर्म को आदेश दिये गये थे, दवा सप्लाई के, उसके मालिकान कौन हैं और दूसरी चीज, क्या किन्हीं विधायकों ने इस प्रकार का कोई ज्ञापन, कि इस फर्म को गलत आदेश दिया गया है, वह भी कांग्रेस (आई) के विधायकों ने दिया था, कि इनको रोक दिया जाय और इनको दवा सप्लाई न करने दिया जाय ?

श्री लोकपति—

जहां तक पहला प्रश्न है, वह फर्म रजिस्टर्ड है—दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ।

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि उसके मालिकान कौन हैं ?

श्री लोकपति—

दिल्ली राज्य सरकार उसके मालिकान हैं। दूसरे प्रश्न के विषय में कोई जानकारी नहीं है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने मूल प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि जीवन रक्षक दवाओं के लिये इस निविदा में मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेन्स पाने की कोई शर्त नहीं है। इसके बाद जब मैंने निविदा की शर्तों को पढ़कर सुनाया, तो उसके जवाब में उन्होंने बड़ी होशियारी से यह कहा कि इस फर्म को तो नहीं, लेकिन इसकी यूनिट्स को मैन्युफैक्चरिंग लाइसेन्स मिला हुआ है, तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि निविदा की शर्त है कि नोटरी द्वारा प्रमाणित हलफनामा होना चाहिये, तो क्या ऐसा कोई हलफनामा आपके पास दाखिल किया गया, डिफरेंन्ट यूनिट्स द्वारा ?

श्री लोकपति—

इनका हलफनामा दाखिल है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार को कहा गया है कि उसी फर्म से दवा खरीदें।

श्री लोकपति—

जी नहीं।

[दिनांक 26 मार्च, 1981 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता दिये जाने की मांग

*1—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता देने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो यह कब से लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरि सिंह—

जी नहीं। राज्य कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, उनके उत्तर के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि राज्य कर्मचारियों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा है, यह सभी मानते हैं लेकिन आपके वे राज्य कर्मचारी जो अपने ड्यूटी काल में दवा के बहाने अस्पतालों में समय लगाते हैं और जब जाइए सीटों पर तो मालूम होगा कि दवा लेने गये हैं। वैसे भी दवा खरीदने में आपका पैसा लगता है, अगर वेतन के साथ लगा दें तो सरकारी काम का हर्ज भी नहीं होगा और आपको कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं पड़ेगा, तो क्या माननीय मन्त्री जी, इस

चिकित्सा भत्ते को कर्मचारियों के वेतन के साथ लगाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ?

श्री लोकपति--

जी नहीं, लेकिन वेतन आयोग न संस्तुत किया है कि राज्य कर्मचारियों के लिये अलग चिकित्सालय की व्यवस्था करा दी जाय, जो शासन के विचाराधीन है ।

*2--श्री राम आसरे वर्मा--

[10वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत स्थानान्तरित ।]

सीतापुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में दीवाली के अवसर पर चीनी का आवंटन

*3--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में दीपावली के अवसर पर ग्रामीण अंचल के कोटेदारों को नवम्बर, 1980 के प्रथम पखवारे की चीनी जो सस्ते गल्ले की दूकानों के माध्यम से वितरित की जाती है बिल्कुल नहीं बांटी जा सकी ? यदि हां, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

नवम्बर 1980 के प्रथम पखवारे में भारतीय खाद्य निगम के पास चीनी उपलब्ध न होने के कारण दीपावली के अवसर पर सीतापुर जिले के ग्रामीण अंचलों के कोटेदारो को चीनी नहीं दी जा सकी । चीनी का वितरण पाक्षिक आधार पर न होकर मासिक आधार पर होता है । माह के प्रथम पक्ष के समाप्त होने पर भी कार्ड धारकों का राशन समाप्त नहीं होता है । अतः माह नवम्बर, 1980 की पूरी चीनी ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करा दी गई ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, उत्तर से सम्बन्धित कि नवम्बर के प्रथम पखवारे में चीनी वास्तव में ग्रामीण अंचल में नहीं बांटी जा सकी और 7 नवम्बर को दीपाली थी, उसका कारण बताया कि खाद्य निगम के पास चीनी नहीं थी । मैं जानना चाहता हूं कि उन तिथियों में अर्थात् नवम्बर के प्रथम पखवारे में चीनी मिल जाती इसके लिए खाद्य निगम के पास चीनी न होने का क्या कारण है ?

श्री वासुदेव सिंह--

चीनी खाद्य निगम उपलब्ध नही करा सका, इसलिए नहीं बांटी जा सकी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या यह सही है कि खाद्य निगम के पास चीनी इसलिए नहीं थी कि केन्द्रीय सरकार से जो चीनी का आवंटन आपको होता है, उसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा मिलों को यह लिखा जाता है कि लेवी की चीनी आप उनको उठा दें । लेकिन क्योंकि उस समय आपने व्यापार चीनी का अपने हाथ में ले लिया था और केन्द्रीय सरकार को सूचित नहीं किया था कि चीनी किसको उठाई जाय क्योंकि आपका आदेश था कि चीनी राज्य सरकार के नामिनी को उठा दी जाय और नामिनी आप तय नही कर पाये थे । क्या यह बात सही है ?

श्री वासुदेव सिंह--

यह अलग प्रश्न है और इसके लिए सूचना चाहिए । माननीय सदस्य ने पूछा है कि दीवाली के अवसर पर चीनी नहीं बांटी जा सकी, यह आपका मूल प्रश्न है । इसका साफ उत्तर है कि जी नहीं, दे सके और उसका कारण बताया कि भारतीय खाद्य निगम से चीनी उपलब्ध नहीं हुई थी । चीनी दीवाली के बाद मिली है, उसके पहले नहीं । इसलिए सम्पूर्ण प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया है ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, दीवाली के त्योहार को देखते हुए क्योंकि उस समय चीनी की ज्यादा जरूरत होती है । दीवाली पहले हफ्ते में नवम्बर को पड़ रही थी । साधारणतौर पर 15 तारीख के बाद ही चीनी बांटते हैं । इसलिए इस त्योहार को देखते हुए क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस बात का कोई पत्र-व्यवहार किया कि चूंकि दीवाली का त्योहार 7 नवम्बर को पड़ रहा है, इसलिए चीनी नवम्बर के पहले हफ्ते में दे दी जाय ।

श्री वासुदेव सिंह--

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि चीनी का कमी है और उस कमी को सदन में बताया है । इस कमी के लिए हम खाद्य निगम से परामर्श करते रहे लेकिन वह उपलब्ध नहीं हुई । भारतीय खाद्य निगम के डिपो में चीनी की कमी थी और 1-11-80 को उनके पास 79 टन चीनी थी इसलिए 25 टन चीनी को गोला मिल से उठाने के लिए बाद में उन्होंने कहा और तब वह वितरित की जा सकी । इसलिए जो मिली वह दीवाली के बाद मिली है । हम यह स्वीकार करते हैं कि दीवाली के अवसर पर चीनी हम नहीं दे सके । इस कठिनाई को देखते हुए अब हम 1 अप्रैल से चीनी का काम पी० सी० एफ० के माध्यम से कराना चाहते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने एक सवाल पूछा था और अपने एलाऊ कर दिया था, तो उसका तात्पर्य था कि मंत्री जी को उत्तर देना चाहिए था । मैंने साफ सवाल यह पूछा था कि मेरे इस सवाल से पूरक बन जाता है । माननीय मंत्री जी ने कहा खाद्य निगम के पास चीनी नहीं थी खाद्य निगम केन्द्रीय सरकार का होने के साथ-साथ राज्य सरकार एजेन्ट है और उसी हैसियत से राज्य सरकार को चीनी देता है । मैंने साफ जानना चाहा है कि राज्य सरकार की अपनी कमी की वजह से राज्य सरकार नामनी एप्वाइन्ट नहीं कर पायी इसलिए चीनी नहीं मिली ।

श्री वासुदेव सिंह--

जी नहीं । मैंने माननीय सदस्य को बता दिया कि यही सब कारणों से अव्यवस्था को देखते हुए हम चीनी का वितरण पहली अप्रैल से पी० सी० एफ० द्वारा करने जा रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह भविष्य के बारे में बता रहे ह, उस समय असफल रहे ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा तो थी नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

ऐसा नहीं कहा । यह खाद्य निगम से चीनी का व्यापार छीनकर अपने आप करने जा रहे हैं यह फैसला इन्होंने नवम्बर में कर लिया था । सरकार की अदूरदर्शिता के कारण दीपावली के समय हमारे जिले में ग्रामीण जनता को चीनी नहीं मिल सकी । क्योंकि सरकार अपना नामनी नहीं एप्वाइन्ट कर सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह उत्तर दिया है कि इन्हीं सब कारणों से पहली अप्रैल से वह दूसरी व्यवस्था इसकी करने जा रहे हैं ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ--

मान्यवर, दूसरी अप्रैल कर दें ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मंत्री जी चीनी नही दे पाए इसलिए इस्तीफा देंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

जौनपुर नगरपालिका के मोहल्ला वाजिदपुर एवं कन्हईपुर की नागरिक सुविधायें

*4--श्री प्रभू नारायण सिंह (अनुपस्थित)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जौनपुर नगरपालिका द्वारा वाजिदपुर एवं कन्हईपुर मुहल्लों को कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्ध हैं ? क्या यह सत्य है कि जौनपुर नगरपालिका द्वारा इन मोहल्लों की सफाई, रोशनी, पानी आदि की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है ? क्या सरकार इन मुहल्लों के निवासियों को भी नगरपालिका की सुविधायें उपलब्ध करायेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)--

नगरपालिका जौनपुर के वाजिदपुर एवं कन्हईपुर मोहल्लों में उपलब्ध नागरिक सुविधाओं का विवरण संलग्न है ।

यह कहना सही नहीं है कि वाजिदपुर एवं कन्हईपुर में कोई भी नागरिक सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

नगरपालिका जौनपुर इन मुहल्लों में अपने सीमित आर्थिक संसाधनों के अन्तर्गत यथासम्भव समुचित नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति सचेष्ट है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1155 पर) ।

लखनऊ नगर के गोमती पार क्षेत्र की स्ट्रीट लाइट के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

*5--श्री सन्त बक्स रावत--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका विधुत् खंड, लखनऊ के गोमती पार क्षेत्र से सम्बन्धित स्ट्रीट लाइट की कितनी शिकायतें (कम्पलेन्ट) अगस्त, 1980 में दर्ज करायी गयीं ? क्या यह सही है कि अधिकांश शिकायतों का अभी तक दूर नहीं किया गया है ? यदि हां, तो लम्बित शिकायतों को दूर न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

लखनऊ के गोमती पार क्षेत्र से सम्बन्धित स्ट्रीट लाइट की 65 शिकायतें अगस्त, 1980 में दर्ज करायी गयी जिनमें से केवल तीन शिकायतों को छोड़ कर सभी शिकायतें दूर कर दी गयी हैं । यह तीन शिकायतें स्थान पर स्ट्रीट लाइट के तार न खिचे होने के कारण दूर नहीं की जा सकी हैं ।

श्री सन्त बक्स रावत--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी से मैं जानना चाहता हूं उन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि 3 शिकायतें थी स्ट्रीट लाइट की जो तार न खिचने के कारण नहीं लगी । शिकायतों को किये 8 महीने हो गये और मुझे प्रश्न किये गये 3 महीने हो गये । मैं जानना चाहता हूं कि तार न खींचने के क्या कारण हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

प्रश्न फिर से दुहरा दें ।

श्री सन्त बक्स रावत--

मैंने पूछा है शिकायत किये 8 महीने हो गये । 3 महीने प्रश्न किये हुये हो गये । आपने बताया तार न खिचने के कारण स्ट्रीट लाइट नहीं लगी और शिकायत नहीं दूर की जा सकी । मैं जानना चाहता हूं कि तार न खिचने के क्या कारण हैं ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, वहां पर लाइन नहीं है बिजली कारपोरेशन लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डर टेकिंग से कोशिश की जा रही है कि वह लाइन जल्दी खींच दें ताकि स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड की जा सके ।

श्री सन्त बक्स रावत--

मैं यह जानना चाहता हूं कि निश्चित अवधि बता दें कि कितने समय में लाइन खिच जायेगी और उनकी शिकायत दूर हो जायेगी ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

निश्चित तिथि तो नहीं बता सकते । कारपोरेशन को सरकार की ओर से निर्देश दिये जा रहे हैं कि शीघ्र लाइन खिचवा दें ।

विकास क्षेत्र, खुटहन, जिला जौनपुर के जन स्वास्थ्य रक्षकों का भत्ता एवं दवायें

*6--श्री जंग बहादुर--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र खुटहन के 25 जन स्वास्थ्य रक्षकों को जनवरी, 1980 से भत्ता एवं दवायें वितरण हेतु नहीं दी जा रही हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार उनके भत्ते के भुगतान की शीघ्र व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरि सिंह--

जी हां ।

प्रश्नगत 25 जन स्वास्थ्य रक्षकों को जनवरी, 1980 से भत्ता एवं दवायें वितरण हेतु न दिये जाने के निम्न कारण हैं--

(1) दो जन स्वास्थ्य रक्षकों द्वारा स्वेच्छा से त्याग-पत्र दिया जाना ।
(2) सत्रह जन स्वास्थ्य रक्षकों का कार्य सन्तोषजनक न होने के कारण गांव सभा द्वारा विधिवत पारित प्रस्ताव पर हटाया जाना ।
(3) छः जन स्वास्थ्य रक्षकों के चयन व कार्यकलापों के विषय में प्राप्त शिकायतों के आधार पर ।

श्री जंग बहादुर--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो 25 जन-स्वास्थ्य रक्षक हटाये गये हैं क्या उनको पहले कोई नोटिस दी गयी थी । दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो 6 लोगों को हटाया गया है, शिकायतों के आधार पर तो क्या आप बतायेंगे कि उनके खिलाफ क्या शिकायतें थीं ?

श्री हरि सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, बाकायदा उनको नोटिस दी गयी और उनको काफी अवसर इस बात के लिये दिया गया कि वह अपने हटाये जाने के सम्बन्ध में अपना कोई प्रत्यावेदन आदि दे सके । लेकिन उन्होंने नोटिस के बावजूद भी कोई ऐसी जानकारी शासन को नहीं दी कि उनको हटाया जा रहा है । दूसरे जो 6 व्यक्ति थे, जिनको शिकायतों के सिलसिले में हटाया गया उनके खिलाफ मुख्य शिकायतें यह थीं । एक के खिलाफ शिकायत थी कि प्रधान के लड़के होने के कारण प्रधान ने अनिच्छा दिखाई और गांव सभा के अन्य सदस्यों की संस्तुति पर हटाया गया । दूसरे जो जन स्वास्थ्य रक्षक थे उनके खिलाफ शिकायत थी कि स्वयं प्रधान पत्रों को न लेना, अशिष्ट बातें कहना तथा गांव में डिस्ट्रिक्ट पार्टी बन्दी में लिप्त रहना ऐसी परिस्थितियों में उक्त प्रधान के द्वारा पारित संस्तुति पर मानदेय रोका गया और इनको हटाया गया ।

श्री जंग बहादुर--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जन स्वास्थ्य रक्षक रखने के लिए जहां एक हजार की आबादी होती है वह रखे जाते हैं, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि गोसाईं पुर, मड़वा, खालसा पट्टी, गरोथन, इनकी आबादी एक हजार से अधिक है, तो यहां पर जन स्वास्थ्य रक्षक क्यों नहीं रख गये हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह अलग से प्रश्न है ।

श्री जंग बहादुर--

मान्यवर, यहां पर जन-स्वास्थ्य रक्षक न रखे जाने का क्या कारण है ।

श्री हरि सिंह--

जो प्रश्न विधायक जी ने किया है यह शासन के विचाराधीन है ?

श्री बंश बहादुर—

माननीय, मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर बताना चाहता हूं कि 125 जन स्वास्थ्य रक्षक खुटहन ब्लाक के अन्तर्गत रखे जाने वाले थे, लेकिन 167 नियुक्तियां की गयीं और प्रत्येक से 600 रुपया लिया गया। जिन लोगों ने 600 रुपया नहीं दिया उनमें से 25 लोगों को निकाल दिया, तो क्या मेरी सूचना को सही मान कर इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री हरि सिंह—

माननीय, शासन को इसकी जानकारी नहीं है, यदि माननीय सदस्य लिखित में कोई शिकायत देंगे, तो हम उसकी बाकायदा जांच करा लेंगे।

प्रदेश में विवाह एवं धार्मिक कार्यों के लिये चीनी के परमिट की मांग

*7—श्री मोहन सिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 16 दिसम्बर, 1980 को प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों एवं अधीनस्थ अधिकारियों को इस बात के निर्देश भेजे गये हैं कि धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए कंट्रोल रेट की चीनी का अतिरिक्त परमिट किसी भी व्यक्ति को न दिया जाय ? यदि हां, तो यह शासनादेश किन परिस्थितियों में क्यों जारी किया गया है ?

श्री वासुदेव सिंह—

प्रदेश में लेवी चीनी की कमी को देखते हुए शासन द्वारा 17 दिसम्बर, 1980 को यह निर्देश भेजे गये थे कि विवाह तथा धार्मिक कार्यों के लिये लेवी चीनी के परमिट जारी न किये जायं।

श्री मो ह सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस आदरणीय सदन में मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि अब लेवी की चीनी का कोटा बढ़ा दिया गया है, इस समय प्रदेश में कमी नहीं है। वैवाहिक कार्यों के लिये अतिरिक्त चीनी की घोषणा भी कर दी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों के लिये भी जो प्रतिबन्ध है, उसको खत्म करने पर विचार करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

माननीय, माननीय सदस्य ने बड़ी नम्रता से विचार करने की बात कही, मैं विचार ही नहीं करूंगा, निर्णय भी कर दूंगा।

*8—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

राजकीय चिकित्सालय, चरखारी, जिला हमीरपुर के सम्बन्ध में जांच

*9—श्री सुजान सिंह बुन्देला (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय अपग्रेडिट चिकित्सालय चरखारी, जनपद हमीरपुर में व्याप्त अनियमितताओं की जांच गत 3 अक्तूबर, 1980 को उप मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रथम), हमीरपुर द्वारा जिलाधिकारी, हमीरपुर के निदेश पर करायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच के आधार पर अब क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरि सिंह—

जी हां । राजकीय चिकित्सालय, चरखारी के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जांच उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रथम), हमीरपुर द्वारा दिनांक 3 अक्तूबर, 1980 को कराई गयी थी । उक्त जांच के आधार पर उक्त चिकित्सालय के अधीक्षक का स्पष्टीकरण मांगा गया था जो पूर्णरूप से संतोषजनक नहीं पाया गया। अतः उन्हें लिखित रूप से चेतावनी देते हुये उनसे उनके स्पष्टीकरण में असंगतियों के सम्बन्ध में अग्रेतर स्पष्टीकरण मांगा गया है । जांच में अस्पताल के फर्मेासिस्ट द्वारा की गयी दवाओं के रख रखाव तथा वितरण के सम्बन्ध म भी अनियमितताय प्रकाश में आयीं । सम्बन्धित फार्मेसिस्ट पर लिखित आरोप पत्र तामील कर दिया गया है ।

श्री राम गोपाल मिश्रा, कार्यालय अधीक्षक, कलेक्ट्रेट, बदायूं की अस्पताल में मृत्यु से सम्बन्धित लिखायी गयी एफ0 आई0 आर0

*104—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतने की कृपा करेंगे कि श्री राम गोपाल मिश्रा, कार्यालय अधीक्षक, कलेक्ट्रेट, बदायूं की मृत्यु डा0 वी0 के0 चोपड़ा, फिजीशियन, जिला अस्पताल, बदायूं के एक्सपायरी तारीख की सुई लगा देने से हो गयी थी जिसकी एफ0 आई0 आर0 दिनांक 15-3-76 को कोतवाली, बदायूं में की गयी थी ? यदि हां, तो शासन ने उक्त चिकित्सक के विरुद्ध क्या विभागीय कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरि सिंह—

जी हां । श्री मिश्रा की मृत्यु के सम्बन्ध में एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गई थी। विभागीय जांच के फलस्वरूप सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस मामले की किस तारीख से जांच शुरू हुयी और किस तारीख को खत्म हुयी और उसमें क्या रिपोर्ट दाखिल की गयी और डाक्टर के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई? और दूसरा सवाल मान्यवर, यह है कि एफ0 आई0 आर0 किस दफा तारीख में दर्ज की गई और उस एफ0 आई0 आर0 पर क्या कर्यवाही की गयी ?

श्री हरि सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी गयी, इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से शासन को नहीं मिल पायी है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी गयी थी और अब कह रहे हैं कि एफ0 आई0 आर0 शासन को स्पष्ट रूप से मिल नहीं पायी । इसको जानबूझ कर दबाया जा रहा है और दूसरे मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि विभागीय जांच कब शुरू की गयी, कब खत्म हुयी, उसमें क्या पाया गया तथा उस डाक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही अब तक की गयी ?

श्री अध्यक्ष--

यह बता दीजिये माननीय मन्त्री जी कि एफ0 आई0 आर0 कब दर्ज करायी गयी ? यह तो आपके उत्तर में स्वीकार किया गया है ।

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी गयी है, लेकिन मान्यवर, उसके कन्टेन्स शासन को प्राप्त नहीं हो पाये हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

माननीय मन्त्री जी सभी तथ्यों को छुपा रहे हैं, इसलिये मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित करा दें, ताकि माननीय मन्त्री जी पूरी जांच कराने के उपरान्त पूरे तथ्य सदन के सामने रख सकें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी विभागीय जांच कब शुरू हुयी और कब समाप्त हो गयी और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी, इसको तो बता ही दें ?

श्री लोक पति--

मान्यवर, विभागीय जांच 1978-79 में शुरू हुयी और 14 अक्तूबर, 1980 को जांच रिपोर्ट आयी, उसका अनुमोदन कर दिया गया है और प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, जांच रिपोर्ट में क्या-क्या दोष पाये गये और उसके अनुसार अब तक उस डाक्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी और दूसरे एफ0 आई0 आर0 किस दफा में दर्ज की गयी ?

श्री अध्यक्ष--

एफ0 आई0 आर0 के बारे में तो उत्तर दे दिया गया । माननीय मन्त्री जी उस डाक्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति--

श्री मिश्रा की मृत्यु के सम्बन्ध में विभागीय जांच के फलस्वरूप सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिकी कार्यवाही की जा रही है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

कार्यवाही उस डाक्टर के विरुद्ध की जा रही है, यह नहीं, अब तक उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? और वह डाक्टर कहां पोस्टेड है । मान्यवर, वह डाक्टर इस समय कहीं पर पोस्टेड है । अगर वह कहीं पोस्टेड है, तो इसके मायने यह हुए कि उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

श्री लोकपति--

मान्यवर, प्रशासनिक कार्यवाही के आदेश दे दिये गये हैं रिपोर्ट के आधार पर नियमों के तहत जो भी कार्यवाही होगी, वह शीघ्र ही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष--

यह जानना चाहते हैं कि अब तक क्या कार्यवाही हो गयी ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, जांच रिपोर्ट 14 अक्तूबर, 1980 को शासन ने अनुमोदन कर दिया है और कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, यह देखते हुये बड़ा आश्चर्य लगा कि इस सीरियस मामले की जांच रिपोर्ट तो केवल 3 साल में आयी है और जिस जांच अधिकारी ने जांच की है, जबकि उत्तर में साफ है कि एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुयी है, लेकिन जांच अधिकारी ने जांच के सम्बन्ध में जानबूझ कर एफ0 आई0 आर0 वाले मामले को छुपाने का प्रयत्न किया है इस चीज को ध्यान में रखते हुये क्या दोबारा किसी अधिकारी से जांच कराने की कृपा करेंगे जिससे कि 15 दिन के अन्दर-अन्दर उसकी रिपोर्ट आ जाय और सारे तथ्य सामने आ जायं ?

श्री लोकपति--

30 अप्रैल तक इस पर कार्यवाही कर देंगे, श्रीमन् ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जब इसकी जांच शुरू हुयी और जांच रिपोर्ट सामने आ गयी, तो उस जांच रिपोर्ट में क्या लिखा है गलत काम करने वाले के विरुद्ध, क्या दोष पाया गया ? अक्तूबर में आपने प्रशासकीय कार्यवाही करने के आदेश भेजे, इस बात के पांच महीने हो गये तो इन पांच महीनों के अन्दर प्रशासकीय कार्यवाही जो की गयी, वह क्या हुयी इसको स्पष्ट रूप से मन्त्री जी बताने का कष्ट करें कि उसका निलम्बन हुआ कि नहीं हुआ, चार्जशीट दी गयी या नहीं दी गयी, इन सब बातों का स्पष्ट उत्तर माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, गलत सुई लगी, कैपसूल की तारीख एक्सपायर हो चुकी थी, यह बात जांच की रिपोर्ट से सत्य प्रमाणित हुई है, तो इसके आधार पर उसे शो काज नोटिस दिया गया है, उत्तर की अपेक्षा है, इसके लिये दोबारा रिमाइन्डर भी भेजा गया है । उनका उत्तर आने के बाद आगे की कार्यवाही हो जायेगी । मैंने रियासत साहब के उत्तर में कह दिया है कि 30 अप्रैल तक इसकी कार्यवाही पूर्ण कर देंगे ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह इतना गम्भीर मामला है कि 15 मार्च, 1976 को एक घटना घटी । एक जघन्य अपराध डाक्टर की लापरवाही के कारण हुआ, जांच रिपोर्ट में वे दोषी पाये गये, तो अभी तक उनको निलम्बित न करने का क्या कारण ? ?

श्री अध्यक्ष--

कह तो दिया कि उन्हें कारण बताओ नोटिस दी गयी है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

जो शो काज नोटिस दिया गया है तो क्या उसके लिये कोई अधिकारी उनका जबाब प्राप्त करने का प्रय स कर रहे हैं ?

श्री मोहन सिंह--

क्या प्राग्दर्शन में यह मामला उनके सस्पेन्ड करने का नहीं बनता है ?

श्री राज कुमार राय--

एक रिपोर्ट दर्ज हुई तो यह ताजेरातेहिन्द का मामला बना या नहीं ?

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, देखिये माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी उपाध्याय जी को डांट रहे हैं कि क्यों तुमने ऐसा प्रश्न पूछा। यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है।

श्री अध्यक्ष--

यह उनका आपसी मामला है।

(हंसी)

श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है, इसमें हस्तक्षेप होना चाहिये, इसे स्थगित करा दीजिये आगे उत्तर देने के लिये।

श्री लोकपति--

स्थगित होने की आवश्यकता नहीं है, सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, 1976 में यह घटना हुई, तीन साल में उसकी जांच रिपोर्ट आयी। तीन साल में जाकर एडमिट किया। मेरी जहां तक जानकारी है कि इस केस को दफा 304 की रिपोर्ट में कनवर्ट कर दिया और उधर विभाग ने एडमिट करके शो काज नोटिस दे दी। दूसरी बात क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उसको वे सस्पेन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि अपराध को एडमिट कर रहे हैं, उसके परिवार वालों को कोई मुआविजा नहीं दिया गया। क्या माननीय मन्त्री जी मानवीय आधार पर हम लोगों द्वारा दिये गय तथ्यों को सही मानकर उस डाक्टर के तुरन्त निलम्बन की घोषणा इस सदन में करेंगे ? यदि नहीं करें, तो क्यों नहीं ?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, मानवीय आधारों पर निलम्बन नहीं किया जाता है।

श्री हुकम सिंह--

मन्त्री जी ने फरमाया कि मानवीय आधारों पर निलम्बन नहीं करेंगे। मैं उनसे केवल यह पूछना चाहता हूं कि इतना गम्भीर मामला 1976 में घटित हुआ और पुलिस में केस दर्ज हुआ और उस डाक्टर के खिलाफ जांच भी हो चुकी है और जांच में अधिकारी दोषी भी पाये गये और मन्त्री जी ने उसको स्वीकार भी किया है। इसके बाद मन्त्री जी के सामने क्या कोई नियमों का प्रतिबन्ध है कि जो उनको निलम्बन करने से रोके हुय हैं ?

श्री लोकपति--

निलम्बन शो काज नोटिस के बाद ही किया जाता है ।

श्री चन्दन सिंह--

प्रत्येक निलम्बन में शो काज नोटिस जरूरी है ?

श्री लोकपति--

भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न चीजें आती हैं । स्वास्थ्य विभाग में निलम्बन जो होता है, उसमें पहले शो काज नोटिस दे कर होता है, उसका जवाब आने के पश्चात् ।

श्री मुईद अहमद--

जैसा कि प्रश्न से ही विदित है 76 का मामला है । 5 साल बीत गय इसमें क्या शो काज नोटिस का जवाब भी नहीं आ पाया और दूसरे नोटिस कब दी गई ?

श्री अध्यक्ष--

यह वह बता चुके हैं कि कब दी गई ।

श्री मोहन सिंह--

अभी उन्होंने 4 सी0 एम0 ओ0 को निलम्बित किया है । मेरी जानकारी के अनुसार उन्हें कोई शो काज नोटिस नहीं दी गई । तो मैं जानना चाहता हूं कि कुछ व्यक्तियों को दोषी पाने पर बिना नोटिस के निलम्बित करते हैं तथा जिसके खिलाफ जांचोपरान्त सारे आरोप सत्य पाये गये, निलम्बित नहीं किया जाता, तो इसका क्या कारण ह ?

श्री लोकपति--

माननीय सदस्य का इशारा जिसकी तरफ है वह विजिलेंस इन्क्वायरी के उपरान्त किये गये, यह स्वत: शो काज नोटिस हो जाती है ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

यह बात स्वीकार की गई कि जो आरोप थे वे सत्य पाये गये, तो परम्परा रही है कि उस अधिकारी को तुरन्त निलम्बित कर दिया जाता है, तो इस केस में ऐसी क्या बात है, जिससे आज तक उसे निलम्बित नहीं किया गया ह ?

अध्यक्ष--

यह प्रश्न कई बार पूछा गया और कई बार उत्तर आया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

इस प्रकार के जघन्य अपराध करने वाले अधिकारियों को लीज आफ लाइफ दी जा रही है । क्या 30 अप्रैल से पहले उनके रिटायरमेंट तो नहीं होने वाला है ?

श्री लोकपति--

जघन्य अपराध है या नहीं। प्रश्न यह है कि 1976 में कोई कैपसूल इस्तेमाल हुआ और कहा जाता है कि कैपसूल का समय बीत चुका था। इस पर जांच हुई। यह सिद्ध हुआ कि कैपसूल का इस्तेमाल हुआ और मृत्यु हुई उस व्यक्ति की। अब 14-10-80 का उत्तर प्राप्त हो जाये उनका तभी आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, उसकी जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है। पहले उनको एक शो काज नोटिस जारी किया गया, उसके बाद फिर नोटिस दिया गया। उन्होंने उत्तर देना भी जरूरी नहीं समझा और शासन को दुबारा उन्हें रिमाइन्डर देना पड़ा तो जो अधिकारी इस तरह से शासन के आदेशों की अवहेलना कर रहा हो, उसके ऊपर आरोप सिद्ध हों, तो मैं जानना चाहता हूं कि एक बार नोटिस देने के बाद दुबारा उसे मौका देने का क्या कारण है, इतना जघन्य अपराध करने के बाद भी निलम्बित न किये जाने का क्या कारण है और उसके आश्रितों को क्या शासन ने कोई आर्थिक सहायता दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

आर्थिक सहायता के बारे में अवश्य विचार करेंगे। प्रश्न 5 साल पुराना है और उनको जो दूसरा आलेख्य भेजा गया है। अगर उसका उत्तर नहीं आयेगा, तो मैंने सदन को अवगत करा दिया है कि 30 अप्रैल तक उस पर कार्यवाही कर दी जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह मैंने नहीं पूछा था। मेरा प्रश्न था कि उनको मौका देने का कारण क्या है ?

(श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल तथा अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायें। प्रश्नों का समय समाप्त हो रहा है और भी प्रश्न होने दीजिए।

श्री बिहारी लाल--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से तो ऐसा लगता है कि करप्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह बतायें कि करप्शन कैसे समाप्त हो ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय बिहारी लाल बैठ जायें। माननीय बिहारी लाल जी बैठ जायें।

आयुर्वेदिक के बी० ए०, एम० एस० के अभ्यर्थियों की फर्जी मार्कशीट

*11--श्री शेर बहादुर तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि आयुर्वेद के बी०ए०, एम० एस० के प्रवेश में अनेक लड़कों नें फर्जी मार्कशीट दाखिल किया है जिससे सही मार्कशीट

वाले लड़के पीछे रह जा रहे हैं ? उनकी मौलिक अंकतालिका मंगा कर इनकी सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच करायेंगे ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित दोषी लोगों को दंडित किया जायगा और सही प्रवेश के लिए कार्यवाही की जायेगी ?

श्री हरि सिंह--

जी हां, कुछ अभ्यर्थियों ने फर्जी मार्कशीट दाखिल की हैं । मार्कशीट के सत्यापन का कार्य कराया जा रहा है । संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के बाद जिन अभ्यर्थियों के मार्कशीट जाली पाये गये है उन्हें प्रवेश नहीं दिया जायेगा । अतः सही मार्कशीट वाले लड़कों के पीछे रहने का प्रश्न नहीं उठता । उक्त संस्थाओं से प्रश्नगत सत्यापन के उपरान्त दोषी पाये गये अभ्यर्थियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक जांच में कितने फर्जी सर्टीफिकेट पाये गए ?

श्री हरि सिंह--

यह 65 में से 36 अभ्यर्थियों की मार्कशीट फर्जी पाई गई और जो यूनानी शिक्षा चाहते थे, उनमें से 2 कन्डोडेट्स के सर्टीफिकेट फर्जी पाये गए।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 36 सर्टीफिकेट्स गलत पाए गए उनका सत्यापन किन-किन विधायकों ने किया हैं ?

श्री लोकपति--

इसमें 3 जगह से लोग आये हैं--बोर्ड से माध्यमिक शिक्षा परिषद् से, संस्कृत विश्वविद्यालय से और जामिया विश्वविद्यालय अलीगढ़ से । जामिया से पांच लड़कों ने अपने प्रार्थना पत्र दिये थे मार्कशीट के साथ जिनकी जांच हुई । वो मार्कशीट जाली पाये गये । संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से 65 व्यक्तियों नें प्रार्थना-पत्र दिये थे मार्कशीट के साथ, जिनमें से 35 मार्कशीट जाली पाये गये थे । बाकी करीब 700 के लगभग माध्यमिक शिक्षा परिषद् में हैं । वहां अभी सत्यापन का कार्य चल रहा है । उसके बाद ही सही स्थिति की जानकारी हो सकेगी ।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन छात्रों ने फर्जी मार्कशीट दी थी क्या उनका प्रवेश समाप्त कर दिया गया है ?

श्री लोकपति--

प्रवेश तो हुआ ही, समाप्त करने का सवाल ही नहीं है । प्रार्थना-पत्रों की जांच चल रही हैं मार्कशीट के संबंध में । 700 प्रार्थना-पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद में हैं उनकी जांच हो रही है ।

श्री राजकुमार राय--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस पूरे मामले की इन्क्वायरी हो रही है ?

श्री हरि सिंह--

इस सबंध में शासन विचार कर रहा है।

केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार, सीतापुर के अध्यक्ष के विरुद्ध कायम किया गया मुकदमा

*12--श्री पंचानन (अनुपस्थित)--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार, सीतापुर के अध्यक्ष के विरुद्ध पुलिस ने कोई मुकदमा कायम किया है ? यदि हां, तो वह मुकदमा किस दफा में कायम हुआ है और क्या यह भी सही है कि पुलिस को उनकी तलाश है ? यदि हां, तो उन्हें अब तक गिरफ्तार न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां।

वह मुकदमा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दर्ज है।

संबन्धित व्यक्ति ने 27 जनवरी, 1981 को न्यायालय में समर्पण किया था। तद्नुसार 17 फरवरी, 1981 को न्यायालय द्वारा उनकी जमानत मंजूर की गई।

आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ की परिचारिकाओं का स्थायीकरण

*13--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लखनऊ में परिचारिकाओं के कौन-कौन से पद स्थायी हैं तथा उन स्थायी पदों पर कार्यरत परिचारिकाओं का स्थायीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक उन्हें स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्री हरि सिंह--

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ से सम्बद्ध चिकित्सालय में परिचारिकाओं (नर्सेज) के 25 पद स्थायी हैं, जिन पर कार्यरत परिचारिका में से एक परिचारिका स्थायी है। परिचारिकाओं का स्थायीकरण प्रादेशिक परिचारिका संवर्ग वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है। राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में कार्यरत अस्थायी परिचारिकाओं का स्थायीकरण वरिष्ठता क्रम में उनका अवसर आने पर किया जायेगा।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि परिचारिकायें राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लखनऊ में कितनी हैं और ये कब-कब से कार्यरत हैं यानी इनका कार्यकाल क्या है और कितने कार्यकाल के बाद परिचारिकाओं को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लखनऊ में स्थायीकरण कर दिया जायगा ?

श्री लोकपति--

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 20 परिचारिकायें वे हैं, जिनका सम्बन्ध नरसेज विभाग से, एलोपैथी विभाग से है, जो हमारे यहां लियन में हैं। उनका स्थायीकरण उनके विभाग के द्वारा क्रमवार होगा जो उनकी सूची है। आयुर्वेदिक विभाग में तीन पद स्थायी हैं जिसमें एक हो गया है, दो को और कर दिया जायगा अतिशीघ्र।

*14--श्री गोपी नाथ वर्मा--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*15--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[स्पष्टीकरण के अभाव में हटाया गया]

श्री मोतीलाल गोयल, बारूदखाना, लखनऊ के मकान के आवंटन सम्बन्धी प्रार्थन-पत्र

*16--श्री भीखा लाल (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 5 अगस्त, 1980 जिसके द्वारा श्री मोती लाल गोयल, निवासी बारूदखाना, गोलागंज, लखनऊ का प्रार्थना-पत्र दिनांक 5 अगस्त, 1980, जिसमें उनके मकान नं0 179/56 को केस नं0 418 डी0 एस0 ओ0 79, जिला लखनऊ द्वारा दो व्यक्तियों द्वारा शपथपूर्वक झूठी गवाही देकर और फर्जी मालिक पेश करके श्री विजय विक्रम सिंह, एडवोकेट के नाम एलाट कर दिया था, अग्रसारित किया गया है, सचिव खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रार्थना में उल्लिखित अभियोग पत्र जो उन्होंने डी0 एस0 ओ0 रेट कन्ट्रोल, लखनऊ को दिनांक 17-7-79 को दिया है, क्या कार्यवाही की गयी और सम्बन्धित व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां ।

सबन्धित वाद अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन) के न्यायालय में विचाराधीन है ।

इसका प्रश्न नहीं उठता ।

झांसी नगर के कतिपय मुहल्लों की पेयजल योजना

*17--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर में मुहल्ला उन्नाव गेट बाहर तथा अन्दर, गुदड़ी इतवारीगंज, गनेश मड़िया, बड़ागांव गेट बाहर, गड़ियापुरा, सागरगेट, लक्ष्मी दरवाजा अन्दर बाहर, खुसीपुरा, तालपुरा तथा गोटू कम्पाउण्ड इन सभी क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी के क्या कारण हैं तथा शासन तुरन्त प्रबन्ध हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

झांसी नगर के मुहल्ले उन्नाव गेट बाहर तथा अन्दर, गुदड़ी इतवारीगंज, गनेश भडिया, सागर गेट, लक्ष्मी दरवाजा अन्दर बाहर, खुशीपुरा तथा गोटू कम्पाउण्ड शहर की जल प्रणाली के अन्तिम छोर पर स्थित है अतः पेयजल की कमी रहती है तथा मुहल्ला बड़ागांव गेट बाहर डडियापुरा एवं तालपुरा में कोई पेयजल प्रणाली ही नहीं है । झांसी शहर के प्रत्येक क्षेत्र में 2 1/2 से 3 घण्टे तक पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ।

झांसी नगर की पेयजल समस्या के समाधान के लिए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनायें विचाराधीन है ।

अल्पकालीन योजनान्तर्गत हैण्ड पम्पों को लगाकर, विभिन्न स्थानों पर नलकूप लगाकर तथा शहर के बड़े-बड़े कुओं पर स्थाई रूप से पम्पिंग प्लाण्ट लगाकर तथा ग्रीष्म ऋतु में टैंकरों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाता है ।

दीर्घकालीन योजनान्तर्गत जल निगम द्वारा झांसी पुनर्गठन पेयजल योजना का प्राक्कलन बनाया जा रहा है । इसके कार्यान्वित होने में 5-6 वर्ष लगने की सम्भावना है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय मन्त्री जी अपने यह स्वयं स्वीकार किया है कि इन क्षेत्रों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता है और दूसरी बात वह है कि दो क्षेत्रों में यानी बड़ागांव और इंडियापुरा में पेय जल की कोई योजना नहीं है ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले 7 महीनों में इन स्थानों पर शासन ने पेयजल की व्यवस्था के लिये क्या-क्या उपाय किये हैं ? दूसरी बात यह है कि आपने यह स्वीकार किया है कि वहां पर ढाई और 3 घन्टे पानी दिया जाता है । किन्तु मेरी जानकारी है कि सिर्फ आधे घन्टे ही पानी झांसी नगर में सप्लई किया जाता है । इसलिये क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितना पानी नगर में प्रतिदिन दिया जाता है और कितने स्टैंड पोस्ट और कितने कनेक्शनों में पानी के वितरण की व्यवस्था है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, 10 हैंड पम्प लगा दिये गये हैं और 20 और लगाये जा रहे हैं ..

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मेरी सुनिश्चित जानकारी है और आपने जो जानकारी दी है, वह गलत है । इसलिये मैंने दो प्रश्न किये हैं । आपने स्वीकार किया है कि वहां पर छोर पर पानी नहीं पहुंच पाता है और दो में कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, तो सात महीने में शासन ने क्या-क्या उपाय किये हैं जिससे कि वहां पर पानी पहुंचाया जा सके । दूसरे मैंने यह पूछा था कि केवल आधा घंटा ही नगर में पानी का वितरण होता है और आपने ढ़ाई-तीन घंटा अपने उत्तर में कहा है मैं यह जानना चाहता हूं कि नगर में कुल कितने पानी के कनेक्शन हैं, कितना लीटर पानी प्रतिदिन आप सप्लाई करते हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

पहली बात तो यह है कि जो जानकारी मैंने दी है, वह सही दी है और माननीय सदस्य का यह कहना कि मैंने गलत जानकारी दी है, गलत है। मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है, उसके अनुसार झांसी में 3 घंटे पानी उपलब्ध कराया जा रहा है । 10 हैंड पम्प लगा दिये गये हैं, 20 और लगाये जा रहे हैं । एक ट्यूबवेल बना दिया गया है और ग्रीष्म ऋतु के आने पर टैंकरों से भी पानी की व्यवस्था की जायेगी । चौथी बात यह है कि कितने लीटर पानी प्रतिदिन वहां प्रति व्यक्ति को दिया जाता है और वहां कितने कनेक्शन हैं, यह ब्योरे का सवाल है, अतः इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, हमारे यहां पानी का भयंकर संकट हो गया है । इसलिये अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रश्न को अगले सयम तक के लिये टाल दीजिये । आज जो जानकारी दी गई है, वह सही नहीं है। क्या मन्त्री जी इसकी सही जानकारी के लिये कोई समिति गठित करेंगे जोकि इसकी छानबीन कर सदन को रिपोर्ट दे सके ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, समिति की कोई आवश्यकता नहीं है । मैं वहां किसी बड़े अधिकारी को भेजकर छानबीन करवा लूंगा और जो माननीय सदस्य ने कहा है उसको दिखवा लूंगा ।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग के स्वास्थ्य सहायक तथा प्रसार शिक्षकों के स्थायीकरण की मांग

*18--श्री सोमांश प्रकाश (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग में पदोन्नत के विषय में दिनांक 12-11-80 को लोक सेवा अधिकरण द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसके अनुसार 18 वर्षों से कार्यरत एम0 एस0 डब्लू0, स्वास्थ्य सहायक तथा प्रसार शिक्षकों के स्थायीकरण के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, लोक सेवा अधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गए जिस निर्णय का उल्लेख किया गया है वह पदोन्नति से सम्बन्धित है उसका स्थायीकरण से सम्बन्ध नहीं है । परिवार कल्याण विभाग में स्वास्थ्य सहायक तथा प्रसार शिक्षकों के 33 प्रतिशत पदों को 1-1-1980 से स्थायी किए जाने के आदेश प्रसारित किए जा चुके हैं और उक्त स्थायी किए गए पदों पर सम्बन्धित पदधारकों को नियमानुसार स्थायी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है । एम0 एस0 डब्लू के पद अभी तक स्थायी नहीं किए गए हैं ।

नगरपालिका, आजमगढ़ की पेयजल योजना के अन्तर्गत नलकूप का निर्माण

*19--श्री राम कुंवर सिंह--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत नगरपालिका, आजमगढ़ में पेयजल की समस्या हल करने के लिए शासन द्वारा नलकूप लगाने की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो अब तक नलकूप न लगने का क्या कारण है ? और भविष्य में कब तक लग जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां ।

नगरपालिका, आजमगढ़ के लिये तुरन्त राहत पेयजल योजना के रूप में वर्ष 1978-79 में दो नलकूपों के निर्माण को स्वीकृति दी गई थी । जिसमें से एक नलकूप (स्टेट बैंक के पास) निर्मित करके 1 जून, 1979 से चालू कर दिया

गया तथा दूसरे नलकूप की भी बोरिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस नलकूप को विद्युत् उपलब्ध होने पर मई, 1981 तक चालू किये जाने की सम्भावना है।

श्री राम कुंवर सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ पेयजल की समस्या को देखते हुये जो उन्होंने एक साथ दो ट्यूबवेल लगाना स्वीकार किया है, और सन् 1978 में जो ट्यूबवेल स्वीकार हुआ था, वही अभी चालू नहीं हुआ है, इसका क्या कारण है ? दूसरी बात यह है कि एक ट्यूबवेल स्टेट बैंक के सामने लगा हुआ है, उससे जो पानी आता है वह मिट्टी से मिला हुआ पानी आता है, वह पीने के काबिल नहीं होता। इसके लिये सरकार की तरफ से कोई उचित व्यवस्था आप करेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है, उसके अनुसार एक नलकूप चालू है। जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि वह ठीक पानी नहीं दे रहा है, इसकी हम जांच कर लेंगे। दूसरे जो यह पूछा गया है कि नलकूप लगने में इतना विलम्ब क्यों हुआ, उस सम्बन्ध में मान्यवर, पम्प उपलब्ध करने में देर लगी इसलिये विलम्ब हुआ।

श्री राम कुंवर सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि आजमगढ़ की जनसंख्या को देखते हुये वहां आज तक कितने नलकूप नगरपालिका में चालू हैं ? जनसंख्या को देखते हुए क्या वहां की जल समस्या को हल करने के लिए कोई व्यवस्था सरकार तत्काल करेगी ? नगरपालिका आजमगढ़ के बारे में कह रहा हूं।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, अवश्य विचार कर लेंगे।

श्री राम कुंवर सिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि वहां कितने ट्यूबवेल चालू हैं और उनकी पानी की क्षमता क्या है ? क्या वहां की जनसंख्या को देखते हुए वह पानी पर्याप्त है। जून का महीना आ रहा है, उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

क्षमता कितनी है, उसके लिए तो मान्यवर, सूचना की आवश्यकता है। बहरहाल दूसरे सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लेंगे।

सहकारी संघ, फैजाबाद द्वारा सहकारी क्रय-विक्रय समिति, फतेहगंज को भेजा गया नियंत्रित वस्तु

*20—श्री मित्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1978-79 में प्रादेशिक सहकारी संघ, शाखा फैजाबाद द्वारा भेजा गया एक लाख चालीस हजार का

नियंत्रित वस्त्र क्रय विक्रय सहकारी समिति, फतेहगंज, फैजाबाद के खाते में दर्ज नहीं हैं और यह अनियमितता लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में भी पकड़ी गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी तथा इसमें कितनी धनराशि की संख्या तथा सरकार को क्षति हुई ?

श्री वासुदेव सिंह—

प्रादेशिक सहकारी संघ, शाखा फैजाबाद द्वारा वर्ष 1978-79 में भेजा गया 51,215 रु0 का नियंत्रित वस्त्र सहकारी क्रय-विक्रय समिति, फतेहगंज, फैजाबाद के खाते में दर्ज नहीं हैं। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में भी 51,215 रु0 की अनियमितता का उल्लेख है। दोनों संस्थाओं के विशेष आडिट हेतु जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, फैजाबाद को लिखा गया है। सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

इस सम्बन्ध में फतेहगंज सहकारी क्रय-विक्रय समिति को 5,268 रुपया की हानि हुई जो कि इस समिति को उक्त स्टाक की बिक्री पर कमीशन के रूप में प्राप्त होती। सरकार की कोई हानि नहीं हुई।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सीमेन्ट विक्रेता, गाजियाबाद द्वारा सीमेन्ट की बिक्री

**1—श्री सुरेन्द्र कुमार—(अनुपस्थित)

क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि गाजियाबाद सीमेन्ट विक्रेता आजकल रेल द्वारा सीमेंट कम्पनियों से लाई गयी सीमेंट की बोरियां गाजियाबाद से एक स्टेशन पूर्व उतार लेते हैं और वहां से ट्रक द्वारा गजियाबाद लाकर उन बोरियों पर कम्पनी तक लाने का ट्रक का खर्चा जोड़कर उपभोक्ताओं को बेचते हैं ? यदि हां, तो उस अनियमितता को रोकने के लिये सरकार तत्काल प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

यह कहना सत्य नहीं है कि गाजियाबाद के सीमेंट विक्रेता आजकल रेल द्वारा आयातित सीमेंट गाजियाबाद से एक स्टेशन पूर्व उतार कर कम्पनी से गाजियाबाद तक लाने का ट्रक का खर्चा जोड़कर उपभोक्ताओं को बेचते हैं।

स्थानीय निकायों, नगर क्षेत्र में कमेटी के गठन की मांग

**2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर क्षेत्रीय स्थानीय निकायों में, सरकार कमेटियां नियुक्त करने पर विचार कर रही है जिन्हें निर्वाचित बोर्डों की भांति अधिकार होंगे ? यदि हां, तो वस्तु-स्थिति क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है किन्तु अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निर्वाचित प्रतिनिधियों से भिन्न किसी व्यक्ति को समस्त निर्वाचित प्रतिनिधियों के बोर्ड को चलाने के अधिकार दे देना अधिनियम के खिलाफ है और जनतंत्र की जो मान्यता है, उसके भी खिलाफ है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह का विचार शासन के सामने है कि इस तरह की भंग संस्थाओं में जन प्रतिनिधियों को मनोनीत कर दें, जिनको पूरे बोर्ड के अधिकार हैं। इस तरह के विचार को त्याग न देने का क्या कारण है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, अभी सारा मामला विचाराधीन है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, यह देखते हुए कि बहुत दिनों से बोर्ड डिफैक्ट पड़े हैं इस प्रकार का कोई अंतिम निर्णय कि कमेटी बनानी है या नहीं कब तक कर लेंगे ताकि यह मामला एक दफा समाप्त हो जाय।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जब तक शासन का कोई दूसरा निर्णय नहीं होता तब तक जो पहले का निर्णय है, वही है।

श्री रियासत हुसैन--

जो विचाराधीन वाली बात है उसमें दोनों बातें आती हैं, बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, तो मेरा प्रश्न यह है कि बार-बार यह सवाल उठता है क्योंकि सारे बोर्ड या टाउन एरियाज डिजाल्व हैं। इस सम्बन्ध में मौजूदा शासन को निर्णय करना है कि कमेटियां बनानी है या नहीं उसे कब तक तय कर देंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, अतिशीघ्र रियासत साहब के सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस प्रश्न के उत्तर से दो बातें पैदा होती हैं, एक तो ऐसी कमेटी बनाना जिसे केवल सलाह देने का अधिकार होगा और दूसरा यह कि ऐसी कमेटी बनाना जिसे सम्पूर्ण प्रशासनिक अधिकार होगा तो इन दोनों में से कौन सा मुद्दा शासन के विचार में है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

अभी तो सारा मामला विचाराधीन है।

श्री भगवती सिंह विशारद--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इन स्थानीय निकायों को कब भंग किया गया था और उसके बाद कब-कब यह सुझाव शासन के सामने आये हैं कि यहां पर कमेटियां गठित कर दी जायं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

माननीय, 1977 में बोर्ड भंग किये गये थे, जब जनता पार्टी का शासन था और उसके बाद वक्तन-फवक्तन इस तरह के सुझाव आते रहे कि कोई सलाहकार समिति या हाईपावर कमेटी नियुक्त कर दी जाय ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

अब क्या कठिनाई है हाईपावर कमेटी गठित करने में ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मैंने पहले कहा कि सारा मामला विचाराधीन है ।

श्री सूबेदार सिंह--

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, चूंकि मामला शासन के विचाराधीन है और यह ऐसा मामला है जिसका लोकतांत्रिक प्रणाली से गहरा सम्बन्ध है, तो क्या मंत्री जी कमेटियों का निर्माण करने से पूर्व सम्बन्धित क्षेत्रीय विधायकों से भी कोई सलाह इस सम्बन्ध में लेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

माननीय, सारा ही मामला विचाराधीन है ।

श्री राजकुमार राय--

जनता पार्टी के समक्ष यह मामला तीन साल तक विचाराधीन रहा था और वह अनिश्चित का शिकार हो गई, तो क्या पिछली सरकार की तरह यह भी तीन साल लेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

जब कोई मामला अटकता है, तो उसमें मन्त्री जी यह कह देते हैं कि विचाराधीन है, मुझे भी देखते हुए 8 महीने हो गये हैं, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री, जो यहां बैठे हैं उन्होंने हमारे पर्वतीय अंचल में रिक्त पड़े 108 स्थानों के बारे में कहा था कि वह शीघ्र ही भर दिये जायेंगे, लेकिन 8 महीने हो गये आज तक नहीं भरे गये हैं, वैसे ही स्वायत्त शासन मंत्री कह रहे हैं, वह कोई समय या तिथि तो बता दें ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

सन् 77 में यह स्थानीय निकाय भंग हुए, 80 तक कई मन्त्री बदले और सभी ने यही आश्वासन दिया कि हम विचार कर रहे हैं, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या वह अपने कार्यकाल में ही इस पर विचार कर लेंगे । इस बात की वह घोषणा कर देंगे ?

(कोई उत्तर नही दिया गया)

अतारांकित प्रश्न

रामपुर नगर की आवास एवं विकास योजनायें

1--श्री जयदीप सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुरनगर में आवास विकास योजना के अन्तर्गत जनता से 1974 में अग्रिम धन ले लेने के पश्चात् आज तक कोई निर्माण-कार्य क्यों शुरू नहीं हुआ ? इस योजना के कार्यान्वयन के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए कितनी नोटिस आज तक जारी किए गये और कितनी भूमि अधिगृहीत कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्या यह योजना निश्चित समय में पूरा कराने की सरकार प्रयत्न करेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

आवास परिषद् की रामपुर आवास एवं विकास योजना के अन्तर्गत भवनों/भूखंडों हेतु पंजीकरण वर्ष 1977 में किया गया, न कि 1974 में ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की रामपुर शहर के लिए 6 आवास योजनाएं संचालित हैं जिसमें से क्रमशः 14 एकड़ एवं 33 एकड़ भूमि की 2 योजनाओं संख्या 1 तथा 2 में भूमि अध्याप्ति की समस्त कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है परन्तु परिषद् को सम्पूर्ण भूमि का कब्जा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । योजना संख्या 1 में मात्र 14 एकड़ भूमि में से परिषद् को 6·08 एकड़ भूमि का कब्जा दिनांक 4-3-81 को प्राप्त हुआ है । योजना संख्या 2 में भूमि का कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है । शेष 4 योजनाएं अभी तक शैशवास्था में हैं ।

परिषद् द्वारा निर्माण कार्य भूमि का कब्जा प्राप्त होने के उपरान्त ही पूरा किया जा सकेगा ।

रोहनियां तथा खलीलपुर साधन सहकारी समिति, बहेड़ी तथा साधन सहकारी समिति, शाहपुर बांसखेड़ा, बरेली के सम्बन्ध में थाने में लिखायी गयी रिपोर्ट

2--श्री जयदीप सिंह--

क्या सरकार बतायेगी कि उसने विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारी), लखनऊ द्वारा वर्ष 1977 में रोहनियां (अब बंजरिया) तथा खलीलपुर (अब कंचनपुर) साधन सहकारी समिति, बहेड़ी की अनियमितताओं की कोई जाँच करई थी ? क्या यह सही है कि जांच के फलस्वरूप इन समितियों के तत्कालीन खजांचियों एवं सचिवों के विरुद्ध थाना शीशगढ़ में रिपोर्ट लिखाई गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां ।

दोनों मामलों में पुलिस द्वारा अन्तिम आख्याएं लगा दी गई थीं, जिन्हें न्यायालय द्वारा दिनांक 30-1-81 को स्वीकार किया जा चुका है ।

3--श्री जयदीप सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता), लखनऊ द्वारा शाहपुर बांसखेड़ा, साधन सहकारी समिति, ब्लाक शेरगढ़, जिला बरेली की अनियमितताओं की जांच वर्ष 1979 में कराई थी ? यदि हां, तो उसमें दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बासुदेव सिंह--

जी हां।

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

न्याय पंचायत, बुद्धीपुर, जिला जौनपुर की सस्ते गल्ले की दुकान से चीनी की बरामदगी

4--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि न्याय पंचायत, बुद्धीपुर, तहसील मड़ियाहूं, जिला जौनपुर के सरकारी सस्ते गल्ले के एक दूकानदार के यहां नवम्बर, 1980 में 7 बोरी चीनी (अवैधानिक) बरामद हुई तथा खाद्य विभाग द्वारा आवश्यक सेवा अधिनियम की धारा 3/7 के अधीन पुलिस में प्रथम सूचना भी दर्ज कराई गयी ? यदि हां, तो अब तक उस दूकानदार के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की प्रगति क्या है?

श्री बासुदेव सिंह--

जी हां। परन्तु कार्यवाही आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत की गई थी, आवश्यक सेवा अधिनियम के अन्तर्गत नहीं। सम्बन्धित दुकानदार श्री विश्वनाथ दुबे को पुलिस थाना नेवढिया ने दिनांक 10 जनवरी, 1981 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वे इस समय न्यायालय द्वारा जमानत पर हैं। दुकान के दूसरे भागीदार श्री बुलबुलराम फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी हेतु तलाश पुलिस द्वारा जारी है।

आई0 डी0 पी0 एल0 तथा ग्रोशन्स फार्मास्युटिकल प्राइवेट लि0, लखनऊ की दवाओं का लिया गया सैम्पुल

5--श्री मोहन सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 1978 से 1980 के बीच स्वास्थ्य निदेशालय एवं ड्रग कन्ट्रोलर, उत्तर प्रदेश ने आई0 डी0 पी0 एल0 तथा ग्रोशन्स फार्मास्युटिकल प्रा0 लि0, लखनऊ के दवाओं के कितने सम्पुल अस्वीकृत किए हैं और इन दोनों फर्मों के कितने सैम्पुल स्वीकृत किए हैं ? स्वीकृति करने के बाद कितनी कीमत की दवायें इन दोनों फर्मों से खरीदी गयी ?

श्री लोकपति--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जल निगम, फर्रुखाबाद के नैत्यिक लिपिक, श्री राजकुमार वर्मा की सेवा समाप्ति

6--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता (प्रकल्पना एवं नियोजन), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को किसी विधायक के दिनांक 4-12-80 के पत्र के साथ श्री राजकुमार वर्मा, नै0 लिपिक, अस्थायी प्रकल्प शाखा, उत्तर प्रदेश जल निगम, फर्रुखाबाद का कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र मिला है, जिसमें उन्होंने अपनी सेवायें समाप्त करने को अनियमित बताते हुए पुनः सेवारत किए जाने की मांग की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां । श्री राजकुमार वर्मा को नियुक्ति अस्थायी प्रकल्प शाखा, उत्तर प्रदेश जल निगम, बदायूं में नैत्यिक लिपिक के पद पर कर दी गई है।

कोंच नगर, जिला जालौन की सीवर लाइन

7--श्री शंकर सिंह--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कोंच (जालौन) की सीवर लाइन वर्षों से चोक पड़ी है जिसके कारण मेन होल्स से गन्दा पानी उफन कर निकलता और दुर्गन्ध तथा बीमारी पैदा करता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

कोंच (जालौन) नगर में सेन्ट्रल बैंक के निकट कुछ सीवर क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके कारण पानी बाहर बहने लगता है । समय-समय पर सीवर की सफाई करा दी जाती है । समस्या के स्थायी निराकरण हेतु कोंच जलोत्सारण योजना अनुमानित लागत 43.12 लाख रु0 में उक्त क्षतिग्रस्त सीवर को ठीक किये जाने हेतु प्राविधान किया गया है ।

नगरमहापालिका, वाराणसी के कर्मचारियों के नियमितीकरण सम्बन्धी शासनादेश एवं कानपुर, नगरमहापालिका के कर्मचारियों का नियमितीकरण

8--श्री ऊदल--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के तीसरे गुरुवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि नगरमहापालिका, वाराणसी में 69 कर्मचारियों, जिसमें 8 लिपिकों, 10 ना0 मो0, 43 चपरासी एवं 8 बलदारों, जो 76/77 से कार्य कर रहे थे, उनको नियमित करने हेतु प्रशासनिक औपचारिकतायें पूर्ण कराई जा रही थीं वे पूर्ण हो गयीं ? यदि हां, तो 20 जनवरी, 1981 तक रेगुलर कर दिया गया ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी नहीं । औपचारिकतायें अभी पूर्ण नहीं हुई हैं ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

9—श्री ऊदल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शासनादेश संख्या 4507-ए/11-ना0 पा0-4-5-के/77 लखनऊ, दिनांक 28-4-79 के द्वारा कहा गया है कि ऐसे कर्मचारियों को रेगुलर किया जायगा, कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां। कथित शासनादेश में संदर्भित शासनादेश संख्या 4507-ए/11-ना0 पा0-4-50-के/77, दिनांक 6-7-78 द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार महापालिकाओं से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कराकर कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है। चूंकि महापालिका वाराणसी का उपरोक्त 69 पदों को नियमित करने का प्रस्ताव अभी शासन के विचाराधीन है, अतः कार्यवाही बारी है।

10—श्री ऊदल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतायेंगे कि नगर महापालिका, कानपुर में तीन वर्ष से कार्य करने वालों को बी0 डी0 अग्रवाल, अनुसचिव ने अपने आदेश संख्या 3742-ए-5/11-ना0 पा0-4-50-के/77, दिनांक 6 अगस्त, 1979 के द्वारा दैनिक कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया है ? यदि हां, तो नगर महापालिका वाराणसी के 69 कर्मचारियों को अब तक न करने का कारण क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां। कानपुर के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया गया है। नगर महापालिका वाराणसी के 67 पदों का नियमितीकरण औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर किया जा चुका है। शेष 69 पदों के नियमित करने का प्रस्ताव अभी शासन के विचाराधीन है।

नगरपालिका, ललितपुर के चुंगी कर्मचारियों का अवकाश तथा सफाई कर्मचारियों की आवास सुविधा

11—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, ललितपुर चुंगी के कर्मचारियों को विधिवत साप्ताहिक अवकाश दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां।

12—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, ललितपुर के सफाई कर्मचारियों को जो आवास सुविधा प्राप्त है उनमें बिजली, पानी एवं दरवाजे की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां, नगरपालिका ललितपुर के सफाई कर्मचारियों को जो आवास सुविधा प्राप्त है उनमें बिजली एवं दरवाजों की व्यवस्था है। इन आवासों में पृथक्-पृथक् पानी की सुविधा न दे कर आवासों के सामने स्टैन्ड पोस्ट व हैण्ड पम्प लगा कर पानी की समुचित व्यवस्था की गई है।

13--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका ललितपुर का क्षेत्र बढ़ने के बावजूद भी सफाई कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्री कृष्ण गोयल--

नगरपालिका ललितपुर की आर्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय होने के कारण पालिका द्वारा किये गये सफाई कर्मचारियों के 24 नये पदों के सृजन का प्रस्ताव विचारोपरान्त शासन के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है ।

थाना बिलग्राम एवं हरपालपुर जिला हरदोई में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अंकित मुकदमा

14--श्री हरीशंकर--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना बिलग्राम, सान्डी, हरपालपुर जिला हरदोई में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कितने मुकदमे गत 6 मास में कायम किए गये ? और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बासुदेव सिंह--

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत गत 6 मास में जनपद हरदोई के थाना बिलग्राम में एक तथा थाना हरपालपुर में 3 वाद कायम किये गये । उस अवधि में थाना सांण्डी में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ ।

थाना बिलग्राम में दर्ज किये गये एक वाद में पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी और इसे न्यायालय की स्वीकृति हेतु दिनांक 2-2-80 को न्यायालय भेजा गया है । थाना हरपालपुर में दर्ज तीन वादों में से एक वाद में चार्जशीट लगायी गयी और इसे दिनांक 5-11-80 को न्यायालय भेज दिया गया । शेष दो वादों में फाइनल रिपोर्ट लगायी गयी और इन्हें भी क्रमशः 15-10-80 तथा 24-2-81 को न्यायालय की स्वीकृति हेतु न्यायालय भेजा जा चुका है ।

प्रश्न के अन्तिम भाग के उत्तर का सवाल नहीं उठता ।

नगरपालिका, मुरादाबाद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा लिया गया भवन निर्माण हेतु ऋण

15--श्री जितेन्द्रपाल सिंह--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, मुरादाबाद द्वारा उसके अवक्रमित होने से लेकर 31 दिसम्बर, 1980 तक किस-किस अधिकारी व कर्मचारी को भवन निर्माण हेतु कितने-कितने धन का ऋण किन शर्तों के अन्तर्गत दिया गया ? क्या सरकार ऐसे निर्मित भवनों का मूल्यांकन कराकर ऋण से अधिक लगाए गये धन के स्रोतों का पता लगाने हेतु जांच कराएगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

नगरपालिका मुरादाबाद द्वारा कथित अवधि में अधिकारियों व कर्मचारियों को वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 5 के भाग-1 के पैरा 244 ए से 244 क्यू० में

उल्लिखित शर्तों के अधीन भूमि क्रय व भवन निर्माण हेतु दिये गये ऋण का विवरण संलग्न है ।

किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई जा सकती है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1156 पर)

नगरपालिका गोन्डा के जलकल विभाग के नलकूपों की मरम्मत

16--श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, गोन्डा के जल कल विभाग के दोनों नलकूपों पर 1975 से आज तक कितना रुपया मरम्मत में व्यय किया गया है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

नगरपालिका, गोन्डा में जलकल विभाग के दोनों नलकूपों पर वर्ष 1975 से दिनांक 3-3-1981 तक 34,467.46 रु0 मरम्मत में व्यय किया गया ।

17--श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री अवगत हैं कि गत वर्ष से आज तक गोंडा नगर-पालिका के जलकल विभाग के दोनों नलकूपों की जल व्यवस्था से नगर के मकानों में प्रथम तल तक सुचारु रूप से पानी नहीं पहुंचता है ? यदि हां, तो क्यों ? और शासन की तरफ से नागरिकों के हित में इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

गोंडा नगर में प्रथम तल पर पेयजल न पहुंचने की शिकायत नहीं है । फिर भी उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा गोंडा के लिए पेयजल पुनर्गठन योजना (अनुमानित लागत रु0 88.86 लाख) बनाई गई है जिसका निर्माण वर्ष 1981-82 में प्रारम्भ किया जायेगा ।

18--श्री विजय सिंह राना--

[8वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

19--श्री विजय सिंह राना--

[6ठें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 25 द्वारा उत्तरित]

आगरा जिले के ताज से तोरागांव तथा लाल बहादुर शास्त्री चौराहे से तोरागांव की सड़कें

20--श्री विजय सिंह राना--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर के सौन्दर्यीकरण की योजना के अन्तर्गत ताज से तोरा गांव और लाल बहादुर शास्त्री चौराहे से तोरा गांव की सड़कों को बीच में चैनल डाल कर चौड़ा बनाए जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या अब इसे बजट सत्र में सम्मिलित किए जाने हेतु कोई प्रयास शासन द्वारा चल रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी नहीं । कोई योजना नहीं है, यह सड़क महापालिका के अन्तर्गत नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

टी० बी० क्लीनिक, प्रतापगढ़ के भूतपूर्व ज्येष्ठ लिपिक, श्री राजनारायण तिवारी की सिक्योरिटी मनी

21—श्री माता प्रसाद पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजनारायण तिवारी, भूतपूर्व ज्येष्ठ लिपिक, राजकीय टी० बी० क्लीनिक, प्रतापगढ़ जिन्हें 1975 में सेवा से अवमुक्त किया गया था, की सिक्योरिटी मनी उन्हें वापस कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? रिलीज करने में विलम्ब करने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री लोकपति—

जी नहीं । श्री राज नारायण तिवारी की सिक्योरिटी मनी मुख्य चिकित्सा-धिकारी, बहराइच के नाम बंधक थी जिसे मुक्त करने के लिए मुख्य चिकित्सा-धिकारी, प्रतापगढ़ से अदेय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता थी, क्योंकि वे उनके अधीन कार्यरत थे । मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा अदेय प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है । मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच द्वारा औपचारिकतायें पूरी कर लेने के उपरान्त श्री तिवारी की सिक्योरिटी मनी मुक्त कर दी जायेगी ।

प्रदेश में सीनियर स्केल के पी० एम० एच० एस० के पद

22—श्री माता प्रसाद पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में डाक्टरों की सीनियर स्केल की कितनी पोस्टेज वर्ष 1980 तक खाली पड़ी हैं ? उनके न भरे जाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति—

प्रदेश में वर्ष 1980 तक पी० एम० एच० एस० के सीनियर स्केल के कुल 326 पद रिक्त थे । ये पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं जिसके लिए चयन की कार्यवाही की जा रही है ।

नगरपालिका, मुरादाबाद को दिया गया अनुदान

23—श्री जितेन्द्र पाल सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, मुरादाबाद को घाटा पूरा करने हेतु वर्ष 1980-81 में शासन ने कितनी धनराशि दी तथा वह किस-किस मद में व्यय की गई ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

वर्ष 1980-81 में नगरपालिका, मुरादाबाद को क्षतिपूर्ति हेतु 2,30,000 रुपये का अनुदान और 10,00,000 रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है । उक्त धनराशि के व्यय की सूचना नगरपालिका, मुरादाबाद से एकत्र की जा रही है ।

साधन सहकारी समिति लाही (मवैया-मझगवां) बाराबंकी की सम्प्रेक्षा रिपोर्ट

24--श्री राम औतार दीक्षित--

क्या यह बात सही है कि साधन सहकारी समिति, लाही लि० जो कि परिवर्द्धित होकर अब मवैया-मझगवां ब्लाक त्रिवेदीगंज, जिला बाराबंकी है, का वर्ष 1968-69 का सम्प्रेक्षण श्री बृजलाल, सम्प्रेक्षक द्वारा किया गया था और 3-8-1970 को यह विशेष प्रतिवेदन जिला सम्प्रेक्षक अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत, बाराबंकी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होकर सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, बाराबंकी के यहां भेज दिया गया था और अतिरिक्त जिलाधिकारी (ब) कार्यालय, बाराबंकी के पत्र सं० 2725-1-ज (विशेष आडिट)-5, दिनांक 12-8-70 को सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, बाराबंकी के हस्ताक्षर से उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था ? यदि हां, तो इस विशेष प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण एवं विशेष प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां ।

यह विशेष प्रतिवेदन जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, बाराबंकी के दिनांक 5-8-1970 से पत्र द्वारा जिला सहायक निबन्धक, बाराबंकी को भेज दिया गया था । सहायक निबन्धक, बाराबंकी ने 6-11-70 के पत्र द्वारा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, बाराबंकी को अनुपालन आख्या भेजी, जिसे जिला लेखा परीक्षा अधिकारी ने संतोषप्रद मानते हुए अपने अभिलेखों से इस विशिष्ट प्रतिवेदन को निरस्त कर दिया ।

इस प्रतिवेदन की प्रति यदि माननीय सदस्य देखना चाहें तो मेरे कार्यालय कक्ष में देख सकते हैं ।

पी० एम० एस० संवर्ग में कार्यरत बी० एम० बी० एस० डाक्टरों के स्थायीकरण की मांग

25--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस समय पी० एम० एस० सेवा में कार्यरत बी० एम० बी० एस० उत्तीर्ण डाक्टरों (जोकि 15 वर्ष से भी अधिक अवधि से सेवारत हैं) को स्थायी न किये जाने का क्या कारण है ? कब तक उन्हें स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्री लोकपति--

उक्त डाक्टरों के पास पी० एम० एस० सेवा नियमावली में निर्धारित शैक्षिक योग्यता न होने के कारण उनका पी० एम० एस० संवर्ग में स्थायीकरण नहीं किया जा सका । उक्त नियमावली में संशोधन करके उन्हें स्थायी किये जाने पर विचार किया जा रहा है ।

श्री रमादत्त अवस्थी, मंत्री, कोआपरेटिव बैंक इम्प्लाईज यूनियन, लखनऊ का पत्र

--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमादत्त अवस्थी, मन्त्री, कोआपरेटिव बैंक इम्प्लाईज यूनियन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ यूनिट का कोई पत्र दिनांक 6-5-80 को उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के संचालक मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव सं0 6, 7, 8 व 10 दिनांक 2-12-1978 पर कार्यवाही हेतु उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां। उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के संचालक मण्डल द्वारा दिनांक 2-12-1978 को पारित प्रस्ताव सं0 8 निबन्धक, सहकारी समितियों द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। प्रस्ताव सं0 6, 7 तथा 10 पर विचार किया जा रहा है।

टाउन एरिया, रिछा, बरेली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की मांग

27--श्री कल्याण सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया रिछा, जनपद बरेली जिसकी जनसंख्या लगभग 1,500 है, में प्रा0 स्व0 केन्द्र का खोला जाना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह स्वास्थ्य केन्द्र कब तक खुल जाने की सम्भावना है ?

श्री लोकपति--

जी नहीं।

बांदा नगर की सीवर योजना का ऋण एवं अनुदान

28--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को ज्ञात है कि भूतपूर्व स्वायत्त शासन मन्त्री के पत्र संख्या 9431/9-2-171(एस)/80, दिनांक 26-11-80 द्वारा बांदा नगर में सीवरेज योजना के स्वीकार करने तथा झांसी जल संस्थान, झांसी को कार्य निर्माण पूर्व ऋण/अनुदान प्राप्त करने का अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

बांदा सीवर योजना अनुमानित लागत 90 लाख रुपया के कार्यान्वयन हेतु ऋण/अनुदान स्वीकार किये जाने के लिये झांसी जल संस्थान, झांसी का प्रार्थना-पत्र जल निगम को मार्च, 1981 में प्राप्त हुआ है। इस पर जल निगम की आगामी बैठक में विचार किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के लिये वर्तमान प्रचलित अर्थ-व्यवस्था के अनुसार तुल्य लागत का 75 प्रतिशत तुल्य ऋण व 25 प्रतिशत तुल्य अनुदान स्वीकार किया जा सकता है।

मुरादाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बीज गोदाम का निर्माण

29—श्री रामकृष्ण माहेश्वरी—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के ब्लाक छजलेट में नौ ग्रामीण बीज गोदाम बनने की योजना थी जिसमें से केवल एक बनाया गया है ? यदि हां, तो अन्य बाकी बीज गोदाम क्यों नहीं बने हैं ?

श्री वासुदेव सिंह—

जनपद मुरादाबाद के ब्लाक छजलेट में विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत 9 ग्रामीण गोदामों के निर्माण की योजना है । इनमें से एक गोदाम का निर्माण पूर्ण हो गया है, 2 स्थानों पर ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है । अन्य 2 स्थानों पर स्थल विवाद के कारण निर्माण प्रारम्भ नहीं किया जा सका । एक स्थान पर दो बार टेन्डर आमंत्रित करने के बाद भी टेन्डर प्राप्त न होने के कारण सम्बन्धित समिति द्वारा निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है । एक स्थान पर भूमि की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है तथा शेष 2 स्थानों में से एक स्थान के लिए निर्माण हेतु दूसरी बार तथा एक स्थान के लिए प्रथम बार टेन्डर प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है ।

देवरिया जिले के ए0 एन0 एम0 प्रशिक्षण केन्द्रों के ट्यूटरों से लिया जाने वाला विश्रामालय का किराया

30—श्री मारकन्डेय चन्द्र—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जनपदों के ए0 एन0 एम0 प्रशिक्षण केन्द्रों में अल्पकालीन समय में विश्राम तथा लन्च करने के लिए ट्यूटर लोगों से कमरे का किराया लिया जाता है ? क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली, मुजफ्फरनगर जनपदों में उक्त किराया नहीं लिया जाता है ? यदि हां, तो देवरिया में किराया लिए जाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति—

प्रश्नगत किराया लेने के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं है । अतः रायबरेली, मुजफ्फरनगर तथा देवरिया जनपदों में किराया नहीं लिया जाता है ।

जिला बुलन्दशहर में अनूपशहर की सीवर योजना एवं पेयजल योजना

31—श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर के तीर्थ केन्द्र नगर अनूपशहर में स्वीकृत पेयजल व्यवस्था कब तक चालू होगी और सीवर व्यवस्था का कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

अनूपशहर नगर की पेयजल व्यवस्था का कार्य जल निगम के निर्माणाधीन है । वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में शहरी क्षेत्र की पेयजल योजनाओं के लिए सीमित धनराशि के प्राविधान होने के कारण, उक्त कार्य का क्रियान्वयन अब 31 मार्च, 1982 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

अलूपशहर के लिये सीवर योजना विचाराधीन नहीं है ।

आवास विकास परिषद्, लखनऊ द्वारा सहायक अभियन्ताओं का चयन एवं अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा

32—श्री लालसा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश आवास-विकास परिषद्, लखनऊ में वर्ष 1979-80 और 1980-81 में चयन समिति द्वारा किन-किन सहायक अभियन्ताओं का पदोन्नति हेतु चयन किया गया था ? क्या उसमें आरक्षण का कोटा पूरा करने हेतु अनुसूचित जाति के लोगों का भी चयन किया गया ? यदि हां, तो इसका पूरा विवरण क्या है ? क्या यह भी सही है कि चयन समिति के निर्णय को ध्यान में न रखते हुए सात साल तक सेवाकाल के लोगों की पदोन्नति कर दी गयी तथा नौ साल तक सेवाकाल के लोगों की उपेक्षा की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् में केवल वर्ष 1979-80 में चयन समिति द्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ताओं का पदोन्नति हेतु चयन किया गया :—

(1) श्री राम बाबू गर्ग ।

(2) श्री सै0 निशारुल नबी ।

(3) श्री एन0 यू0 बिलग्रामी ।

(4) श्री हरी गोपाल ।

(5) श्री ए0 सी0 सिन्हा ।

(6) श्री शेर सिंह ।

(7) श्री एस0 पी0 आर्या ।

उक्त सूची में से श्री एस0 पी0 आर्या, अनुसूचित जाति के हैं जो 18 प्रतिशत प्रोन्नति कोटा के अनुकूल हैं ।

यह सही नहीं है कि चयन समिति के निर्णय को ध्यान में न रखते हुए सात साल तक के सेवाकाल के लोगों की पदोन्नति कर दी गयी तथा नौ साल तक के सेवाकाल के लोगों की उपेक्षा की गयी ।

बजरिया मार्केट, कानपुर में श्री गंगा सागर त्रिवेदी को दुकान का आवंटन

33—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि नगर महापालिका, कानपुर के तत्कालीन प्रशासक ने नगर महापालिका की बजरिया मार्केट (पी0 रोड कानपुर) की दूकान संख्या 28, जो श्री गंगासागर त्रिवेदी के नाम थी, के विवाद पर दिनांक 24 जुलाई, 1971 को जिलेदार से यह जवाब मांगा था कि उक्त दूकान का किराया धनीराम से क्यों मांगा गया तथा दिनांक 7 दिसम्बर, 1972 को तत्कालीन नगर प्रशासक ने यह आदेश दिया था कि धनीराम से उक्त दूकान

का किराया न लिया जाये ? यदि हां, तो नगर प्रशासक के आदेशों की अवहेलना करके गंगा सागर त्रिवेदी की किरायेदारी समाप्त कर धनीराम के नाम किरायेदारी करने का कारण क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

दिनांक 24 जुलाई, 1971 को जिलेदार से कोई जवाब नहीं मांगा गया था ।

जी हां, दिनांक 7 फरवरी, 1972 को श्री धनीराम से किराया न लेने के आदेश किये गये थे । दुकान संख्या 28 बजरिया मार्केट (पी0 रोड) कानपुर श्री गंगा सागर त्रिवेदी को आवंटित की गयी थी । श्री त्रिवेदी ने अवैधानिक रूप से शिकमी पर श्री धनीराम व श्री आई0 जे0 सालोमन को उक्त दुकान का कब्जा दे दिया था । जो कि किरायेदारी के शर्तनामें का उल्लंघन था अतः उनकी किरायेदारी समाप्त कर, प्रश्नगत दुकान दुगने किराये पर श्री धनीराम को आवंटित कर दी गयी ।

कानपुर के गांव नानामऊ के हरिजनों के राशन कार्ड के सम्बन्ध में धनराशि की वसूली

34--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह सही है कि जनवरी, 1981 में गांव नानामऊ, तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर में वहीं के निवासी श्री देवी प्रसाद मिश्र व उनके चाचा गांव प्रधान ने मिलकर उसी गांव के निर्धन हरिजनों से 5-5 रुपया राशन कार्ड बनवाने के नाम पर वसूल किए और इसकी लिखित शिकायत श्री रामस्वरूप अवस्थी, निवासी कस्बा बिल्हौर ने परगनाधीश, बिल्हौर से जनवरी, 1981 में ही की ? यदि हां, तो परगनाधिकारी बिल्हौर की जांच का परिणाम क्या हुआ ?

श्री वासुदेव सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर एवं वाराणसी मण्डल में अनुसूचित जाति के सीमेण्ट लाइसेन्सी

35--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार को ज्ञात है कि गोरखपुर मण्डल एवं बनारस मण्डल में इस समय कितने अनुसूचित जाति के सीमेंट के लाइसेन्सी हैं तथा विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों में हरिजनों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री वासुदेव सिंह--

गोरखपुर मण्डल एवं वाराणसी मण्डल में इस समय 8 अनुसूचित जाति के सीमेन्ट के लाइसेन्सी हैं । हरिजन सहकारी समितियों को सीमेन्ट के लाइसेन्स में प्राथमिकता देने की व्यवस्था है ।

बहराइच जिले की भिनगा तहसील में अस्पताल निर्माण की मांग

36--श्री खुर्शेद अहमद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बहराइच के भिनगा तहसील में तहसील स्तर पर तीस शैय्या वाला अस्पताल खोलने के आदेश शासन द्वारा दिए गये हैं ? यदि हां, तो अस्पताल कब तक चालू हो जायेगा ?

श्री लोकपति--

जी नहीं । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी बैंक लि0, शाहजहांपुर के सचिव के विरुद्ध शिकायती पत्र

37--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सहकारिता मन्त्री को ज्ञात है कि जिला सहकारी बैंक लि0 शाहजहांपुर के संचालक मण्डल के अध्यक्ष द्वारा बैंक के सचिव के विरुद्ध अक्तूबर व दिसम्बर, 1980 में दिए गये आरोप-पत्रों की प्रतियां सरकार को प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

बैंक के सचिव के विरुद्ध प्रेषित अक्तूबर के शिकायती-पत्र की प्रति निबन्धक सहकारी समितियां के कार्यालय में प्राप्त हुई थी जिस पर सचिव से स्पष्टीकरण प्रतीक्षित है । दिसम्बर का शिकायती पत्र सहायक निबन्धक, शाहजहांपुर को 17-1-81 को प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है ।

स्वर्गीय रामदेव शर्मा, चिकित्साधिकारी एवं स्व0 विशम्भर नाथ मिश्र, कम्पाउण्डर की पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी

38--श्री खुदादीन अन्सारी--

प्रथम सत्र 81 के चौथे गुरुवार के श्री दल सिंगार यादव के अतारांकित प्रश्न 9 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विवंगत चिकित्साधिकारी व कम्पाउन्डर के समस्त अवशेष देयों का भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार द्वारा अविलम्ब उनके जी0 पी0 फण्ड, प्री आडिट बिलों आदि अवशेषों का भुगतान कराने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लोकपति--

स्व0 रामदेव शर्मा, चिकित्साधिकारी एवं स्व0 विशम्भर नाथ मिश्र, कम्पाउण्डर के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी भविष्य निर्वाह निधि तथा सामूहिक बीमा की धनराशि एवं पुराने सस्पेंस एकाउन्ट की किस्तों आदि का भुगतान किया जा चुका है । सस्पेंस एकाउन्ट की शेष किस्तों के भुगतान की यथोचित कार्यवाही भी पूर्ण की जा चुकी है जिसका भुगतान मार्च, 1981 के अन्त तक कर दिया जायेगा ।

हरदोई जिले के शाहाबाद नगर की पेयजल योजना

39--श्री राम औतार दीक्षित--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की शाहाबाद तहसील में नगर और कितने गांवों में जल निगम द्वारा पेयजल की सुविधा उपलब्ध की गयी है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

हरदोई जनपद को शाहाबाद तहसील के शाहाबाद नगर में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है तथा एक अन्य कस्बा जिसका नाम पाली है, में कार्य निर्माणाधीन है, जोकि अन्तिम स्थिति में है ।

ग्रामीण अंचल में अभी किसी भी ग्राम में पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

सहकारिता विभाग के सहकारी निरीक्षकों की सहायक निबन्धक के पद पर पदोन्नति

40--श्री राम धनी--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग में सहकारी निरीक्षक वर्ग-1 से सहायक निबन्धक के पदों पर जुलाई, 1980 से अब तक कितनी पदोन्नतियां की गयीं ? क्या इन पदोन्नतियों में शासनादेश संख्या 3779-अ/(चालीस)-राष्ट्रीय एकीकरण 6(13)-77, दिनांक 13-1-78 का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

सहकारिता विभाग में सहकारी निरीक्षक वर्ग--1 से सहायक निबन्धक के पदों पर जुलाई, 1980 से अब तक 28 तदर्थ पदोन्नतियां की गई हैं ।

सहकारी निरीक्षक वर्ग--1 से सहायक निबन्धक के पदों पर पदोन्नति हेतु विचार करते समय चर्चित आदेशों को ध्यान में रख कर चयन सम्पन्न किया गया। चयन करते समय पिछड़ी जाति के केवल दो ही पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध थे जिनमें से एक को पदोन्नति कर दी गई है तथा दूसरे का विचाराधीन है ।

यूनानी मेडिकल कालेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद एवं वाराणसी का कथित प्रान्तीयकरण

41--श्रीमती गौरी देवी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, टी0 टी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ, आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज (हड़िया), इलाहाबाद और आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, वाराणसी का प्रान्तीयकरण कर दिया गया है ?

श्री लोकपति--

जी नहीं ।

इलाहाबाद जिले के कस्बा सोरांव को टाउन एरिया बनाये जाने की मांग

42--श्री राधे श्याम पटेल--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के सोरांव तहसील में सोरांव कस्बा को टाउन एरिया का स्तर प्रदान करने की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां ।

जनगणना कार्यों के कारण नई टाउन एरिया के सृजन का कार्य स्थगित है । इस सम्बन्ध में जनगणना कार्यों के बाद आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, श्री जयन्ती प्रसाद दुबे के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

43—श्री बूधनाथ राजभर—

प्रथम सत्र 1980 के तीसरे गुरुवार (4-9-80) के अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के सम्बर्भ में क्या आवास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासन द्वारा लिये गये अन्तिम निर्णय के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ? अब कब तक कार्यवाही सम्पन्न हो जाने की सम्भावना है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अभी मामला शासन के विचाराधीन है । कार्यवाही सम्पन्न होने में अभी समय लगेगा ।

नगर महापालिका लखनऊ के मार्ग प्रकाश विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

44—श्री जगदीश सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्ग प्रकाश विभाग नगर महापालिका, लखनऊ के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो दैनिक वेतन पर लगभग 2 1/2 (ढ़ाई) वर्षों से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो यह रेगुलर क्यों नहीं किए जा रहे हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मार्ग प्रकाश विभाग में केवल दो कर्मचारी ढाई वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं । रेगुलर पद उपलब्ध न होने के कारण इन्हें रेगुलर नहीं किया जा सका है ।

मैनपुरी जिले की बेवर टाउन एरिया को नगरपालिका बनाये जाने की मांग

45—श्री सूबेदार सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बेवर (मैनपुरी) टाउन एरिया को नगर-पालिका में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां । प्रस्ताव का परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि टाउन एरिया बेसर की वित्तीय स्थिति इस समय इस योग्य नहीं है कि उसे नगरपालिका बनाया जा सके । वर्ष 1980–81 के आय–व्ययक के आंकड़े प्राप्त होने पर ही इस विषय में कोई निर्णय लेना सम्भव हो सकेगा । इसके अतिरिक्त जनगणना के कारण भी 30–6–81 तक किसी स्थानीय निकाय के स्वरूप का परिवर्तन करना सम्भव नहीं है ।

गोंडा जिले की क्रय–विक्रय समितियां एवं सहकारी उपभोक्ता भंडार

46—श्री मसरूर जाफरी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30–1–81 को जिला गोंडा में क्रय–विक्रय समितियां कितनी हैं ? और सहकारी उपभोक्ता भंडार कितने हैं और सरकार ने हिस्से के रूप में कितना–कितना रुपया इन समितियों में लगाया है तथा सालाना लाभ–हानि का आंकड़ा क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह—

दिनांक 30–1–81 को गोंडा जिले में 6 सहकारी क्रय–विक्रय समितियां तथा 25 सहकारी उपभोक्ता भंडार थे । इनमें से राज्य सरकार ने 6 क्रय–विक्रय समितियों और एक उपभोक्ता भंडार में 7,38,100 रुपया अंश पूंजी के रूप में लगाया है, जिसका समितिवार विवरण एवं इन्हीं समितियों को वर्ष 1979–80 का लाभ–हानि का विवरण निम्नवत् है :—

उपभोक्ता भंडार

नाम	राज्य सरकार का अंशधन	वर्ष 1979–80 के लाभ–हानि का विवरण
	(रुपयों में)	(रुपयों में)
1—केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार	3,18,600	6,293
सहकारी क्रय–विक्रय समितियां—		
1—बड़ागांव	97,000	9,468
2—भगवतीगंज	97,500	7,662
3—तुलसीपुर	1,70,000	21,802
4—उतरौला	25,000	1,718
5—नवाबगंज	25,000	1,584
6—करनैलगंज	25,000	9,393

टौंस वैली कोआपरेटिव फार्मिंग समिति, देहरादून के सदस्यों की अंशपूंजी

47—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि टौंस वैली कोआपरेटिव फार्मिंग समिति, जिला देहरादून जो लिक्विडेशन में चली गई है, के हिस्सेदारान सदस्यों के देय हिस्सों का भुगतान किए जाने में जो विलम्ब हो रहा है वह कब तक भुगतान हो जायगा ?

श्री वासुदेव सिंह—

समिति के भूमि के स्वामित्व का प्रश्न देहली उच्च न्यायालय में निर्माणाधीन है। उच्च न्यायालय में विवाद के निर्णय के पश्चात् सदस्यों को धनराशि के भुगतान की कार्यवाही हो सकेगी ।

48—श्री किरन पाल सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

बुलन्दशहर भंडार गृह से खाद की चोरी

49—श्री किरन पाल सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि बुलन्दशहर के राज्य भंडारागार निगम के गोदाम से दिनांक 17/18-12-80 को 900 बोरी यूरिया खाद की चोरी हुई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस प्रकार की चोरी वहां पर इससे पूर्व भी होती रही है ? यदि हां, तो इसका पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह—

निगम के बुलन्दशहर भंडार गृह से दिनांक 17/18-12-80 को 900 बोरी खाद की कोई चोरी नहीं हुई है । इससे पूर्व बुलन्दशहर भंडार गृह पर हुई खाद की चोरियों का विवरण संलग्नक में दिया गया है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1157 पर)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल आफिसरों का स्थानान्तरण एवं कार्यभार ग्रहण

50—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले 1 वर्ष में कितने ऐसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल आफिसर हैं जिन्होंने एक चिकित्सालय से स्थानान्तरण होने पर इसके स्थान पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है या ज्वाइन करके अनधिकृत अवकाश पर चले गये हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रदेश में कितने मेडिकल आफिसर एक स्थान पर 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं ?

श्री लोकपति—

(1) ऐसे अधिकारियों की संख्या जिन्होंने स्थानान्तरण के उपरान्त नई तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है निम्न प्रकार है:

पुरुष संवर्ग स्पेशल ग्रेड	शून्य
सीनियर ग्रेड	2
साधारण ग्रेड	24
महिला स्पेशल ग्रेड	शून्य
सीनियर ग्रेड	1
साधारण ग्रेड	शून्य

(2) जो स्थानान्तरण आदेशों के बाद अनधिकृत अवकाश पर हैं उनकी संख्या निम्न है :

पुरुष संवर्ग	
स्पेशल ग्रेड	शून्य
सीनियर ग्रेड	2
साधारण ग्रेड	16
महिला संवर्ग	
स्पेशल ग्रेड	शून्य
सीनियर ग्रेड	1
साधारण ग्रेड	शून्य

उक्त अधिकारियों को कार्यभार तुरन्त ग्रहण करने के लिये पुनः आदेश भेज दिये गये हैं फिर भी कार्यभार न ग्रहण करने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(3) प्रदेश में एक स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों की संख्या निम्न है :

पुरुष संवर्ग—	
स्पेशल ग्रेड	शून्य
सीनियर स्केल	105
साधारण ग्रेड	479
महिला संवर्ग—	
स्पेशल ग्रेड	4
सीनियर स्केल	17
साधारण ग्रेड	299
चिकित्साधिकारी—	
पुरुष व महिला	25

नोट—साधारण ग्रेड के पुरुष चिकित्सा अधिकारियों के विषय में सूचना केवल 31 जनपदों से प्राप्त हुई है ।

हरदोई जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलग्राम, माधोगंज, मल्लावां के भवन की मरम्मत

51--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलग्राम माधोगंज एवं मल्लावां चिकित्सालय के भवन की पुताई व मरम्मत कितने वर्षों से नहीं हुई है तथा वर्षों में भवन के टपकने से मरीजों को जो कठिनइयां होती हैं इस ओर शासन ने क्या किया ?

श्री लोकपति--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलग्राम में वित्तीय वर्ष 1980-81 में अन्तिम बार पुताई की गई । इसके भवन की छत टपकती है जिसके मरम्मत हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माधोगंज के भवन की पुताई अंतिम बार वर्ष 1980-81 में कराई गई है । इसके छत के टपकने की कोई सूचना नहीं है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मल्लावां का भवन जिला परिषद् हरदोई का है और जिसके मरम्मत एवं पुताई की जिम्मेदारी जिला परिषद् की है । इसके छत टपकने की कोई सूचना नहीं है ।

52--श्री राम लाल--

[स्पष्टीकरण के अभाव में हटाया गया ।]

स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं की वेतन वृद्धि

53--श्री राम लाल--

सप्तम विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के प्रथम गुरुवार के नत्थी (ग) के ता0 प्र0 सं0 10 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कुछ स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं की वेतन वृद्धियां अभी तक (9-2-81) तक नहीं मिल पाई हैं ? यदि हां, तो इस दिशा में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति--

प्रश्न में संदर्भित पूर्व के उत्तर में वर्णित आठ स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं में से सात की वेतन वृद्धियों का भुगतान वर्ष 1980 में किया जा चुका है । शेष एक स्वास्थ्य निरीक्षिका के वेतन रोक के स्तर पर देय वेतन वृद्धि के आदेश भी पारित किये जा चुके हैं ।

श्री आर0 एस0 मिश्रा, अवर अभियन्ता, जल निगम, लखनऊ को गायब मद पुस्तिका तथ श्री टी0 के0 मिश्रा अधशासी अभियन्ता का कथित निलम्बन

54--श्री हंसराज सिंह वर्मा--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर0 एस0 मिश्रा अवर अभियन्ता, तृतीय, अस्थायी निर्माण शाखा, विद्युत एवं यांत्रिक, उत्तर प्रदेश,

जल निगम, लखनऊ की मेजरमेन्ट बुक (एम० बी०) किन कारणों से (श्री मिश्रा ने) गायब कर दी गयी ? क्या उपरोक्त अवर अभियन्ता को इस सम्बन्ध में निलम्बित किया गया ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

श्री आर० एस० मिश्रा, अवर अभियन्ता, तृतीय अस्थाई निर्माण शाखा (विद्युत एवं यांत्रिक) उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ द्वारा माप पुस्तिका 46(एस) अस्थाई उचंत के समायोजन हेतु लेखा कक्ष को दिनांक 23-10-80 को प्रेषित की गयी थी तथा लेखा कक्ष द्वारा जांचोपरान्त ट्रान्सफर इन्ट्री बना कर और पे-आर्डर लगा कर अधिशासी अभियन्ता को दिनांक 27-12-80 को हस्ताक्षर हेतु भेजी गयी थी तभी से उक्त माप पुस्तिका मिल नहीं रही है । इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है । जांचोपरान्त दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायगी ।

55—श्री हंसराज सिंह वर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री टी० के० मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता, तृतीय अस्थायी निर्माण शाखा, विद्युत एवं यांत्रिक, उत्तर प्रदेश, जल निगम, लखनऊ के वर्ष 1980 में निलम्बन आदेश हुए थे ? यदि हां, तो उन आदेशों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी नहीं ।

श्री टी० के० मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, लखनऊ द्वारा मांगा गया कोटेशन

56—श्री राम गोविन्द—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री टी० के० मिश्रा अधिशासी अभियन्ता, तृतीय अस्थायी निर्माण शाखा, विद्युत एवं यांत्रिक, उत्तर प्रदेश, जल निगम, लखनऊ द्वारा बिना कोटेशन मांगे, सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी मनपसन्द व्यक्तियों/फार्मों को सरकारी कार्य देते हैं ? जबकि विभाग द्वारा अप्रूव्ड फर्म के रेट कम हैं ? क्या इस सम्बन्ध में विधायकों/ठेकेदारों के पत्र स्वायत्त शासन मंत्री/सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जीनियर को वर्ष 1981 में 20-2-1981 तक प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

प्रश्न का प्रथम भाग

जी नहीं ।

प्रश्न का द्वितीय भाग

इस सम्बन्ध में विधायकों का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न का तृतीय भाग

इस सम्बन्ध में मेसर्स तारा इंडस्ट्रीज, लखनऊ का पत्र दिनांक 20-1-1981 अधीक्षण अभियन्ता, 23 वां मंडल, लखनऊ के कार्यालय में प्राप्त हुआ था । जांचोपरान्त शिकायत निराधार पाई गई ।

57—श्री राम गोविन्द—

[26-3-81 के अतारांकित प्रश्न संख्या 55 को पुनरावृत्ति होने के कारण हटाया गया]

साधन सहकारी समिति लि0, पिलखिनी जौनपुर द्वारा गोदाम का निर्माण

58—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के धर्मापुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पिखलानी का बीज गोदाम जो गत दो वर्षों से निर्माणाधीन ह, अभी तक अधूरा पड़ा है ? क्या इस बीज गोदाम को शीघ्र निर्मित करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वासुदेव सिंह—

जनपद जौनपुर के धर्मापुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत साधन सहकारी समिति लि0, पिलखिनी द्वारा बीज गोदाम नहीं बल्कि एक ग्रामीण गोदाम निर्माणाधीन ह । सचिवों के स्थानान्तरण तथा समिति के एक सचिव का निधन हो जाने तथा दूसरे सचिव के अनुपस्थित रहने और नौकरी छोड़ देने, आदि के कारण गोदाम का निर्माण अधूरा रह गया है । इसके शीघ्र निर्मित हो जाने की सम्भावना है ।

इलाहाबाद कचहरी में जमीन के बन्दोबस्त में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(समय 12.5 बजे से)

श्री राधेश्याम पटेल—

माननीय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व की सूचना शासन व सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । गत तीन वर्ष पहले इलाहाबाद कचहरी प्रांगण में आग लगने से सारे रिकार्ड जल कर भस्म हो गये थे ऐसा होने से अब इस समय समाज के प्रभावशाली और कुछ समाज विरोधी तत्व कचहरी एवं चकबन्दी के लोगों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों से सांठ-गांठ करके भूमि की मालकियत के बारे में गलत इन्दराज करा रहे हैं । इलाहाबाद में एक बहुत बड़े गिरोह का इस समय यही मुख्य धन्धा हो गया है कि बिना किसी पूर्व रिकार्ड के फर्जी तौर पर पुराने तहसीलदार से तथा चकबन्दी अधिकारियों से दूसरे कमजोर निर्बल गरीब वर्ग के तथा गांव सभा की जमीनें अपने नाम से करा रहे हैं अभी हमारे क्षेत्र के गांव अब्दालपुर, परगना व तहसील सोरांव के काश्तकारों तथा गांव सभा के जमीन का बन्दोबस्त धारा 52 का प्रकाशन होने जा रहा है कि अधिकांश गरीबों को फर्जी तौर पर भूमिहीन बनाया जा रहा है और उपरोक्त ग्राम सभा की बचत की सारी भूमि तथाकथित लोग हड़प रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया शान्त रहें । सदन में कृपया शान्ति बनाये रखें ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम पटेल—

चुन्नीलाल पुत्र महावीर, श्रीमती शीला देवी पत्नी अजीत कुमार ग्राम धरहरा तहसील फूलपुर, द्रौपदी पत्नी राम अधार साकिन बाबा का पुरवा, बलीराम पुत्र लल्लर, मिठाई लाल पुत्र मिश्री लाल, साकिन ककरा, भुवनेश्वर पुत्र महेश प्रसाद, मुसम्मात इन्दरानी पुत्री महादेव साकिन चतुरपुर, मेवालाल पुत्र गंगादीन सा0 अब्दालपुर आदि तथा अन्य बहुत से लोगों ने सम्बन्धित चकबन्दी अधिकारी तथा अन्य चकबन्दी अधिकारियों को मिलाकर गांव सभा अब्दालपुर, परगना व तहसील सोरांव की जमीन पर अपना नाम फर्जी बतौर भूमिधर दर्ज करा लिये हैं। फूलपुर व सोरांव तहसील के कई दर्जन गांव में इसी तरह की घटनायें हो रही हैं। आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना के प्रति आकृष्ट करते हुए यह आग्रह करते हैं कि इस मामले की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच करायी जाय तथा उस गिरोह का शीघ्र भंडाफोड़ किया जाय जो इलाहाबाद जिले के राजस्व विभाग के अधिकारियों से सांठ-गांठ कर गरीब लोगों की तथा गांव सभाओं की भूमि पर मजबूत एवं प्रभावशाली तथा आसामी लोगों का नाम दर्ज कर उन्हें काबिज बना रहा है।

बस्ती जनपद में हत्याओं व लूट की घटनाओं के सम्बन्ध में
नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री परमात्मा प्रसाद सिंह—

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन व शासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

विगत माह से बस्ती जनपद में कानून व्यवस्था पुलिस की निष्क्रियता से समाप्त सी हो गयी है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण स्व0 श्री सत्यनारायण तिवारी व अन्य दो की हत्या है जिनकी 23-3-81 को दिन के दो बजे के बाद खुलेआम खलीलाबाद रोड पर गोली मार कर हत्या कर दिया गया है। मान्यवर, इसके पूर्व ही मार्च के प्रथम सप्ताह में गोटवा स्थान पर जो बस्ती से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण फैजाबाद रोड पर स्थित है, स्व0 श्री गोमती सिंह व उनके दो अन्य साथियों पर गोली चलाकर कुछ असामाजिक तत्व ने हत्या कर दी। दो दिन पूर्व बस्ती कस्बे में इटौलिया मोहल्ले में एक नवयुवक स्व0 श्री भगवती को चाकू मार कर हत्या कर दी गयी। इसके पूर्व महुली थाने के अन्तर्गत एक गांव में डाकुओं ने लूटपाट में 26 व्यक्तियों को घायल कर दिया।

मान्यवर, उल्लेखनीय है जहां पुलिस एक तरफ सीधे-सादे नागरिकों को आर्म्स ऐक्ट में बन्द कर रही है जैसे कि श्री काली प्रसाद सिंह थाना सुनहा के साथ हुआ है और फर्जी तौर पर इनकाउन्टर दिखा रही है। वहीं पर वाल्टरगंज थाने की पुलिस बिना पैसा लिए मुकदमे तक नहीं दर्ज कर रही है और यदि किसी तरह से दर्ज भी हो जाते हैं तो उस पर बिना पैसे के कोई कार्यवाही नहीं करती। इन सारी घटनाओं से जनता में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री परमात्मा प्रसाद सिंह--]

अतः आपके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार तत्काल बस्ती जनपद की गिरती हुयी कानून व्यवस्था में सुधार लाने हेतु पुलिस प्रशासन को कड़ा निर्देश दे ?

नया बाजार, लखनऊ तथा लखनऊ विश्वविद्यालय शाखा नया बाजार में 2 लाख रुपये के वस्त्र का अपहरण तथा नियंत्रित कपड़े की चोरबाजारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भगवती सिंह विशारद--

महोदय, नया बाजार लखनऊ के नियंत्रित वस्तु के स्टोर कीपर द्वारा लगभग दो लाख रुपये के वस्त्रों का अपहरण कर लेने के बाद 2 माह से फरार है और इसी प्रकार विश्वविद्यालय शाखा, नया बाजार, लखनऊ से लगभग ढाई हजार का नियंत्रित वस्त्र चोर बाजारी में बेचे जाते समय पकड़ा गया है। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि अब तक इन मामलों की पुलिस में कोई रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करायी गयी है। सचिव नया बाजार, लखनऊ सम्बन्धित मामलों के अभियुक्तों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं जिसके कारण जनता तथा विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों में घोर असंतोष व्याप्त है। इस सम्बन्ध में विधायकों ने एक शिकायती पत्र भी शासन को दिया है।

मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को माननीय अध्यक्ष की अनुमति से शासन से अविलम्ब कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

अधिशासी अभियन्ता, शरदा सहायक खंड 44 टांडा, फैजाबाद द्वारा स्टील की खरीद में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपी नाथ वर्मा--

महोदय, आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सन् 1980 में अधिशासी अभियन्ता, शरदा सहायक खंड 44--टांडा, फैजाबाद द्वारा नहर निर्माण कार्य हेतु 120 टन स्टील जिसका मूल्य 6 लाख रुपया होता है कलकत्ता की किसी फर्जी फर्म से मंगाया गया है जिसका कोई रिकार्ड नहीं पाया जाता है, क्रय किया गया था। करीब 6 लाख रुपये का चेक काट कर उपरोक्त फर्म को अधिशासी अभियन्ता द्वारा बिना पूर्ण माल आये तथा जांच आदि के पूर्व दिया गया परन्तु मौके पर कुछ दिन बाद केवल 100 टन लोहा लाया गया तथा 100 टन में से 20 टन लोहा अकबरपुर रेलवे स्टेशन से अधिशासी अभियन्ता द्वारा बेच दिया गया तथा शेष 80 टन स्टील राम नगर कालोनी सिंचाई विभाग पर भेजा गया और दिखाया गया 100 टन और किराया 100 टन का चार्ज किया। इस स्टील में कटपीस का लोहा खरीद किया गया है जो कम लागत का होता है और पैसा पूर्ण दिया गया है तथा अभी तक 20 टन स्टील का पता गोदाम पर नहीं पहुंचा। साथ-साथ उक्त फर्म को लगभग एक लाख रुपया जो ज्यादा दिया गया था 6 माह बाद पैसा वापस हुआ। इस प्रकार सरकारी धन का इस अवधि तक दुरुपयोग किया गया जिसका फायदा नाजायज रूप से कलकत्ते वाले फर्म को मिला।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अविश्वासी अभियन्ता शारदा सहायक खंड 44-टांडा, फैजाबाद द्वारा स्टील की खरीद में अनियमितत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर कृपया सम्बन्धित मामले की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करायी जाय तथा दोषी पाये गये व्यक्ति को दंडित किया जाय ।

बाराबंकी के स्पिनिंग मिल के मजदूरों पर गोली चलाने व लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सागर--

महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन एवं सम्मानित सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं ।

कल 25 मार्च, जनपद बाराबंकी के उत्तर प्रदेश स्पिनिंग मिल के मुख्य प्रशासक श्री गुप्ता ने मिल में चल रहे निर्माण कार्य पर लगे मजदूरों पर क्रोध करके एक मजदूर को जबरदस्ती पकड़कर मिल के एक कमरे में बन्द कर दिया है और उसकी जमकर पिटाई की । इस पर मिल के तमाम गरीब मजदूर इकट्ठा हो गये और कमरे में बन्द मजदूर को छोड़े जाने की मांग की, लेकिन प्रशासक ने उसे छोड़ना स्वीकार नहीं किया उल्टे उसकी काफी पिटाई की और मजदूरों की भीड़ पर तैनात सिक्योरिटी दस्ते से लाठी चार्ज तथा गोली चलाने का आदेश किया । परिणाम स्वरूप मजदूरों की बेरहम पिटाई हुयी और सिक्योरिटी के गार्डों ने 6 राउन्ड गोली चलायी जिससे तमाम मजदूर घायल हुये । एक घटना को लेकर मिल मजदूरों में व्यापक भय, असंतोष का वातावरण तथा रोष व्याप्त है ।

मैं इस अविलम्बनीय प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुये गरीब मजदूरों पर हुये नाजायज गोलीकांड तथा लाठी चार्ज की अविलम्ब मजिस्ट्रीयल जांच तथा घायलों की उचित वित्तीय सहायता और दोषी पाये जाने वाले लोगों को उचित दन्ड दिये जाने की मांग करता हूं ।

मान्यवर, यह मामला बाराबंकी जनपद का है । बहुत गम्भीर मामला है । आप सरकार को निर्देश दें कि वह इस पर वक्तव्य दे ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री ऊदल--

मेरे जिले में दो तहसीलों में भयानक ओला पड़ा है । दो दिन से मैं सूचना आपकी सेवा में भेज रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

बैठ जाइये (व्यवधान) आप जिस सम्बन्ध में भेज रहे हैं उसी सम्बन्ध में माननीय वृद्धि नारायण की सूचना नियम 301 में स्वीकार हुई है और इससे पहले पढ़ी जा चुकी है ।

श्री ऊदल--

यह तो अभी पड़ा है होली के बाद ।

श्री अध्यक्ष—

होली के बाद की ही हैं । उसे आप देख लें ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1974-75, 1975-76 और 1976-77 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा—

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1974-75, 1975-76 और 1976-77 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1981, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 14 मार्च, 1981 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 16 मार्च, 1981 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 26 मार्च, 1981 को वापस प्राप्त हो गया है ।

श्री यदुनाथ द्वारा प्राप्त गुमनाम पत्र को सदन में पढ़े जाने का प्रयास

श्री यदुनाथ—

मान्यवर, मुझे एक गुमनाम चिट्ठी मिली है । मैंने आपको सूचना दे दी है । उसे सदन के समक्ष पढ़ना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें । मैं माननीय सदन के समक्ष बात रख देता हूं कि आपको इजाजत देना चाहिये या नहीं देना चाहिये । माननीय सदस्य ने एक सूचना दी है कि उनको एक गुमनाम पत्र प्राप्त हुआ है जिसे वह सदन के समक्ष पढ़ना चाहते हैं जिसकी इजाजत उनको दी जाय (व्यवधान) मैं कतई इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है . . . ।

श्री अध्यक्ष—

मेरे बोलने के बाद क्या व्यवस्था होगी ? अभी तो कोई विषय विचाराधीन भी नहीं है । आप कृपया बैठें ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

माननीय सदस्य ने आज आपको एक पत्र लिख कर भी दिया है और उनको एक गुमनाम पत्र . . .

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे निर्णय के विरुद्ध व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप कृपया बैठें ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

माननीय सदस्य ने सदन की जानकारी में कुछ फैक्ट्स दिये हैं, वे कुछ बातें सदन के संज्ञान में लाना चाहते हैं । कुछ और सम्मानित सदन के सदस्यों को भी ऐसे ही गुमनाम पत्र मिले हैं । माननीय मोहन सिंह जी को भी पत्र प्राप्त हुआ है . . . ।

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से कोई गुमनाम पत्र किसी के पास आये और मैं उसे सदन में पढ़ने की अनुमति दूं, ऐसी बुरी परम्परा मैं सदन में नहीं पड़ने दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ--

(व्यवधान के बीच कुछ कहते हुये) मैं इस पैड को और इस मोहर को यहां फेंक रहा हूं । (मोहर और पैड तथा कुछ कागज फर्श पर फेंके) मैं भी पढ़ा-लिखा हूं . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन का ध्यान माननीय सदस्य के इस आचरण की ओर आकर्षित कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

आप कृपया बैठें, यह ठीक नहीं है ।

श्री यदुनाथ--

मुझे इस मोहर आदि की जरूरत नहीं है ।

(कई सदस्यों द्वारा व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

मैं व्यवस्था चाहता हूं ।

एक सदस्य--

मान्यवर, सदन में इस तरह से मोहर और पैड फेंकना क्या उचित है, इस पर आप कृपया व्यवस्था दें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आप उन्हें सुन लें, वे कुछ रहस्यमय बात हैं जिसे यहां कहना चाहते हैं । आप स्वयं उनसे उस पत्र को मंगा कर देख लें और पढ़ कर सदन को बता दें । वह चीज सदन के संज्ञान में आ जानी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें । गुमनाम पत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता । मैं किसी के पत्र को क्यों मंगा कर पढ़ूं । यह ठीक नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

यह एक असाधारण घटना है ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ--

[× × ×]

(व्यवधान के मध्य बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष--

यह कुछ लिखा नहीं जायेगा। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। माननीय सूबेदार सिंह जी, यह आपके दल के सदस्य हैं, आप कृपया इन्हें अनुशासन में रखिये, इन्हें बिठाइये। आप कृपया बिठाइये इनको।

(श्री यदुनाथ अपने स्थान पर बैठ गये।)

पायोनियर लिमिटेड लखनऊ के मुख्य सह-सम्पादक, श्री ए० यू० सिद्दीकी की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

दिनांक 23-3-1981 को रात्रि 11 बजे थाना कैसरबाग पर यह सूचना श्री राम गिरीश पुत्र राम आधार, नि० विधान सभा मार्ग लखनऊ द्वारा प्राप्त हुई कि करीब 10.25 बजे रात्रि श्री ए० यू० सिद्दीकी मुख्य सह-सम्पादक, पायनियर, अपने मित्र श्री एम० पी० सिंह के साथ गेट के बाहर पान की दूकान से पान लेकर वापस लौटे थे कि थोड़ी देर बाद प्रेस के गेट के अन्दर से पकड़ो-पकड़ो चाकू मार दिया की आवाज आई जिस पर कई लोग वहां दौड़कर गये और देखा कि श्री सिद्दीकी की पीठ पर चाकू लगा है तथा श्री एम० पी० सिंह वहीं खड़े थे। घटना-स्थल के निकट चाकू रक्त रंजित पड़ा हुआ था। श्री एम० पी० सिंह श्री सिद्दीकी को रिक्शे से सिविल अस्पताल ले गये, जहां वह मृतक घोषित कर दिए गए। उक्त सूचना के आधार पर थाना कैसरबाग पर अभियोग अ० स० 198 धारा 302 भा० दं० वि० अंकित किया गया।

(श्री यदुनाथ कुछ कहते हुए सदन त्याग कर चले गये।)

घटना की सूचना मिलते ही कैसरबाग के प्रभारी निरीक्षक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ तथा पुलिस अधीक्षक (नगर) एवं क्षेत्राधिकारी, कैसरबाग अविलम्ब घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल के निरीक्षण एवं घटना से सम्बन्धित लोगों से बात-चीत करने के बाद उक्त घटना में श्री एम० पी० सिंह के ऊपर मुख्य रूप से सन्देह पाया गया। श्री एम० पी० सिंह सिंचाई विभाग में ड्राफ्टमैन के पद पर कार्य करते हैं एवं नवरात्रि नामक एक स्थानीय अखबार भी प्रकाशित करते हैं। मृतक श्री सिद्दीकी और श्री एम० पी० सिंह ने अपनी पत्नियों के नाम से "नवरात्रि शिक्षा केन्द्र" बशीरतगंज में एक स्कूल खोल रखा है।

उपलब्ध साक्ष्यों एवं संदिग्ध चरित्र के आधार पर श्री एम० पी० सिंह को दिनांक 24-3-1981 को बन्दी बनाया गया और पूछताछ की गयी। पूछताछ के दौरान श्री एम० पी० सिंह ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि बशीरतगंज के "नवरात्रि शिक्षा केन्द्र" में कुमारी निलोफर खान, प्रधानाध्यापिका हैं जिससे मृतक श्री सिद्दीकी के सम्बन्ध हो गये थे। बशीरतगंज के श्री चमनलाल जो एक दुर्नाम

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

व्यक्ति हैं और श्री एम0 पी0 सिंह के सहयोगी हैं, वह भी कुमारी निलोफर को अपने बस में करना चाहते थे। इस प्रतिस्पर्धा में दोनों व्यक्तियों में कटुता बढ़ती गई। बात यहां तक बढ़ गई कि श्री चमन लाल ने एक दिन उक्त विद्यालय में श्री सिद्दीकी को खुले आम धमकी दी। उक्त विषय पर कमजोर बिन्दु होने के कारण श्री सिद्दीकी ने कहीं शिकायत नहीं की। घटना के पूर्व श्री चमन लाल और श्री एम0 पी0 सिंह राय मशविरा करके योजनानुसार दिनांक 23–3–1981 को रात्रि में लगभग 10 बजे दोनों व्यक्ति मोटर साइकिल से पायनियर प्रेस गये। श्री चमन लाल गेट के पास उतर गये। और श्री एम0 पी0 सिंह प्रेस के अन्दर जाकर श्री ए0 यू0 सिद्दीकी को साथ लेकर पान खाने व सिगरेट पीने के बहाने बाहर ले आये और वापसी में गेट के अन्दर थोड़ी दूर आने पर श्री एम0 पी0 सिंह के इशारे पर श्री चमनलाल श्री सिद्दीकी की पीठ पर चाकू के वार करके भाग खड़े हुए। वहां से श्री सिद्दीकी को रिक्शे पर लादकर सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृतक घोषित कर दिया गया।

अब तक की विवेचना से कुमारी निलोफर के प्रश्न को लेकर श्री ए0 यू0 सिद्दीकी व श्री चमनलाल में विवाद होने, श्री एम0 पी0 सिंह व श्री चमनलाल में षड़यंत्र रचने, साथ में पायनियर प्रेस जाना, श्री सिद्दीकी को उनको कार्यालय से बुलाकर बाहर लाना, श्री चलनलाल का भागना आदि बिन्दुओं पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसा कि ऊपर अंकित किया जा चुका है कि अभियुक्त एम0 पी0 सिंह बन्दी बनाये जा चुके हैं। घटना में प्रयोग किया गया चाकू जिसकी मुठिया पर कपड़ा लिपटा हुआ था, घटनास्थल से प्राप्त हो चुका है। दूसरे अभियुक्त चमन लाल को बन्दी बनाये जाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतान की कृपा करेंगे कि जिन, श्री एम0 पी0 सिंह का नाम पूरे वक्तव्य में आया है, वह जब पकड़े गए तो उनकी जामा–तलाशी ली गई होगी उनके घर की भी तलाशी हुई होगी, तो जो सामान उनके घर पर बरामद हुआ, उसकी फेहरिस्त क्या है क्या यह सही है कि उनके सामान में राज्य सरकार के उप मन्त्री गोपाल राम दास का हस्ताक्षरित पैड भी पाया गया है ? और कुछ दिनों पहले जब ये हल्द्वानी के गेस्ट हाउस में ठहरे थे तो इनका रिवाल्वर भी चोरी हो गया था ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी––

जामा–तलाशी में जो सामान पाया गया था, सील करके बन्द कर दिया गया है, उसकी सूची उपलब्ध नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, मैंने अपनी जानकारी के आधार पर आरोप लगाया है। अगर उस सामान की सूची सदन को नहीं मिली तो राज्य सरकार के एक उप मन्त्री के हस्ताक्षरित पैड का बरामद होना गम्भीर बात है। अगर अभी नहीं तो सायंकाल तक उसकी सूची के विषय में सदन को बता दिया जाय।

श्री रियासत हुसन––

मान्यवर, मैं इन्क्वायरी के सिलसिले में कोई सवाल नहीं करूंगा। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि मृतक के परिवार को रिलीफ की बात है। मुख्य

[श्री रियासत हुसैन--]

मंत्री जी वहां गये थे, 10 हजार रुपया मुख्य मंत्री जी ने सरकार की तरफ से दिया है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से अभी कुछ नहीं मिला है, तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी अपने गुड आफिसेज का प्रयोग करके यह प्रयास करेंगे कि मैनेजमेंट की तरफ से भी उसके क्लेम्स परिवार को मिल जायं ?

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

गुड आफिसेज का प्रयोग किया जायगा ।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि वह सिंचाई विभाग में ड्राफ्टमैन हैं, यानी सरकारी कर्मचारी हैं । इतनी बड़ी घटना के बाद कहीं उसको निलम्बित करने की बात आपने वक्तव्य में नहीं कही है । दूसरी बात, मेरी निश्चित जानकारी है, जैसा गुप्ता जी ने कहा, उप मन्त्री जी के हस्ताक्षरित पैड और कुछ और विभागों के भी पैड मिले हैं । कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं, जो हमारे सन्दर्भित उप मन्त्री तथा और भी मन्त्रियों से सम्बन्ध रखती हैं, तो निश्चित रूप से यह आवश्यक है कि जो फेहरिस्त-रिपोर्ट हेमी है जामा तलाशी की, उसको सदन के पटल पर रखा जाय । चमनलाल के घर की तलाशी हुई या नहीं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि थोड़े दिन इत्मीनान रखें, सब चीज खुलकर सामने आ जायगी । चूंकि इन्क्वायरी चल रही है, सब चीजें अभी तत्काल बता देना उपयुक्त नहीं है । चमनलाल के घर की भी तलाशी हुई है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, घटनाक्रम एक नयी दिशा में मोड़ ले रहा है । क्या जिस कुमारी नीलोफर की चर्चा माननीय मन्त्री जी ने की, उनको भी कस्टडी में लिया गया है या नहीं और उनके भी घर की तलाशी हुई या नहीं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं ओझा जी की दिलचस्पी नीलोफर में समझ रहा हूं । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उनकी भी तलाशी हुई है और पूछताछ के लिए उनको भी कस्टडी में लिया गया ।

दिनांक 28 अगस्त, 1980 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

*खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 28 अगस्त, 1980 को श्री जंगबहादुर सिंह द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के सम्बन्ध में श्री जंगबहादुर सिंह ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित क्या मंत्री जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को यह जानकारी है कि जौनपुर जनपद में भयंकर बाढ़ आई हुई है, काफी मकान गिर गये हैं, उनके मरम्मत की आवश्यकता है और मुख्य मंत्री जी जाकर तथा सिंचाई मंत्री जी आश्वासन दिये हैं। इनको ध्यान में रखते हुए क्या जौनपुर जनपद के लिए सीमेंट का कोटा अलग से देने का विचार करेंगे ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि जौनपुर जनपद को 4 हजार मीट्रिक टन सीमेंट मिलता था। उसको हमने 3200 मी0 टन किया है। जब कि सेन्टर से हमको 10 हजार मी0 टन के स्थान पर 4560 मी0 टन मिला है। जौनपुर जनपद को मैं 80 प्रतिशत दे रहा हूं। इस अवस्था में हम जो सीमेंट दे रहे हैं वह उचित मात्रा में है।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर निम्न प्रकार है--

मान्यवर, जौनपुर जनपद को 4 हजार मीट्रिक सीमेंट मिलता था उसको हमने 3200 मी0 टन किया है जब कि सेंटर से हमको 10 लाख मी0 टन के स्थान पर 4,35,600 मी0 टन मिला है। जौनपुर जनपद को 80 प्रतिशत दे रहा हूं। इस अवस्था में हम जो सीमेंट दे रहे हैं, वह उचित मात्रा में है।

मूल प्रश्न तथा उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिए देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1158 पर।)

हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट के चलाने हेतु शिया सदस्य के निर्वाचन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हुसैनाबाद इंडाउमेंट ऐक्ट (1878 का ऐक्ट नं0 पंद्रह) के अन्तर्गत हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट के चलाने हेतु निर्धारित स्कीम की धारा 2 (ए) के साथ पठित धारा 13 (iii) के अनुसार यह सदन निश्चय करता है कि श्री अध्यक्ष, विधान सभा तथा श्री सभापति विधान परिषद् उक्त हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट के चलाने हेतु समिति के लिए विधान मंडल के शिया सदस्यों द्वारा एक सदस्य का निर्वाचन जिस प्रक्रिया के अनुसार वे उचित समझें, करें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि हुसैनाबाद इंडाउमेंट ऐक्ट (1878 का ऐक्ट नं0 पंद्रह) के अन्तर्गत हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट के चलाने हेतु निर्धारित स्कीम की धारा 2 (ए) के साथ पठित धारा 13 (iii) के अनुसार यह सदन निश्चय करता है कि श्री अध्यक्ष, विधान सभा तथा श्री सभापति, विधान परिषद् उक्त हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट के चलाने हेतु समिति के लिये विधान मंडल के शिया सदस्यों द्वारा एक सदस्य का निर्वाचन जिस प्रक्रिया के अनुसार वे उचित समझें, करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

कार्य-स्थगन की कुल 3 सूचनायें आयीं थीं ।

पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की है—कई दिनों से लखनऊ की स्टेट बैंक की विभिन्न शाखाओं के लगभग दो सौ कर्मचारियों द्वारा वालेंटियरिंग हड़ताल का बहिष्कार करने के परिणामस्वरूप व्यवसाय एवं उद्योग में भारी संकट उत्पन्न होने के विषय में है ।

दूसरी सूचना श्री हरिवंश सहाय, श्री रुद्र प्रताप सिंह एवं श्री नन्द किशोर सिंह की है—दिनांक 23 मार्च से 25 मार्च, 1981 तक देवरिया कोतवाली पुलिस द्वारा युवक कांग्रेस एवं राष्ट्रीय छात्र संगठन के नेताओं के घरों से छापा मार कर नोट छापने, बम बनाने के कारखाने तथा चोरी की 49 साइकिलें एवं तीन मोटर साइकिलें बरामद करने के सम्बन्ध में है ।

तीसरी सूचना श्री प्रदीप कुमार यादव की है जो दिनांक 24/25 की रात्रि में स्थानीय रायल होटल विधायक निवास में माननीय मुख्य मंत्री के तथाकथित भतीजे, श्री डी० आर० सिंह द्वारा एक पत्रकार की पिटाई करने तथा उसका कुछ सामान तथा रुपये छीन लेने के सम्बन्ध में है ।

यह तीनों सूचनायें अस्वीकृत की गयी हैं ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

बहुत बड़ी घटना है ....।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री (मद संख्या 9)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

आप लोग बैठ जायं । कार्य-स्थगन के प्रस्ताव जब अस्वीकृत हो गये तो समय नहीं दिया जायेगा । (व्यवधान) आप लोग बैठ जायं । माननीय मुख्य मंत्री ।

[समय 12·35 अपराह्न]

1981-82 के आय-व्ययक के अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 3—मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या 17—सचिवालय, अनुदान संख्या 18—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 19—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 20—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 25—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 29—सतर्कता, अनुदान संख्या 30—नागरिक सुरक्षा, अनुदान संख्या 37—विज्ञान और प्रौद्योग विभाग तथा अनुदान संख्या 81—गृह (पुलिस विभाग)—पूंजीगत परिव्यय

*मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

3--मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 63,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17--सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,32,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18--कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,26,60,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20--सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 66,43,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25--गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,10,90,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29--सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,01,21,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30--

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--]

नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,61,13,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37--विज्ञान और प्रौद्योग विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 67,18,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81--गृह विभाग (पुलिस) पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,66,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, गृह विभाग का जो बजट है उसके सम्बन्ध में मुख्य बिन्दुओं को सम्मानित सदन के सामने रखना चाहता हूं । इस वर्ष गत वर्ष से 8-9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । गत वर्ष जहां 110 करोड़ रुपया था इस वर्ष 120.97 करोड़ का प्राविधान किया गया है । इन्हीं के साथ इंस्पेक्टर की वर्दी के लिए 350 रुपए 5 वर्ष में दिया जाता था उसको 500 सौ रुपया कर दिया गया है । 65 नये थाने और 16 रिपोर्टिंग आउट पोस्ट इस प्रदेश में खोली जायेगी । इन सभी 65 थानों में वायरलेस सेट का प्राविधान किया जायगा । अभी टेलीप्रिंटर 31 जिलों में हैं तथा सभी जिलों में टेलीप्रिंटर का प्राविधान किया जायगा ।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

51 जिलों में जीपों का प्राविधान होगा और जी0 आर0 पी0 में 916 लोगों की भर्ती होगी । सिविल पुलिस फोर्स में 3,441 लोगों की भर्ती होगी । जो लेबोरेटरीज हैं पुलिस की, उनका सुदृढ़ीकरण होगा और 1,378 पुलिस परसोनेल की आवास की व्यवस्था की जायेगी ।

मान्यवर, प्रशासन केवल साधनों की उपलब्धता नहीं है । साधनों की उपलब्धता तो सम्मानित सदस्यों के सामने रखी गई लेकिन साधनों की उपलब्धता से अधिक साधनों की उपयोगिता का प्रशासन में अधिक महत्व है और आज मौजूदा सरकार कितने साधनों को उपलब्ध करा सकी मैं नहीं चाहता कि उसको मैं आंकू, मैं यह भी नहीं चाहता कि इसको केवल आंकड़ों पर आंका जाय । प्रशासन की क्षमता, चुनौतियों की सामना करने की दक्षता, मैं अनुरोध करूंगा सम्मानित सदस्यों से कि जो चुनौतियां आई हैं उनके समक्ष मौजूदा शासन कैसा उतरा है इसको आप अवश्य देखने की कोशिश करें, आंकड़ों का आधार मैं नहीं लेना चाहता हूं ।

मान्यवर, कुछ चुनौतियां आती हैं और कुछ चुनौतियां बुलाई जाती हैं । हमारे सामने चुनौतियां आयीं और कुछ चुनौतियों को हमने बुलाया । जो चुनौतियां आती हैं वह हमारी शक्ति की परिचय देती हैं लेकिन उनमें सफलता पाने पर वे हमारी शक्ति का प्रमाण-पत्र बन जाती हैं और जिन चुनौतियों को हम आहूत

करते वह हमारे संकल्प की परिचायक होती हैं। तो जहां चुनौतियों का सवाल आया, आसमान ने हम लोगों को चुनौती दे दी।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

शासन में आते ही जल अपने प्राणदायी रूप में नहीं बल्कि अपने प्रलयंकारी रूप में आया और उसने प्रांत को प्लावित कर दिया। बाढ़ की विभीषिका दैव की माया हो गई। दैव से पुरुष संभवतः नहीं लड़ सकता लेकिन जिस पुरुषार्थ से इसका सरकार ने सामना किया है उसका साक्षी जौनपुर जनपद का एक-एक जन है।

मान्यवर, आसमान के इस इम्तहान से हम गुजर ही रहे थे कि मुरादाबाद में इंसानियत की वह चीख हम लोगों के कानों में आई जिससे रोंगटे खड़े हो गए। आसमान से टकराकर हम हार तो नहीं मान गए लेकिन इंसान और इंसान के टकराव में लगा जैसे हम लोग सब कुछ खो चुके हैं। अपना रास्ता हमलोग ढूंढ़ ही रहे थे कि हमें लगा जैसे ऊपर वाले ने हमें रास्ता बता दिया। बकरीद और दशहरा एक साथ आये। यह जैसा कि ऊपर वाले का इशारा है कि दोनों त्योहार गले मिल कर बोते। इस इशारे को मुरादाबाद, अलीगढ़ और इलाहाबाद ही नहीं समझे, बल्कि पूरा प्रान्त समझा। और अमरोहा ने भी समझा कि गणेश चतुर्थी के मौके पर 15 हजार के जुलूस में 5 हजार मुसलमान भाई भी शरीक हुए। फर्रुखाबाद ने भी समझा कि दशहरा और बकरीद के मौके पर हजारों की तादाद में हिन्दू और मुसलमानों ने एक दूसरे के गले लग कर दोनों त्योहारों को मनाया और आशंकाओं से घिरी हुयी तमाम समस्याओं के बीच दिवाली भी आयी। उसने दोनों के विश्वासों को एक जगह इकट्ठा करके पूरे प्रान्त में दीप जलाये। मातम का त्योहार मोहर्रम भी आया, वह भी शान्तिपूर्वक गुजरा, इससे सारे गम हम लोगों के हल्के हो गये और जब होली आयी तो गम ही नहीं हल्के हुए बल्कि पूरे विश्वास, उत्साह और खुशी के साथ एक दूसरे के नजदीक आये। 14 अगस्त का दिन जबकि मुरादाबाद की गलियों में मौत के बादल छाये हुए थे, उजड़ते हुये घरों की चिल्लाती हुयी इन्सानी आवाजों को सुना था और 23 मार्च को मुरादाबाद में जबकि सड़कें भरी हुई थीं। लोगों को एक दूसरे पर विश्वास था। मैं कहता हूं कि मुरादाबाद की मुहब्बत ने जेल के शिकंजों को शिकस्त दे दी और मुरादाबाद वालों के दिल खिले, उससे जेल के दरवाजे भी खुल गये और बंगे के अन्दर जो लोग बंदी थे, उनकी रिहाई हो गयी।

मान्यवर, प्रशासन केवल बंदी और रिहाई का ही नहीं होता। इसको आर्थिक कारणों पर भी जाना है। इस मायने में यह शासन मुरादाबाद के हर प्रकार के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए और उसके भविष्य के लिए 179 लाख रु0 रोलिंग मिल के लिए दिया गया और 675 लाख रु0 रोलिंग मिल के उन तमाम कारीगरों के लिए। इस रोलिंग मिल में प्रति वर्ष 750 टन पीतल रोलिंग होगा और 450 टन सिलवर निकिल्स रोलिंग होगा। इसके अतिरिक्त आगे के भविष्य

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—]

के लिये यूनो से 1 करोड़ 12 लाख रु० में इलेक्ट्रानिक सेन्टर बनाने के लिए दिया गया। मान्यवर, मैं भी इन्सान हूं। मुरादाबाद की उस खुशी में, कि जब उन्होंने अपने यहां एक स्टेडियम मांगा और अपनी मैनुसिपलिटी के लिए 10 लाख रुपये मांगे, शरीक हुए बगैर नहीं रहा और शरीक होते हुए मुझे यह लगा कि मुरादाबाद जिस कहर से गुजरा है, उसको देखते हुए जो भी वह मांगे, कम है। मान्यवर, आसमानों और इन्सानों की उन कहानियों के साथ हमारा नौजवान भी खड़ा हो गया और बहुत से लोग हर जगह भड़कती हुई आग में जैसे कुछ खुशी हो, सबसे आगे भाग ले सकते हैं सब से पहले नौजवानों के दिमाग में यह लग सकती है, इसके आगे कोई चीज ऐसी नहीं जो जल्दी प्रज्जवलित हो सके। लेकिन इस सदन में मैं नौजवानों को बधाई देना चाहता हूं और कहता हूं कि वे आग से बचकर के रचनात्मक दिशा में झुके और सरकार भी उनके साथ है, उनकी प्रगति के लिये, उनके जिले के कल्याण के लिये 5 करोड़ का एक फन्ड बनाया गया है। अपने ही बच्चे, नौजवान, विद्यार्थी चाहे नारे लगायें, हड़ताल करें यह उचित नहीं है। विद्यार्थियों के लिये एक स्टेट कौंसिल का भी निर्माण किया गया है। परीक्षायें जो हमारे नौजवानों और विद्यार्थियों की गत तीन वर्षों से सामयिक ढंग से नहीं हो सकी थीं, वे परीक्षायें इस प्रशासन ने सामयिक ढंग से कराने का प्रबन्ध किया।

मान्यवर, मैं इन चुनौतियों का जिक्र इसलिये कर रहा हूं कि इसमें से एक-एक चुनौती ऐसी है कि इसमें कहीं चूक होने से एक नहीं 80 गुजरात यहां हो सकते थे। हर एक चुनौती को अपने ही बच्चों का मान कर हमने सबको सुलझाया।

नौजवानों के बाद में किसानों की बात पर आता हूं। यहां यह धमकी दी गयी नासिक की तरह यहां भी आन्दोलन चलाया जायेगा, रेल बन्द करने की धमकी दी गयी, स्टेशन जलाने की बात की गयी, यातायात ठप्प करने की बात हुई। बड़ी धृष्टता के साथ ये बातें की गयीं। मान्यवर, इन सब जो बातों को धृष्टता के साथ कहा गया, यह कभी नहीं होने दी जायेंगी। साथ ही साथ किसानों के हित की बात थी। किसानों को वह सारी सुविधा सरकार ने दी है।

इसी बीच सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान की रिपोर्ट आ गयी, लेकिन पहली बार यह हुआ है, यह भी प्रशासन का एक निर्णय था। अभी तक पे कमीशन कभी भी सबके सामने, पब्लिक के सामने नहीं रखा गया है, उस पर निर्णय करके सरकार सामने लायी है। पहली बार हमने अपने सरकारी कर्मचारियों से परामर्श करके पे-कमीशन को सामने रखा है।

हड़तालों के संबन्ध में मुझे यह कहना है कि हड़तालों के माध्यम से कोई काम नहीं सुलझाता है। आपसी विश्वास के आदान प्रदान से हम समस्याओं को सुलझा पायेंगे, और इसमें हम लगे हुए हैं। ज्वाइंट काउन्सिल की बात हुई, इसको भी प्रशासन ने स्वीकार किया है कि सरकारी कर्मचारी अपनी बात ज्वाइन्ट काउन्सिल के पक्ष से बात करें।

मान्यवर, आठवीं समस्या आयी अध्यापकों की। अध्यापकों ने नोटिस दिया कि वे हड़ताल करेंगे। लेकिन मैं अध्यापकों को धन्यवाद देता हूं और साथ ही उन्हें बधाई भी देता हूं कि उन्होंने सरकार से समझौता कर लिया। सरकार ने डिग्री कालेज के अध्यापकों को हाउसिंग एलाउन्स दिया। आपने गवर्नमेन्ट

जूनियर हाई स्कूल-ग्रेन्ड को परीक्षायें देने की सुविधा दी। इसी प्रकार से सकारात्मक रूप लिया गया।

मान्यवर, इस समय में कहता हूं कि यह सारी परिस्थितियां थीं। ऐसी विस्फोटक परिस्थितियों में बहुत से निहित स्वार्थ थे, उन सब चुनौतियों को झेलते हुए, सफलता से उनका निराकरण करते हुए, हम लोग आज इस परिस्थिति में पहुंचे हैं कि हम अपनी दी हुई परिस्थितियों का आगे मुकाबला कर सकें जो चुनौतियां सरकार ने स्वयं स्वीकार की उनका थोड़ा सा विवरण मैं यहां देना चाहता हूं। पहली चुनौती इस सरकार ने अपनायी वह किसानों के प्रति प्रतिबद्धता की, उनके हितों की रक्षा की। अब मैं कह सकता हूं कि यह वर्ष 10 माह का जो कल रहा है, इस सरकार का, वह किसान वर्ष कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति न होगी।

(मेजों का थपथपाहट)

श्री राजेन्द्र सिंह--

विकलांग वर्ष को अपने किसान से जोड़ा है, सही किया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, नेता विरोधीदल की पूरी बात तो मैं समझ नहीं पाया लेकिन कुछ ऐसा लगा कि जैसे कोई मोनोपाली लिए जा रहा हो किसानों को। मान्यवर, मनोपाली उधर रहे, किसान की सेवा इधर रहे, इतने में ही मैं सन्तोष करने को तैयार हूं। धान की फसल काफी प्रचुर मात्रा में हुई, एक समस्या थी, चिन्ता थी कि धान के दाम बहुत गिर जायेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ही एक ऐसी सरकार रही है जिसने धान की खरीद बिचौलियों के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे किसानों से की है और साढ़े छः लाख टन हमने खरीदा है। गन्ने के संबंध में, मैंने पहले ही कह दिया, नहीं दोहराऊंगा, वह गन्ना जो मीठा है, जै बार में कहता हूं उधर कड़आ लगता है। मान्यवर, आलू पर आ जायें, गन्ना छोड़िये।

(हंसी) (शोर)

श्री अध्यक्ष--

शान्त रहें आप लोग।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

गत वर्ष 31 लाख टन आलू पैदा हुआ था इस साल 47 लाख टन पैदावार हुई है...

श्री रियासत हुसैन--

कृषि पर बोल रहे हैं या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर?

(हंसी)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, इनका प्रशासन था इन्होंने कहा कि गन्ना तो कृषि में है, इसका प्रबन्ध करने को हमें जरूरत नहीं है और वह जल गया। आलू की बात आयी तो कहा कि यह एग्रीकल्चर में है, हमें इसका प्रबन्ध करने की आवश्यकता नहीं है। 41 लाख टन पैदा हुआ वह भी सड़ गया खेतों में। मैंने, इस सरकार ने, इसको केवल कृषि की ही बात नहीं मानी। हमने माना है कि प्रशासन और प्रबन्ध की बात है। इसलिये रेलवे वैगंस का प्रबन्ध किया गया है, केन्द्र सरकार से खरीद का प्रबन्ध किया गया है जिससे अगर किसानों का आलू शीतगृहों में, अगर वे रखते हैं तो उनको रुपया दिलाने की भी व्यवस्था करना प्रशासन का काम है। क्योंकि आर्थिक परिस्थितियों में जो लोग प्रशासन की चुनौती को नहीं समझ सकते हैं वे प्रशासन नहीं चला सकते।

(मेजों की थपथपाहट)

और उसका हम लोगों ने मुकाबला किया है। मान्यवर,....।

अनेक सदस्य--

फूलन देवी का क्या हुआ ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

फूलन देवी तो उधर मोहन सिंह जी हैं, चली गयी हैं, चली जाती हैं, निकल आती हैं।

(हंसी)

श्री रियासत हुसैन--

आप यह क्लियर कर दीजिये कि हमने फूलन देवी के सामने हथियार डाल दिये, तभी मोहन सिंह जी चले जायेंगे।

(हंसी)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

इनको तो हम अपने हथियारों से भी जबरदस्त समझते हैं।

(हंसी)

चाहे आसमान रहा हो, चाहे इन्सान रहा हो, चाहे विद्यार्थी रहा हो, चाहे अध्यापक, चाहे नवजवान रहा हो और चाहे सरकार के अपने ही अंग रहे हों, चाहे फूलन देवी रही हों, हर तरह से हम लोगों को कसा गया और हर पहलू से आजमाइश की गई। हमारे एक पत्रकार भाई ह श्री विक्रम राव जी, 4 महीने पूर्व उन्होंने लिखा था कि सरकार पर शीत का तुषार गिरने वाला है और उन्होंने जो कहा वह आपदायें आई जरूर लेकिन फरक इतना है कि आज भी उन आपदाओं के बाद हम लोग जिन्दा हैं। शीत ऋतु तो बीत गई अब तो बसन्त आ गया है। मान्यवर, इस 10 महीने में इतनी आपदायें रहीं, इम्तहां इतने गुजरे कि अब सवाल ही नहीं रह गया है, सब निपट चुके हैं।

मान्यवर, जहां किसानों के प्रबन्ध का बत थी। वहां जून में जब इस सरकार ने सत्ता ली तो मेहनतकश की दुनिया में भी बहुत कशमकश थी, वह भी एक व्यवस्था का प्रश्न बन चुकी थी। मोदी नगर में 13 हजार मजदूर भूख और प्यास से हड़ताल पर थे, वहां लाक आउट चल रहा था। कानपुर में जे0 के0 आयरन, जे0 के0 रेयन और कानपुर केमिकल्स बन्द था, उसके लिये ये कहेंगे कि वह उद्योग विभाग से सम्बन्धित है, इनका व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है इनके दृष्टिकोण से लेकिन मान्यवर, भले ही विभाग की व्यवस्था हो जाय लेकिन भूख जब दिमाग में आती है तो विभाग की व्यवस्था को नहीं देखा जाता है, उसका सामना करना उसी समय आवश्यक होता है इसलिये मान्यवर, मिल मालिकों के साथ बुद्धता के साथ, जो कहा करते थे कि शासन तो उनकी जेबों में है, पता नहीं उनकी जेबें बचीं या नहीं लेकिन शासन के शिकंजे ने उनके दरवाजों को खोल दिया। यही नहीं एक और कानून व्यवस्था का प्रश्न उठ खड़ा हुआ था तीन करोड़ रुपये जून में जब हम लोग सत्ता लिये तो यह जानकारी हुई कि तीन करोड़ रुपये सफाई मजदूरों का बकाया रखा गया है। आप समझ लीजिये वह वर्ग जिसे अपने समाज में सब से नीचे स्तर पर रखा गया हो, जो अपनी सेवायें समाज को दे चुका हो, गत तीन वर्ष ऐसी सरकार रही कि उस वर्ग का तीन करोड़ रुपया बकाये में रखा। वह भी कानून और व्यवस्था का रुख लेने लगा था। तीन करोड़ रुपये की तत्काल व्यवस्था की गई और प्राविधान कर दिया गया है....

श्री ऊदल--

मैं अभी महापालिका में देख कर आया हूं सैकड़ों ठेले लदकर खड़े हैं.....।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

यह प्राविधान कर दिया गया है कि अब सफाई मजदूरों की तनख्वाह म्यूनिसिपैल्टी के फन्ड्स पर पहले चार्ज होगी। इसका अर्थ है कि कोई अफसर भी अपनी तनख्वाह निकाल नहीं सकता जब तक कि सफाई मजदूरों को तनख्वाह नहीं दी जाय।

मान्यवर, इसी बीच में पालेकर एवार्ड आया। उत्तर प्रदेश सरकार पहली सरकार है जिसने पालेकर एवार्ड के कार्यान्वयन के लिये घोषित किया कि अगर कोई भी अखबार या अखबार की मालिक इसके कार्यान्वयन में बाधा पैदा करता है तो उसके इश्तिहार भी रोके जायेंगे और एक कार्यान्वयन कमेटी बना दी गई है।

मजदूरों की बात किसी को तो अच्छी नहीं लगेगी लेकिन खाण्डसारी के मजदूर की तनख्वाह जो आठ वर्ष से 100 रुपये थी उसको 260 रुपये इस शासन ने किया है। चीनी मिल के मजदूरों की 461 रुपये तनख्वाह रखी गयी है जो करीब 31 रुपये की वृद्धि होती है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, इसी बीच में मैं यह भी कह देना चाहता हूं और वह लिये कह देना चाहता हूं कि अगर समाज में असन्तुलन रहेगा, अर्थ व्यवस्था में खामियां रहेंगी तो वह समाज कानून जो हम लोग पास करते हैं उस पर आधारित नहीं रह पायेगा। एक दिन वह विस्फोट होगा कि बन्दूक और संगीन उसे नहीं रोक सकेंगी। इसलिये जो अव्यवस्था है, जो त्रुटियां हैं, जो दोष हैं उनको दूर करने के लिये हम लोगों ने कदम उठाये और उसके दूरगामी परिणाम हैं। जो हमारे हरिजन भाइयों को पट्टे दिये गये थे इन्दिरा जी के नेतृत्व में और उनके कब्जे छिन चुके थे पिछले तीन वर्ष में, ऐसे छीनने वालों को हथकड़ी पहनाने के लिये तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अपर हाउस में सेलेक्ट में यह गया है।

जनजाति भाइयों के रिजरवेशन के बारे में जो गवरमेंट सर्विस में श्रेणी तीन और श्रेणी चार में हैं श्रेणी एक और दो के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा गया है अक्सर यह होता था कि जब यह लिखा दिया जाता था कि उपयुक्त कैन्डिडेट नहीं मिले इसलिये जनरल श्रेणी से ले लिये गये इससे हरिजन नौजवान निराश हो कर चले जाते थे कि श्रेणी तीन या चार के लिये भी कोई योग्यता नहीं है। इसके लिये प्राविधान कर दिया गया है कि अब वे पद भरे नहीं जायेंगे। वे खाली रखे जायेंगे और अगली बार जब फिर सेलेक्शन होगा तो हरिजन और जनजाति के ही नौजवानों को उसमें चुना जायगा और इस तरह से रिजरवेशन का कोटा पूरा कर दिया जायगा। इस तरह का कोई कदम आप लोग नहीं उठा सके हैं।

यही नहीं जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे-छोटे किसानों ने 3, 1/8 एकड़ भूमि में कब्जा कर लिया था उसको हमने वैधानिक कर दिया। हजारों-हजारों परिवारों को इससे लाभ मिला है। और अब आगे पट्टों के सम्बन्ध में जो मुकदमें लगते थे उनके सम्बन्ध में फ्री लीगल एड भी दी जायेगी। उसके सम्बन्ध में एक कमेटी बनी है जिसकी रिपोर्ट की अपेक्षा है। इस तरह से मान्यवर, पिछला वर्ष मेहनतकश का वर्ष रहा है, यह वर्ष कृषि का वर्ष है और आगे आने वाला वर्ष औद्योगिक विकास का वर्ष रहेगा। इस औद्योगिक विकास में बढ़ोत्तरी करने के लिये प्रशासनिक ढांचे में जो परिवर्तन किया गया है उसे मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। उद्योग के सम्बन्ध में ऐसा कर दिया गया है कि कहां पर उद्योग लगाया जाय उसके लिये एक कमेटी बना दी गई है "वन विन्डो सेल" के नाम से, जिसमें उद्योग से सम्बन्धित जितनी आवश्यकतायें हैं वे उसके अन्दर हैं। उद्योग, विद्युत, राजस्व, वित्त और वित्त देने वाली संस्थायें ये सभी उसके अन्तर्गत हैं। ऐसा प्रबन्ध इस प्रशासनिक परिवर्तन से किया गया है कि कोई भी यदि उद्योग लगाना चाहेगा इस प्रान्त में, तो एक ही जगह उसको दरखास्त देनी होगी। इसको समयबद्ध कर दिया गया है कि इतने दिन के अन्दर हर विभाग को निर्णय ले लेना होगा। उसकी साप्ताहवारी मीटिंग मैं स्वयं करता हूं और एक प्रक्रिया जो निर्धारित थी कि पहले पिक-अप में मंजूरी हो जाती थी जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन भी आते थे। उसमें निर्णय होने के बाद पुनः वह मसला इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाता था और तब स्वीकृति दी जाती थी। इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता था। इसलिये पिक-अप में उसकी मंजूरी होने के बाद वही अन्तिम स्वीकृति मानी जायेगी और वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को नहीं जायेगी। इस तरह से हम प्रदेश को उद्योग की दिशा में आगे ले जायेंगे। वैसे तो फर्टिलाइजर के सम्बन्ध में वर्ल्ड बैंक

से बात हुई है । मैं उसके बारे में डीटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि केवल प्रश-नक चीजें ही सामने रखूंगा ।

(व्यवधान)

मान्यवर, इस प्रदेश को औद्योगिक रूप से आगे ले जाने में जो एक बहुत बड़ा तबका किसानों का लगा हुआ है वह गन्ने से सम्बन्धित है । मान्यवर, अगर हमें उसकी अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करना है तो हमको अल्कोहल बेस्ड उद्योगों को लगाना होगा । हो सकता है उधर के कुछ सम्मानित सदस्य इसका विरोध करें । अल्कोहल ऐसे ही उनके दिमाग में आ जाय लेकिन उससे आगे हम उसका उपयोग करना चाहते हैं । इस तरह से 110 करोड़ की योजना पूर्वी जिलों में लगाने का हमारे पास आफर आया है जो अल्कोहल बेस्ड उद्योग चलाना चाहते हैं । मान्यवर, 45 प्रतिशत आलू हम देश का पैदा करते हैं । इस सम्बन्ध में वार्ता चल रही है चमड़े के उद्योग में हम देश में सबसे ज्यादा चमड़ा उत्पादन करते हैं । हमारे प्रदेश का चमड़ा मद्रास जाता है और वहां से फिनिश होकर कानपुर और आगरा आता है ।

मान्यवर, इस काम में शुरू से लेकर आखीर तक गरीब तबका लगा हुआ है । सरकार चमड़े के उद्योग में वृद्धि के लिये इसमें लगी जितनी भी इकाइयां हैं उनको आहूत करके उसके सम्बन्ध में पूरा प्रयास करेगी । हमको मिडिल ईस्ट से भी कुछ इन्क्वायरीज आई हैं जो कि रुपया लगाने के लिये तैयार हैं । अभी बहुत सारी बातें हैं जो शीघ्र ही आपके सामने रखेंगे । अपने प्रदेश में हम टैक्स लगा नहीं सकते हैं तो विकास के लिए जो धनराशि है वह कहीं बाहर से भी लेकर आये तो उसका प्रबन्ध भी किया है । फर्टिलाइजर प्लांट के लिए जहां चार के लिए केन्द्र ने मंजूरी दी है दो के लिए उसमें पैसा लगाने के लिए आफर आ चुके हैं । दो प्लांट आज कह दें तो हमारे लोगों का प्रबन्ध है कि वह लग सकें ।

मान्यवर, प्रयास किया गया है कि प्रशासन को किस तरह से जनता के नजदीक लाया जाय । इस सम्बन्ध में हर डिवीजन में एक मंत्री को जिम्मेदार किया गया है जो एसेसियल कमोडिटीज हों, सिंचाई हो, बिजली हो उनका प्रबन्ध ठीक से हो और जो बड़े-बड़े अपराध हैं उनको समन्वित ढंग से निपटाया जाय ।

(व्यवधान)

पानी तो उधर रहा ही नहीं तो कहां से प्रबन्ध करें । तो मान्यवर, एक प्रक्रिया बनाई है डिवीजनल लेवल पर, जो अभी तक एक जगह पर केन्द्रित है उस प्रशासन को जनता के नजदीक किया जाय । इस सम्बन्ध में वितरण व्यवस्था में जो परिवर्तन किया गया वह भी एक क्रांतिकारी कदम रहा है । ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक निजी लोगों के पास वितरण व्यवस्था थी उसको अब सहकारिता के क्षेत्र में उतारा गया है । जनवरी के एक ही महीने में 16, 17 हजार दुकानें सहकारिता में आई . . . ।

श्री कुबेर भंडारी--

उसमें भी बड़ी अड़चनें हैं वह भी नहीं हो रहा है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मेरी समझ में उनकी बात यही आई कि सहकारिता में बड़ी अड़चन हो रही है । मान्यवर, इसमें अड़चनें भी आई कुछ कानूनी अड़चनें भी आईं लेकिन हिम्मत के साथ सब अड़चनों के होते हुए सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ जो अड़चनें थीं उनमें सारी शक्ति लगा कर हमने चीनी का वितरण किया ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मुख्य मंत्री जी, आपको थोड़ा सुस्ताने का मौका मिल जायेगा ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण माननीय सदस्य सुन रहे हैं । वह जनरल डिसकसन जो होता है उस तरह की चर्चा हो रही है । आज जो अनुदान है वह सामान्य प्रशासन और गृह की है । तो क्या आप इधर के माननीय सदस्यों को भी जब चर्चा होगी इसी प्रकार की इजाजत देने की कृपा करेंगे कि जनरल डिसकसन की तरह चर्चा हो ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, वह तो बिना इजाजत के ही ले लेते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, रियासत साहब ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है उसमें एक बिन्दु और कहना चाहता हूं । अपनी नियमावली आप देख लें । कटौती प्रस्ताव जब अभी आयेगा उसमें ग्राह्यता में कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये हैं । हम उसमें ऐसे विषय नहीं लायेंगे जिनकी चर्चा हो चुकी है । प्रतिपक्ष पर तो पाबन्दी लगा दी है लेकिन यहां पर सहकारिता, उद्योग आदि पर चर्चा हो रही है । तो इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि क्या मुख्य मंत्री जी जिन विषयों पर बोल रहे हैं हमें भी अवसर दिया जायेगा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

अब मैं मान्यवर, केवल आंकड़ों पर आता हूं और कुछ नहीं बोलूंगा ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, हम पर यह प्रतिबन्ध है आप नियमावली देख लें । तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो कह रहे हैं हर विभाग के बारे में, हर विषय में बोल रहे हैं तो क्या उसी तरह से इधर के माननीय सदस्यों को भी बोलने की इजाजत देंगे ?

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी--

आपके पास गाली के अलावा कुछ है ही नहीं, [×××] कहने को ।

× × ×

(व्यवधान)

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम असरे वर्मा--

यह "बकवास" शब्द इस्तेमाल किया है, यह असंसदीय है, यह वापस कराया जाए ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय त्रिवेणी राय जी का पढ़ाई-लिखाई से सम्बन्ध नहीं है, वहां पर तो उनका शान्त रहना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

किसी माननीय सदस्य ने "बकवास" शब्द इस्तेमाल किया....

श्री ऊदल--

किसी ने नहीं, त्रिवेनी राय जी ने किया है, यदि नहीं किया है, तो वह खड़े होकर कह दें कि हमने नहीं किया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कोई वाक्य शब्द से बनता है और कई वाक्य से अभिव्यक्ति हो सकती है । आप शब्द नहीं निकालने देते हैं, वाक्य पूरा नहीं होने देते हैं, अभिव्यक्ति हो ही नहीं पाती है और आप बीच में खड़े हो जाते हैं । हमें कहने दीजिए आप बैठिये ।

(व्यवधान)

मैं तो केवल यह कह रहा था. किसी सदस्य ने बकवास शब्द का प्रयोग किया, मैं तो मुख्य मंत्री जी को सुन रहा था, तत्पश्चात् आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, उसे मैं सुन रहा था, उसी समय उसमें कई अन्य सदस्य शामिल हो गय, उनको मैं सुन रहा था । वैसा शब्द मैंने सुना, आपने कहा कि उसे त्रिवेनी जी ने कहा, मैं आशा तो नहीं करता था....

(व्यवधान)

कि इस सदन के इतने पुराने सदस्य इस शब्द का प्रयोग करेंगे और अब यह शब्द निकाल दिया जायगा और मैं माननीय त्रिवेनी राय जी से कहूंगा कि भविष्य में वह ऐसे शब्द इस्तेमाल न करें ।

श्री मोहन सिंह--

उनके पास ऐसा ही शब्द कोष है ।

श्री अध्यक्ष--

श्री रियासतहुसैन, गुप्त जी और अन्य सदस्यों ने कहा है--सामान्य प्रशासन पर माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं, सामान्य प्रशासन के क्षेत्र में जिन तथ्यों को, जिन बातों को वह अपने हिसाब से उपयुक्त समझ रहे हैं, उनको आपके सामने रख रहे हैं और माननीय नेता विरोधी दल और सभी माननीय सदस्यों को मैं यह पूर्ण इजाजत दूंगा कि इस सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में वह जो उपयुक्त समझते हों, उसको कहें ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य जो उधर बैठे हैं, उनको सामान्य चीज पसन्द नहीं, इसलिए मैं असामान्य चीज डकैती पर आ जाता हूं....

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर--व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, उत्तर देने दीजिए ।

श्री रामआसरे वर्मा--

हम लोग चाहते भी हैं कि आप अपने असली धंधे की तरफ आ जाएं ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये और इनकी बात को सुनिये ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

हम लोगों के असली धंधे का परिणाम यह हुआ कि गत वर्ष जब कि 2812 डकैतियों की घटनायें हुयी थीं इस वर्ष केवल 2,339 ही हुयीं । यह हमारे प्रयास का परिणाम है । लूट की गत वर्ष 5291 घटनायें हुयी थीं जो घट कर इस वर्ष 4609 रह गयीं । ये आंकड़े मैं जून, 1980 से फरवरी 1981 तक के दे रहा हूं । जहां तक हत्याओं का सम्बन्ध है ये गत वर्ष 3809 हुयी थीं लेकिन इस वर्ष 3765 ही रह गयीं । ये भी कम हुयी हैं । गत वर्ष दंगों की संख्या 7697 थी जो इस वर्ष घटकर 7162 रह गयीं । चोरियां-गृह भेदन की घटनायें गत वर्ष 21,533 हुयी थीं लेकिन इस वर्ष वे भी घट कर 19,934 रह गयी । यदि गत 4 वर्षों की घटनाओं को देखा जाय तो इस वर्ष सबसे कम डकैती, लूट, दंगे, गृह भेदन की घटनायें हुयी हैं और गत वर्षों के जो आंकड़े हैं, वे आपके ही हैं, हमारे नहीं हैं । हत्यायें भी गत 2 वर्षों में सबसे कम इस वर्ष हुई हैं ।

जहां तक दस्यु दलन के अभियान का प्रश्न है गत 425 दिनों में जब से यह शासन सत्ता में रहा है प्रति दिन 3 डकैतों का सफाया हुआ है और पिछले 60 दिनों में 6 डकैत प्रति दिन के हिसाब से सफाया हुआ है । इस बीच 1296 डकैतों का सफाया हुआ है और वे ही गरीब बलवान सिंह और मुस्तकीम हैं जो सताये हुये हैं । 21-2-81 को वही गरीब जयराम है जिसने 9 आदमियों को एक कतार में खड़े करके गोली से उड़ा दिया और बच्चों को संगीन पर नचाया और उनके मांस को काट कर एस0 पी0 को भेजा कि यह तुम्हारा भोजन है । उस गरीब का भी सफाया हुआ है । इस बीच 13,476 डकैत गिरफ्तार हुए हैं और यह भी 51 के एवरज पर आते हैं । मैं यह भी जानता हूं कि आप क्या भाषण देंगे ? कहा जायेगा कि हमारी पुलिस निकम्मी है, नाकारा है लेकिन

(व्यवधान)

यह न भूल जायं कि इसी 10 माह के अन्दर 85 पुलिसजनों ने जनता की सेवा में अपनी जानें समर्पित कीं। हमारे स्वर्गीय श्री मूल चन्द्र, जिन्होंने दस्यु दलन के अपरेशन के सिलसिले में आश्वासन दिया था कि या तो मेरी लाश आयेगी या डकैतों की लाश। तो ऐसे-ऐसे हमारे वीर बहादुर हैं और जो उन्होंने आश्वासन दिया था श्री मूलचन्द पुलिस की वर्दी को चिता तक अपने साथ ले गये, जनता की सेवा में। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि जो अधिकारी अपने कर्त्तव्यों से च्युत होते हैं उनसे कोई नर्मी नहीं बरती गयी है।

अभी हाल ही में सुलतानपुर के डी0 एस0 पी0 जिन्होंने पुलिस के अफसर के योग्य कार्य नहीं किया था उनको निलम्बित ही नहीं सेवामुक्त कर दिया गया इसी बीच में। इसी बीच 99 लोगों का सस्पेंशन हुआ है जिनमें 21 सब इंस्पेक्टर हैं, 11 का रिडर्शन हुआ है, 4 का डिसमिसल हुआ है, 2 का रिमूवल हुआ है और कुल 372 दंडित हुए हैं।

जहां तक कानून व्यवस्था को सुधारने की बात है वहां आर्थिक अपराधों पर कठोर कदम उठाना आवश्यक होता है। इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट ने स्वीकृति दे दी है स्पेशल कोर्ट्स बनाये जाने के लिये जिनके द्वारा आर्थिक अपराधी दंडित किये जा सकते हैं। यह चुस्त प्रशासन के लिये एक कदम है। इस बीच आर्थिक अपराधियों की धर पकड़ में साढ़े 3 करोड़ रुपये का माल पकड़ा गया। 10 महीनों में जनवरी तथा फरवरी महीने के अन्दर 6,510 छापे मारे गये, 821 एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई, 644 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 50 लाख का माल भी पकड़ा गया इसके अतिरिक्त किसान सेवा सहकारी समिति नगला, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद में श्री प्रेम सिंह को पी0 डी0 ऐक्ट के मातहत बन्द भी कर दिया गया। ये सख्ती के कदम उठाये गये हैं।

विजिलेंस के अन्तर्गत जो कार्यवाही हुई उसे भी मैं आपके समक्ष रख देना चाहता हूं। विजिलेंस द्वारा इसी बीच में 470 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई जिसके अन्तर्गत इस वर्ष 33 लोगों को दंड दिया गया जब कि गत वर्ष 17 लोगों को ही दिया गया था। इस वर्ष 9 लोगों को हटाया गया जबकि पिछले वर्ष 2 अधिकारी ही हटाये गये थे और कोर्ट से 15 लोगों को सजायें मिलीं 266 गजटेड आफिसर्स के खिलाफ इन 10 महीनों में कार्यवाही हुई जबकि पिछले साल केवल 58 गजटेड आफिसर्स के खिलाफ कार्यवाही हुई थी।

(व्यवधान)

जो अभियान चलाये जा रहे हैं उनमें 10 एक्जक्यूटिव इंजीनियर हैं, 1 पी0 सी0 एस0 अधिकारी हैं, दो तहसीलदार हैं, एक कमान्डेंट है और कुछ स्वायल कंजर्वेसी तथा चकबन्दी के अधिकारी हैं। बड़े से बड़ा अधिकारी मैंने इस सदन में कहा था हथकड़ी पड़ने से नहीं बच पायेगा अथवा कोई भी राजनैतिक लेविल हथकड़ी पड़ने को नहीं रोक पायेगा और यह बात शर्मा जी की हत्या के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से सिद्ध हो जाती है।

(व्यवधान)

[श्र विश्वनाथ प्रताप सिंह---]

यह भी इस प्रशा ान की चुस्ती रही है । जो तलवार राजभवन में चोरी गयी थी तीन दिन में वह बरामद हो गयी । आपने शासन पर आरोप लगाया था इसलिये उत्तर देना आवश्यक था । वह मिल गयी तो इससे भी यह बात साबित होती ह कि हमारा प्रशासन चुस्त है

(व्यवधान)

श्री सिंहको जो हमारे पत्रकार हैं उसके सम्बन्ध में प्रश्न उठा था । उस सम्बन्ध में दो दिन के अन्दर पूरा जानकारी कर ली गयी । यह प्रशासन की चुस्ती का प्रमाण आपके सामने है ।

मान्यवर, लगता है कि यह जो सुधार प्रात में हुए हैं, उधर (विरोध पक्ष) अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी सुझाव माननीय सदस्यों के आयेंगे, हम लोग उन पर गम्भीरता से विचार करेंगे ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3 मंत्रि परिषद्--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17--पंचिवालय--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18--कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20--सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25--गृह विभाग (पुलिस)--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29-सतर्कता विभाग-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

संख्या 3--मंत्रिपरिषद, अनुदान संख्या 17--सचिवालय, अनुदान संख्या 18—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 19—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय, अनुदान संख्या 20--सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 25—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 29--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 30--नागरिक सुरक्षा, अनुदान संख्या 37--विज्ञान और प्रौद्योग विभाग तथा अनुदान संख्या 81--गृह (पुलिस विभाग) पूंजीगत परिव्यय

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30-नागरिक सुरक्षा विभाग सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-37--विज्ञान और प्रायोग विभाग सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81--गृह विभाग (पुलिस) पूंजीगत परिव्यय सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, यह सम्पूर्ण सदन इस बात को जानता है कि गत वर्ष के बजट भाषण के समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब इस प्रदेश में थाने और पुलिस फोर्स बढ़ाने की बात कही थी उनका इशारा विरोध पक्ष की तरफ था कि उनके लिए यह किया जा रहा है, शायद वे अपनी गलती को अब महसूस कर गए, उन थानों और पुलिस बल की बढ़ोत्तरी विपक्ष के लिए नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के लिए होगी और इस बात को उन्होंने इस वर्ष स्वीकार किया है। मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूं।

मजदूरों के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया, लेकिन मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि आपने यह सब दलगत आधार पर किया है। अगर आपके मन में यह भाव होता कि प्रदेश के श्रमिकों का, चाहे वे कहीं के भी हों, उनकी समस्याओं का समाधान करना है तो आपने रजा टैक्सटाइल मिल्स के मजदूरों की समस्या को भी, जो 4 माह से हड़ताल पर हैं, हल किया होता लेकिन वह सम्भव इसलिए नहीं हुआ आपके लिए क्योंकि वहां पर कांग्रेस (अ ई) के एम0 पी0 साहब एक उससे सम्बन्धित हैं और बदकिस्मती से वहां के विधायक लोकदल के हैं। इसलिए दलगत राजनीति के आधार पर आप वहां के मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपकी भावना वास्तव में श्रमिकों के हित की है तो आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर श्रमिकों की समस्याओं का, वे श्रमिक कहीं के भी हों, समाधान करना चाहिए। श्रीमन्, इसके साथ-साथ एक बात यह मैं यहीं कह दूं आपने कहा कि किसान वर्ष तो बीत गया, अब उद्योग वर्ष आने वाला है। अगर मुख्य मंत्री जी आपकी भावना यही है कि किसान वर्ष विकलांग वर्ष के साथ बीत गया, मैं उद्योग का विरोधी नहीं हूं, मैं पुनः अपने भाषण में इस बात को कहूंगा कि कृषि के साथ उद्योग भी आवश्यक है। लेकिन ऐसा न कहिए कि कृषि का वर्ष तो पूरा हो गया, उद्योग को वर्ष की तरफ आप जायं। मैं तो यह कहूंगा कि कृषि की बढ़ोत्तरी करें तो इस प्रदेश का कल्याण होगा।

[श्री राजेन्द्र सिंह---]

श्रीमन्, जिस प्रदेश में विधान सभा से 200 मीटर की दूरी पर एक अखबार के मुख्य सहायक सम्पादक की हत्या कर दी जाय, जिस प्रदेश में बेहमई हत्या कांड की विधवाओं का क्रन्दन चल रहा हो, जिस प्रदेश में माया त्यागी का सेन्दूर उतर गया हो और वहां के दोषी व्यक्ति को उधर की बठी हुई सरकार प्राश्रय देती रहे जिस प्रदेश का उच्चाधिकारी वर्ग सुरा, सुन्दरी में लिप्त हो, श्रीमन् जिस प्रदेश के छात्रों, श्रमिकों, वकीलों पर, इस प्रदेश की सरकार गोल-लाठी का प्रहार करा रही हो, श्रीमन् जिस प्रदेश की सरकार के अधीन एस0 पी0 जालौन का अपहरण हो गया हो, श्रीमन् जिस प्रदेश में महामहिम राज्यपाल के राज भवन से रत्न-जड़ित सोने की तलवार एक नाटकीय ढंग से गायब हुई हो और मिल गयी हो, श्रीमन् जिस प्रदेश में डाके, लूट, राहजनी, हत्याओं का चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ हो, श्रीमन् जिस मुख्य मंत्री का मंत्रिमंडल और उसके मंत्री के परिवार जन भ्रष्टाचार, अपराधिक प्रवृत्ति और अपराधियों को प्रश्रय देने वाली हो और श्रीमन् जिस प्रदेश में मुरादाबाद की ईदगाह में आज भी उन मासूम बच्चों की चीत्कार गूंज रही है। श्रीमन् इस विधान सभा सत्र में जितने सारगर्भित विषय नियम 56, नियम 51, नियम 301 के अन्तर्गत विरोधी पक्ष ने उठाया हो, श्रीमन् वह भी अपने में एक इतिहास है। मैं तो श्रीमन् यह भी कहूंगा कि जिस शालीनता से इस विपक्ष के गुस्से को आपने शान्त किया, वह भी अपने में एक इतिहास है। श्रीमन्, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ नियंत्रित है। श्रीमन् आपको याद होगा कि नरायनपुर के कांड की वजह से जहां पर एक बुढ़िया की मृत्यु हुई थी, पुलिस वालों ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था, श्रीमन्, इस प्रदेश की बहुमत की सरकार को हटाया और विधान सभा को भंग किया गया। श्रीमन्, आज अनेक हृदय विदारक घटनाएं रोज होती चली जा रही हैं, लेकिन कोई ध्यान उधर नहीं दिया जा रहा है। श्रीमन्, उस समय इन्होंने बड़ी दुहाई दी थी नरायनपुर की नैतिकता की। माननीय मुख्य मंत्री जी, वह नैतिकता कहां चली गयी और यह मैं कहूंगा, मुझे दुख से कहना पड़ता है कि जो इन सब के बावजूद यह मंत्रिमंडल चिकने घड़े की तरह बेशर्मी से सिर ऊंचा किए बैठी है और कहती है कि सब नियंत्रित है। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि जो मैंने "मोरेलिटी" की बात कही, तो मैं ही गलती कर गया, मुझे कहना नहीं चाहिए था, क्यों नहीं कहना चाहिए था। क्योंकि अभी हाल में इत्यादि इस प्रदेश की सरकार ने शिक्षा संस्थाओं के एक नैतिकता के विषय के कुछ कार्यक्रम के बारे में श्री जी0 डी0 शुक्ल की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की श्री जी0 डी0 शुक्ल इस प्रदेश के महानतम निकृष्ट व्यक्ति हैं। इस प्रकार से इस सरकार ने तो भावी जनरेशन को भी खराब करने का काम किया है। मैं ऐसा फिर अनुभव करता हूं कि राजा विश्वनाथ प्रताप जी के राज्य में हिन्दुस्तान की पुरानी संस्कृति और सभ्यता उल्टी हो रही है और जो बातें पहले अनैतिकता की मानी जाती थीं, वे अब नैतिकता की बातें मानी जाती हैं। बहुत से लोगों ने इस्तीफे की बात कही। मैं इनसे इस्तीफे की बात करके अपनी जुबान को खराब नहीं करूंगा।

बहुत सी बातें कही जा रही हैं कानून व्यवस्था के बारे में। मैं फिर कहूंगा कानून व्यवस्था के बारे में---जो स्थिति इस प्रदेश की है, उसे जुबान से और भाषा से व्यक्त नहीं किया जा सकता। आंकड़ों के जाल में मत फंसाइये आइये प्रदेश के जन-जीवन के जाल में, क्या इस प्रदेश का साधारण नागरिक अपने जीवन को सुरक्षित समझ रहा है, अगर आप यह अनुभव करें कि हर नागरिक

अपने जीवन को सुरक्षित समझ रहा हूं, तो आपकी कानून व्यवस्था के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न को राजनीतिक मत बनाइये, लीडर्स, विरोधी दल या सत्ता पक्ष का मत बनाइए। विरोधी पक्ष ने कई बार, उधर के नौजवान सदस्य हैं बाजपेयी जी, कई बार जब उन्होंने इस प्रश्न को उठाया तो हमने समर्थन किया, इसलिए नहीं किया कि हम सत्ता पक्ष में कोई दरार डालना चाहते थे, बल्कि इसलिए किया कि वह जन-जन की आवाज थी। मैं सत्ता पक्ष के लोगों से कहूंगा कि हो सकता है कि अनुशासन के नाम पर वे यहां जिक्र न करें लेकिन पार्टी मीटिंग में कह दिया कीजिये। शायद प्रशासन सुधार की दिशा में कुछ किया जाय।

श्री मुईद अहमद--

माननीय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मोहन सिंह--

यह इस सदन के एक घोषित प्राणी हैं।

(हंसी)

श्री मुईद अहमद--

माननीय, मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या नेता, विरोधी दल के ऊपर कोई मर्डर का मुकदमा चला था ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मेरे दोस्त ने अच्छा कह दिया, मैं अन्त में इस बात को जरूर कहूंगा। पिछली बार माननीय गृह राज्य मन्त्री ने और उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी एक अखबार "करंट" का हवाला दिया था। मैंने उसी समय कहा था कि इसकी इन्क्वायरी सी० बी० आई० से हो चुकी है। चूंकि मामले की जानकारी आपको है और सरकार आपकी है, मैं चाहूंगा कि आप इसकी जांच करें। यदि मेरे खिलाफ कोई जांच कराई है तो यह भी बतायें कि उसका निष्कर्ष क्या है। इसलिये मैं तो कहूंगा कि यह अच्छी उन्होंने याद दिला दिया।

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि राजभवन से तलवार की चोरी हो गयी। राजा ही चोरी करें तो न्याय कौन करे। यह देहाती कहावत है। श्रीमन्, यह जो मैंने कहा है वह यदि नियमों में न हो तो मैं वापस ले सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप समझते हैं कि नियमों में है कि नहीं ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

भीमम्, यह जरूर दुर्भाग्य रहा है कुछ मामलों में [×××] ।

श्री अध्यक्ष--

महामहिम राज्यपाल से सम्बन्धित बातें यहां न कहें ।

श्री वर्म सिंह--

व्यवस्था का प्रश्न है कि राज्यपाल के बारे में यह यहां कैसे कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने तो यह पहले ही कह दिया है और स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिया कि राज्यपाल के सम्बन्ध में कोई बात यहां न कहें ।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेनी--

मान्यवर, जो उन्होंने कहा है उसको वापस करायें या यह नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, यह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन प्रश्न एक बात का है । राजभवन से तलवार चोरी हो गयी । उस समय आया कि यह शाह ने दिया था जो रत्न जटित थी, सोने की थी और 8 किलो की थी । लेकिन उसके दूसरे दिन बयान आया कि नहीं वह तो जस्ते की तलवार थी । यह अखबारों में पढ़ा लेकिन यहां उसका कंट्राडिक्शन नहीं आया कि वह तलवार जस्ते या रांगा की थी । उसके बाद हुआ कि वह तलवार मिल गयी छत पर और तलवार का कवर झाड़ी में मिला । इसलिये शंका का प्रश्न है कि एक सप्ताह में चोरी गयी और मिल गयी लेकिन यहां कि पुलिस या सी० आई० डी० विभाग ने राजभवन की या वहां के लोगों की तलाशी क्यों नहीं लिया जब कि उनके पास कुत्ते भी हैं । इसलिये मुख्य मंत्री जी भले इस पर विश्वास कर लें लेकिन जनता को कैसे विश्वास होगा कि राजभवन से नाटकीय ढंग से तलवार चोरी गयी और नाटकीय ढंग से

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

फिर मिल भी गयी। इसलिए मैं चाहूंगा कि जांच के लिये उस पर कुछ आना चाहिये।

श्रीमन्, बेहमई कांड बड़ा घृणित हुआ है। यह कांड उन एस० एस० पी० महोदय के समय में हुआ है जिनके समय में मुरादाबाद कांड हुआ था। शायद मुसलमानों के खून को शांत करने के लिये उनको यहां भेजा है। मैं नहीं समझता कि यह घृणित कांड कैसे हुआ इसकी जितनी भी निंदा की जाय वह थोड़ी है। लेकिन जैसा अखबारों से पढ़ा वह यह है कि वहां थोड़ी दूर पर पी० ए० सी० की टुकड़ियां मौजूद थीं, तीन किलोमीटर की दूरी पर। इसलिये वह आ सकती थी लेकिन पी० ए० सी० नहीं आयी। बयान आया कि पी० ए० सी० के खिलाफ इंक्वायरी और ऐक्शन होगा लेकिन फिर रिसेन्टली अखबार में पढ़ा कि राज्य गृह मंत्री ने कह दिया कि कोई ऐक्शन की जरूरत नहीं है। इसलिये शंका हो गयी कि क्या घोटाला है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस पर भी कोई तथ्य सामने आना चाहिये।

[समय 2 बजे अपराह्न]

श्रीमन्, मैं यह कहूंगा कि जो दस्यु उन्मूलन का कार्य तेजी से आपने किया है वह प्रशंसनीय है इसको इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतना लेट क्यों हुआ यह दस्यु नये नहीं हैं यह तो पुराने हैं। बेहमई काण्ड से यह चीज आपके दिमाग में क्यों आई की गजब हो रहा है। आपको फोर्स वहां पर मौजूद थी अन्टी डक्योटी के लोग थे लेकिन ऐक्शन क्यों नहीं हुआ ? आई० जी० को हटा दिया माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत होशियार हैं जब सत्ता में आने की आवश्यकता पड़ी तो बैंकवर्ड के व्यक्ति को आई० जी बना दिया सिर्फ नाम का और पूरा शासन के० डी० शर्मा को दिया। जब बाद में पता चला कि के० डी० शर्मा का एलायन्स त्रिपाठी जी से है तो उनको दूर किया और अब आई० जी० को हटा दिया। लेकिन जब सरकार महसूस करती है कि आई० जी० की जिम्मेदारी है तो आपको नैतिकता के नाते कहना नहीं चाहिये, लेकिन गलती से कह जाता हूं आपकी भी जिम्मेदारी थी जिस तरह से पहले आपने त्यागपत्र का नाटक किया था आप दुबारा और कर देते तो आपकी लांग आफ लाइफ और बढ़ जाती।

श्री मोहन सिंह--

अब की बार खतरा था कहीं सच न हो जाय।

श्री त्रिवेनी--

जैसे बकवास शब्द असंसदीय है वैसे नाटक-भी असंसदीय है मेरा विरोध है आप कहें कि इसको वापस लें।

श्री अध्यक्ष--

मैं सभी से यह चाहूंगा कि इतना परिष्कृत शब्द बोलें कि यह प्रश्न न उठ कि यह संसदीय है या असंसदीय। मैं चाहूंगा कि इतना ध्यान रखें, बहरहाल नाटक शब्द असंसदीय कर देंगे तो बड़ा कष्ट होगा बोलने में।

श्री मोहन सिंह--

इनका नाटक बन्द हो जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

त्रिवेनी जी बेकार हो जायेंगे, नाटक को असंसदीय बना देने से ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मुस्तकीम मारा गया । किस तरह मारा गया । मैंने अखबार में पढ़ा कि गांव वालों ने पकड़ा था पुलिस ने नहीं पकड़ा जो एस0 आई0 महोदय थे वह नहीं पकड़ पाये । मैं चाहूंगा ऐसा कहा जाता है कि उसके पास धन था जो नहीं शो किया गया ।

श्री मोहन सिंह--

80 हजार ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

ठीक है मैं नहीं कहूंगा । लेकिन जब गांव वालों ने पकड़ा तो जो घोषित रिवार्ड था वह गांवों के आदमियों को मिलना चाहिये था पुलिस को नहीं । माननीय मुख्य मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं । एक हैं श्री लाल मणी जी होमगार्ड कम्पनी 7 भदोही में हैं । उन्होंने एक कुन्तल, 60 किलो चांदी को स्टेशन पर पकड़वाया था और सिविल पुलिस के हवाले कर दिया, उस पर कुछ इनाम सिविल पुलिस ले गयी । जिस शख्स ने चांदी पकड़वायी थी उसने काफी भाग-दौड़ की है ।

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

यह कहां के हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं आपको भेज दूंगा, यह भदोही के हैं । अगर यह सही है, जहां तक मैं समझता हूं कि सत्य है तो जो इनाम गलत बयानी करके सिविल पुलिस ने ले लिया है वह इस होम गार्ड के व्यक्ति को मिलना चाहिये । दुर्भाग्य की बात यह है कि आप कहां तक सुधारेंगे । कोई अतिरिक्त जिलाधिकारी, नगर वाराणसी हैं, उन्होंने लिख दिया, 28 अप्रैल, 1980 का लेटर है, इस व्यक्ति को लिखा है कि तुम झूठ कहते हो, गलत कहते हो यह चांदी चोरी की नहीं थी । लेकिन श्रीमन्, जैसी मुझे सूचना मिली है कि सिविल कोर्ट से अभी 2 लाख 60 हजार का जुरमाना, जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के यहां ज्ञानपुर से इस व्यक्ति पर जो चांदी लेकर जा रहा था, जुरमाना हुआ है । यह सेठ कैलाश नाथ पुत्र श्री धनिक लाल, रेजीडेंट आफ जौनपुर है । तो मैं चाहूंगा कि आप इसे देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है । जिसने चांदी पकड़वायी है उसको इनाम मिलना चाहिये, रिवार्ड मिलना चाहिये गलत तरीके से पुलिस को नहीं मिलना चाहिये । श्रीमन्, इस समय एक एस0 ओ0 जरिय है, वह एस0 ओ0 कुरारा में थे । तो छुट्टी से वापस आने पर अपने भाई को 30-कारबाइन राइफल से उन्होंने फायर कर दिया जिससे एक व्यक्ति मर गया । उन्होंने उल्टे ही इस आदमी के घर वालों पर

झूठा केस लगा दिया । सी0 आई0 डी0 ने जांच की और पाया कि जो उन्होंने एफ0 आई0 आर0 लाज कराई थी वह झूठी थी और उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो गया । आप कम से कम ऐसे व्यक्तियों को थाने का चर्ज न दें तो अवश्य ही सुधार की दिशा में कदम हो सकेगा यह मेरा आग्रह है ।

श्रीमन्, बहुत सी चीजें इसी सम्बन्ध में आ रही हैं । आगरा में विस्फोट हुआ, मैं लांछन की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कहना जरूर चाहता हूं कि आगरा में इतना बड़ा विस्फोट हुआ और इतना बड़ा भंडार मिला मिलिटरी के बम्स आदि का, इस विस्फोट में कई जानें गयीं । आपकी सी0 आई0 डी0 क्या कर रही थी । मैं इतना चाहूंगा कि इसको थोड़ा टाइट करने की आवश्यकता है । जब कृत्य हो जाय तो सी0 आई0 डी0 कोई कार्यवाही करें तो उससे उसको नहीं जाना जायेगा । पेपर में निकला है कि एक करोड़ के मिलिटरी के सामानों का घोटाला इत्यादि होता है । पिछले दिनों जालौन में एक इन्काउंटर हुआ । 130 राउंड फायरिंग हुयी और पुलिस वालों ने केवल 30 खाली खोखे दिये । ऐसा तो नहीं है कि पुलिस के जवान भी कहीं गलत हैं, मैं पुनः कहता हूं कि जिस तरह से समाज में अच्छे और बुरे व्यक्ति मौजूद हैं उसी तरह से पुलिस में अच्छे भी लोग हैं और गलत भी व्यक्ति हैं । तो 100 खोखे क्यों गायब हो गये, इससे शंका होती है कि पुलिस वाले डकैतों को आर्म्स और एम्यूनीशन देते हैं । आगरा में जो घटना हुयी वह बहुत बड़ी घटना है, यह ठीक है कि वह गवर्नमेंट आफ इंडिया का इश्टैब्लिशमेंट है लेकिन जब आपके प्रदेश में इस्टैब्लिश है तो पूरा दायित्व सिक्योरिटी का आपका है । यह चीजें क्यों हो जाती हैं । इस सम्बन्ध में भी आप देखिये । मान्यवर, एक छात्र चंदेल थे उनकी मृत्यु हुई । उनको दिन दहाड़े मार दिया गया और कहते हैं कि कानून और व्यवस्था कंट्रोल में है ।

श्रीमन्, इसी तरह की दो और घटनाएं मैनपुरी जनपद में हो चुकी हैं । पहली घटना में एक परिवार के 6 लोग मार दिये गये और दूसरी घटना में से 8 लोग परिवार के मारे गये । मैं मानता हूं कि आर्थिक व्यवस्था का भी मामला है, इसको मैं डिनाई नहीं करता लेकिन फिर भी आपको सोचना पड़ेगा कि आर्थिक फ्रंट पर भी आप क्या कर रहे हैं । यह सारी की सारी जगलरी है। क्राइम्स नोट नहीं होते । यह कैसे भी होता हो । मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंच गया हूं कि लोग खुले रूप में मनमाने ढंग से अपराध कर रहे हैं और कोई देखने सुनने वाला नहीं है । प्रोडक्शन की बात करते हैं । प्रोडक्शन के बारे में डी0 एम0 लेबल पर हो यह होता है कि अगर फसल अच्छी हो गयी तो कह दिया कि 10 परसेंट बढ़ा दें और अगर सूखा आदि पड़ गया तो कह दिया गया कि 5 प्रतिशत कम कर दें । यह सारी झूठी फीगर्स वहीं बन जाती हैं ।

श्रीमन्, इसी तरह की बहुत सी बातें हैं, कहां तक बतायें । आप देखें कि 19 मार्च के पेपर में निकला है कि एक युवक ने कैसरबाग थाने में 5 घंटे की भीतर तीन बार कहा कि मेरी जान खतरे में है, कुछ बंदोबस्त करने की कृपा करें, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई और वह उसी दिन मौत का शिकार

[श्री राजेन्द्र सिंह---]

हो गया । क्योंकि जब यह प्रश्न अभी हुआ श्री ए० यू० सिद्दीकी का, चूंकि वह एक पत्रकार थे, इसलिए उनका मामला जल्दी ही सबके सामने आ गया लेकिन एक गरीब आदमी का मामला जल्दी लोगों के सुनने में नहीं आ सका और उसके लिए हम लोग अभी तक कुछ नहीं कर सके तो श्रीमन् मैं कहूंगा कि ऐक्शन जब तक सख्त नहीं होगा, यही होता रहेगा और जब तक कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा, ऐसे ही मामले सामने आते रहेंगे । इसके लिए बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है । यह तो श्रीमन् अभी की चीजें हैं । पुलिस द्वारा जो अत्याचार हो रहे हैं, इनके बारे में बहुत सी बातें हैं । माननीय मुख्य मन्त्री जी कृपया अभी जरा बैठे रहें, अभी बहुत सी बातें आपके बारे में भी हैं । मेरठ के अन्दर ट्रक ड्राईवर की मृत्यु हो गयी, ठीक है, इन्क्वायरी हो रही है । आपने ऐक्शन भी लिया है । हमने इस पर क्वैश्चन उठाया । माननीय मन्त्री जी ने इस पर कई सबूत मांगे । अब माननीय मुख्य मन्त्री जी से हमारा कहना यह है कि अब यह जो घटना घटी, उसको आप प्रतिष्ठा का विषय न बनाइये । अगर बागपत वाले मामले पर अपने प्रतिष्ठा का विषय न बनाया होता और अधिकारियों का ट्रान्सफर स्वतः कर दिया होता तो उस पुलिस अधिकारी, श्री नरेन्द्र सिंह की मौत नहीं होती । इसी तरह से इस मामले को भी प्रतिष्ठा का विषय न बनायें और मामले की जांच निष्पक्षता से हो तो सारे तथ्य निकल सकते हैं । आप कहते हैं कि हम बहुत इफेक्टिव हैं, फलां मामले की रिपोर्ट 24 घंटे के अन्दर दे दी और फलां मामले की रिपोर्ट दो दिन के अन्दर दे दी, तो क्या इस मामले की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर नहीं दी जा सकती थी, तो फिर इस ट्रक ड्राइवर की मृत्यु के बारे में इतनी देर क्यों हुई ? मैं आपको बता दूं कि वहां का एस० एस० पी० आपको हयुमिलेट करना चाहता है । मैं आपको साफ-साफ बताना चाहता हूं कि वह आपकी सरकार को बदनाम करना चाहता है, इसलिए ऐसे काम कर रहा है । इसलिए मैं चाहूंगा कि इस की जानकारी शीघ्र करा लें । एम० यू० सिद्दीकी के बारे में तो सदन में काफी चर्चा हुई और आपने इस पर आश्वासन भी दे दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूं साथ ही इस बात की भी मैं आपसे आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस पर भी आज ही कोई आश्वासन देंगे ।

जब सदन की यह भावना थी, माननीय अध्यक्ष ने किसी न किसी तरह से अपनी भावना व्यक्त करने की अनुमति दी, लेकिन इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री जी मैं कहता हूं कि आप अपने डिसीजन पर अड़े रहे और कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगर आपने नहीं कहा तो मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं होगी इस समय कहने की, हो सकता अपने उत्तर में आप हमें कुछ बतायें ।

श्रीमन्, बातें तो बहुत कुछ हैं पर अभी मैं केवल एक बात पर आता हूं, मैं बाद में और बातें कहूंगा, इस समय तो मैं कहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी एक भावना बनी चली जा रही है साधारण नागरिक की कि उसकी सिविल पुलिस से आस्था हटती चली जा रही है । जितनी भी घटनायें होती हैं, हर व्यक्ति चाहता हूं कि उस घटना की इन्क्वायरी सी० आई० डी० के द्वारा हो । यह मैं जानता हूं कि हर घटना की इनक्वायरी सी० आई० डी० से हो पाना सम्भव नहीं है, हर एक की इन्क्वायरी सी० आई० डी० द्वारा नहीं हो सकती है क्योंकि उसकी इनक्वायरी बहुत लम्बी चलती है । सिविल पुलिस के बारे में मैं चाहूंगा, आपको प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्द्रा गांधी ने भी कहा है कि सिविल पुलिस से जनमत की आस्था हट रही है । इसके दो पहलू हैं । कहीं-कहीं प जहां

सिविल पुलिस अच्छा काम करती है, वहां कुछ चतुर और चालाक लोग उच्च अधिकारियों के पास आकर, राजनैतिक नेताओं से दबाव डलवा कर मामले को डिले कराने का प्रयत्न करते हैं। यह होता है। अलीगढ़ में थाना ढाढे में एक पीढ़ल गांव है, वहां पर प्रताप सिंह को 27-28 फरवरी को डाकुओं ने मार डाला और मारकर लाश को डकैतों ने गायब कर दिया। श्रीमन्, दस दिन के बाद उसकी लाश एक कुंयें से मिली। पोस्टमार्टम के लिये लाश गयी। जब पोस्टमार्टम हो गया उसके बाद घर वाले लाश का क्रिया कर्म करने दफनाने के लिये ले जा रहे थे तो डाकुओं ने फिर लाश को छिपाने का प्रयत्न किया। लाश के साथ पुलिस गार्ड मौजूद थे इसलिये डाकू लाश नहीं ले जा सके। एक लड़का है, एक व्यक्ति है जो इस घटना से सम्बन्धित है सारे अरेस्ट हो चुके हैं। भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख हैं लेकिन हुआ क्या। जैसा कि मैंने पहले कहा नरेन्द्र कुमार जी के लिये, क्या उन लोगों ने मार-पीट की थी? इस तरह से अगर इमीडिएट ऐक्शन होगा हर जगह यदि हर जगह इमीडिएट ऐक्शन होता तो उसकी जान नहीं जाती इस केस में सिविल पुलिस ने अच्छा काम किया, क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया क्योंकि वह सत्ता पक्ष से सम्बन्धित थे। हम सिर्फ इतना चाहेंगे श्रीमन्, आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से कि इसके लिए चाहे इन्हें एस0 पी0 को, एस0 एस0 पी0 को या डी0 एस0 पी0 से यह पूछ लें कि जो एक्शन वे ले रहे थे उससे क्या वे सैटिसफाइड थे। तमाम हमारे लोग मारे गये, हमने कुछ नहीं कहा। जब हमने यह सुना तो हमने कहा कि पुलिस ठीक कर रही है, सही आदमी को अरेस्ट कर रही है। तो हमारे कहने का असर यह हुआ कि मामला लम्बा कर दिया गया। सरकार ने यह सब ऐक्शन स्वयं बताये।

श्रीमन्, इसी तरह से एक नई परम्परा राजा साहब ने इस प्रदेश में डाली है। पहले भी था अभी अभी बखूबी आपने उसका बयान भी किया कि 1300-1400 लोगों का इनकाउन्टर किया गया। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि तीन-चार डकैत मार दिये गये। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी आपसे जानना चाहता हूं कि जो तीन-चार लोग मरे हैं इनमें से इस प्रदेश के अन्दर कितनों पर आपका इनाम घोषित है मैं यह प्रश्न आपसे करना चाहूंगा, इसका उत्तर आपसे चाहूंगा। जब कल आप उत्तर देंगे तो मैं अपने इस प्रश्न का उत्तर आपसे चाहूंगा और यह भी कि जो 1400 आदमियों का इनकाउन्टर किया गया है और जो डकैत व्यक्तियों को आपने मारा है इनमें से कौन-कौन से व्यक्तियों पर इनाम की घोषणा की गयी थी। जिन पर आपने इनाम घोषित किया उसमें से कितने मारे गये। कितने जिलों में ऐसा हुआ है। मैं तो अनुभव करता हूं कि यह तरक्की का एक मध्यम है, उसको अच्छा चार्ज देने का प्रलोभन इन हत्याओं का करके दिया जा रहा है। श्रीमन् कुछ टेलीग्राम्स आये हैं मेरे पास। वे व्यक्ति मारे गये। ऊदल का एक प्रश्न इसी सदन में आया था इटावा का। पुलिस ने पकड़ कर मारा। मैं चाहूंगा कि गृह राज्य मन्त्री स्थानीय निरीक्षण के लिये चले जायें, मैंने उसको देखा है। इटावा का ऊदल मारा गया है, अछल्डा थाने में। बयान में यह कहा गया कि स्थानीय पुलिस पोजीशन लिये बैठी थी। पुलिस

[श्री राजेन्द्र सिंह---]

विभाग के उच्चाधिकारी बैठे हैं, जिस साइड से गोली चली उस तरफ पुलिस को छिपने का कोई जरिया नहीं है। इससे यह बात गलत साबित होती है। मैं समझता हूं कि मुख्य मन्त्री जी को सूचना आ गई होगी अछलदा में सभा थी बहुत बड़ी। पुलिस ने लाउडस्पीकर से एनाउन्स कराया कि मीटिंग नहीं होगी, अगर एक आदमी जायेगा तो गोली चलेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आप रिकार्ड उठा कर देख लें, रिकार्ड बता देंगे, यह तो हो सकता है कि मुख्य मन्त्री से हटने के बाद आप का इनकाउन्टर हो जाय, मेरा हो जाये। तो पुलिस ने मीटिंग न करने के लिये एनाउन्स किया। मैं चाहता हूं कि आप तथ्य को पता लगायें। बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी, एक स्वर से लोगों ने कहा कि अन्याय हुआ है, मैं परसों फिर वहां गया था। उसके भाई पर कातिलाना हमला करने के लिए कांग्रेस (आई) के ब्लाक प्रमुख ने 7 फायर किये। डी0 एम0 से पूछ लें। 30 कारबाइंस से किये गये। होली के एक दो दिन इधर उधर की बात है। अब चूंकि बात चल गयी है तो मैं बता देना चाहता हूं, लोगों ने टेलीग्राम दिये हैं, मैं वह कारतूस खाली मुख्य मन्त्री जी को पहुंचा दूंगा, मोहन सिंह जी को दे रखे थे नियम 52 में उठाने के लिए। एक गोरखपुर से टेलीग्राम है। गोरख यादव का। गोरखपुर से सिकरीगंज का कि सुरेश यादव को सिकरीगंज की पुलिस जान से मारने के लिए पकड़ कर ले गई। यह दुकको पुरा का निवासी था। एक रामपुर का है मुन्नी देवी का कि मेरे भंनुई नत्थू सिंह पुत्र गज्जू सिंह ग्राम सहासा को भमौरा पुलिस बरेली ने साढ़े चार बजे रामपु से पकड़ा है मुझे खतरा है कि इसे जान से न मार दें। एक टेलीग्राम है जिलाधीश मैनपुरी, पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी के नाम चन्द्र पाल सिंह का। केशव उर्फ टोनी अभी समय 12·45 बजे पुलिस पकड़ ले गई। श्रीमन्, यह टी0 बी0 का मरीज है और अदालत आया था तारीख पर। जैसे ही बाहर निकला पुलिस पकड़ ले गई। यह 17 साल का युवक है। उनके वकील के मुहर्रिर ने टेलीग्राम दिया था। इसका इनकाउन्टर तीसरे दिन कर दिया गया।

श्रीमन्, इसी प्रकार नरेन्द्र कुमार कृषि स्नातक को दिनांक 24-11-80 को शाम 6 बजे मुजफ्फरनगर राडवेज बस स्टैंड से दिन दहाड़े कोतवाली सब-इन्सपेक्टर श्री सुरेन्द्र सिंह धोगरी तथा अन्य पकड़ कर ले गये। वहां पर मान्यवर, एक मेट्रो रेस्टोरेन्ट है। उस में आग लगी हुई थी और सी0 ओ0 वहां बाद का दृश्य देख रहे थे उन्ही की जीप में उसको ले जाया गया। बाप रोता चिल्लाता रह गया। यह खबर वहां के दैनिक बुलेटिन में भी छिपी। पता लगाने पर पुलिस ने कहा कि हमने गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन उसी दिन उसका इनकाउन्टर कर दिया गया। यह ऋषिपाल सिंह पुत्र श्री आशा राम का लड़का था। ग्राम व पोस्ट भैंसी, थाना मंसूरपुर का। मैं पूछना चाहूंगा कि आप इसका पता लगाये। आखिर पुलिस ऐसा क्यों कर रही है। आप ऐक्शन नहीं ले रहे हैं, स्थानान्तरण नहीं कर रहे हैं, क्या शर्म लगती है। जब मैं कहता हूं कि मैंने देखा है, आई0 जी0 जायें, राज्य मन्त्री गृह जायें, किसी सदस्य को मान्यवर, आप भेज दें, मैं चलने को तैयार हूं, आप पता लगायें कि तथ्य क्या है। श्रीमन् इसमें किस्सा क्या है बी0 एस0 सी0 में पढ़ता था यूनियन का चुनाव आया, नवजवान लड़का था, एक पुलिस वाले से गरमा गरमी हो गई तो पुलिस वाले ने 10-15 दिन बाद उसको एक केस में बन्द कर दिया और थोड़े दिनों बाद एक दूसरे केस में कर दिया और उसको एक ऐसा डकैत बना दिया और एनकाउन्टर करके कोई उसका पता नहीं है। श्रीमन् इसी तरह से एक घटना बहुत आपके नजदीक सीतापुर में हुई जिसमें एक लड़की को गोली मारी गई। यह "अमृत प्रभात" 17-2-81 में निकला है।

संख्या 3—मंत्रि परिषद, अनुदान संख्या 17—सचिवालय, अनुदान संख्या 18—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 19—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 20—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 25—गृह विभाग (पुलिस) अनुदान संख्या 29—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 30—नागरिक सुरक्षा, अनुदान संख्या 37—विज्ञान और प्रौद्योग विभाग तथा अनुदान संख्या 81—गृह (पुलिस विभाग) पूंजीगत परिव्यय

माननीय त्रिपाठी जो हंस रहे हैं, हो सकता है मेरी बात गलत हो लेकिन यह बात कही गई है और मैं चाहता हूं श्रीमन् यहां जैसा मैंने अनुभव किया है। इस सदन के अन्दर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं एक तो श्री ललसा प्रसाद जी हैं, बाजपेई जो, हैं जो मेरी परफारमेन्स को समझ रहें हैं। मैं चाहता हूं इन्हीं को कमेटी बना दीजिये और जो भी यह निर्णय देंगे हम मान लेंगे। हम जानते हैं कि आपको निकाला तो जायेगा ही बाजपेई जी इसलिए कुछ करके निकलिए। हां, तो मैं कह रहा था सीतापुर की घटना उसको साड़ी से बेलबाटम पहनाया गया, यह सब इसमें निकला है मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। इस प्रकार के अनेकों एनकाउन्टर्स हो रहे है। यह अति गम्भीर विषय है माननीय मुख्य मन्त्री जी इसमें किसी के जीवन को खतरा हो सकता है, किसी भी समय।

मैं तो यह कहूंगा श्रीमन् और जहां तक मुझे ख्याल है मैंने पहले भी पिछली बार कहा था कि सहारनपुर में अलीगढ़ से दो नवयुवक 70 हजार रुपये ले कर गए थे टैम्पो खरीदने उनसे रुपये छीन लिया गया और टूटी साइकिल दिखा दी गई। मैंने इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी को पत्र भी लिखा था लेकिन आज तक हमको तो कोई जवाब नहीं मिला सूचना होगी कहीं। श्रीमन् सहारनपुर, मेरठ, इटावा, सीतापुर, गोरखपुर, देवरिया और बस्ती ऐसे जिले हैं कि श्रीमन् मैं तो चाहूंगा यहा के अधिकारियों को 302 के केसेज में कैद कीजिये। मुख्य मन्त्री जी अब काफी पानी सर से ऊपर जा रहा है, अगर इन अधिकारियों के खिलाफ आप नहीं चलायेंगे तो विपक्ष कभी आने पर इनको बख्शेगा नहीं। श्रीमन्, मेरे अलीगढ़ में एनकाउन्टर हुआ मैंने दो पत्र माननीय मुख्य मन्त्री जी को लिखे और आशा की कि कोई उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, कई महीने हो गए, बड़ा तेज प्रशासन है, बहुत तेजी से यह चल रहा है, हमें तो 4 महीने में कोई जवाब नहीं मिला कि इन्होंने क्या किया। जब पत्र आये तो अधिकारियों को हमसे भी पूछना चाहिए कि क्या हुआ। माननीय सदस्य हैं श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान उन्होंने मेरे साथ ही ऐडमिट किया है, जानना तो उन्हें पड़ेगा ही कि क्या सही था और क्या गलत था मैं फिर कहता हूं कि अपनी मीटिंग के अन्दर इस प्रश्न को उठायें। यह बहुत खतरनाक चल रहा है। किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। आज आप श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार है, हो सकता है कल कोई और आ जाय। इस तरह से सब के लिए खतरनाक है। बड़े खतरे पैदा हो जायेंगे, खतरे आपके हमारे लिए उतने नहीं जितने कि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए हो जायेंगे। आप कृपया उनको प्रतिबद्ध मत कीजिए प्रतिबद्ध करना चाहते हैं। नुकशान इनको उठाना पड़ेगा। छूरी खरबूजे पर पड़े या खरबूजा छूरी पर पड़े ऐसी परम्परा मत डालिए कि प्रशासनिक व्यक्तियों को कटिबद्ध होना पड़े या प्रतिबद्ध होना पड़े।

श्रीमन् इसके राजनैतिक हत्याओं को बाद में कहूंगा। एक या दो की नहीं। माननीय मुख्य मंत्री जी अभी चार हत्यायें हो गईं हमारे साथियों की भूतपूर्व और वर्तमान। सतीश चन्द्र शर्मा, श्री छेदा सिंह चौहान, बोरी, ब्रज वल्लभ, एम0 एल0 सी0 श्री उपाध्याय, पांच हत्यायें हुईं जहां तक मेरी सूचना है।

[श्री राजेन्द्र सिंह—]

श्रीमन्, छेदा सिंह चौहान के हत्या करने वालों में सत्ता पक्ष के विधायक का हाथ है। एफ0 आई0 आर0 में है। पुलिस जान चुकी है। लेकिन हमें सूचना यह है कि एम0 एस0 पी0, लखनऊ, कुछ रिश्तेदारों के सम्बन्ध की वजह से असमर्थ हो रहे हैं कोई हाथ डालने में। मुख्य मंत्री जी आप के पास 51 में एक सूचना आई होगी। यहां से 18 किलोमीटर पर एक गांव में नाम में भूल रहा हूं श्रीमन् वहां एक लड़की के साथ अनैतिक कार्य करने के लिए एक व्यक्ति ने चेष्टा की। माननीय मुख्य मंत्री जी आप के यहां 24 तारीख को एक हजार व्यक्ति आये थे। जब वे व्यक्ति वापस जा रहे थे तो शहर के अन्दर पुलिस और पी0 ए0 सी0 ने उनको पीटा और उन में से आठ व्यक्तियों को पकड़ कर देहरा एक्सप्रेस से डब्लू0 टी0 के चार्ज में चालान कर दिया। उनके दस्तखत आपको जो रिप्रिजेन्टेशन दिया था उन्होंने उसमें मौजूद हैं। एक निवेदन करना चाहूंगा। देहरा एक्सप्रेस वहां नहीं रुकती है, बाराबंकी रुकती है। गांव का नाम मैं बाद में बता दूंगा। क्या हो गया है आपकी पुलिस को। आप ईमानदार प्रशासन बता रहे हैं, बड़ा तेजी का प्रशासन, हर चीज में नियंत्रित बताते हैं। यह क्या हो रहा है। मैं चाहूंगा कि इस पर ध्यान दे दें।

श्रीमन् अब मैं चाहूंगा कुछ कारनामे अपने लोगों के, साथियों के श्रीमन् यह "आज" में 6 मार्च का इलेक्शन कमिश्नर श्री शकधर का बयान है। कहते हैं सत्ता में प्रभावशाली, चरित्रवान व्यक्तियों की आवश्यकता है वह भी महसूस करते हैं कि देश के इलेक्शन का एक अधिकारी यह महसूस करता है कि सत्ता में प्रभावशाली, चरित्रवान व्यक्तियों की आवश्यकता है। मैं इसको इलेबोरेट नहीं करता...

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

एक जानकारी चाहूंगा। यह कब दिया था शकधर जी ने, पिछले साल,...

श्री मोहन सिंह—

आप लोगों को देखने के बाद उन्होंने बयान दिया...

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैं भेज दूंगा। यह मार्च, 1981 का है। आपके शासनकाल में...

श्री ऊदल—

आपने कहा था कि जब बजट पेश करेंगे असेम्बली का चुनाव लड़ कर करेंगे, कहा था आपने और फिर आप आ गये दूसरे दरवाजे से...

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, मैंने अभी गांव की बात की थी। वह मोहनलालगंज थाने का गांव है कल्लो पश्चिम। यहां से 16 किलोमीटर दूर है। अपराधी विजय कुमार त्रिपाठी के यहां पर प्रश्रय पा रहा है। आप चाहें तो पुलिस भेजें। अपराधी वहीं मिल जायगा। भेज दीजिए किसी अधिकारी को देख लेगा नक्शा आप के लोगों का। श्रीमन्, हमारे गन्ना मंत्री जी हैं। वे देवरिया में खड्डा गये थे। जैसी मेरी सूचना है, मुझे तो सूचना ही मिल सकती है तथ्य तो आपको पता होगा, लेकिन मेरी सूचना के अनुसार उस चीनी मिल के मैनेजर ने कुछ अच्छा काम किया था

और प्राफिट में उस मिल को चलाया था। मुझे यह भी सूचना है कि चीनी निगम के और कुछ अन्य अधिकारियों ने भी आपको यह कहा है कि वे एक ईमानदार व्यक्ति थे वह गलत आदमी नहीं थे। उसके साथ हाथापाई हुई। रिपोर्ट में तो एक विधायक के साथ मारपीट दिखाई गई। लेकिन मंत्री जी ने उसे प्रतिष्ठा का विषय बनाकर यह कहा कि पिटाई मेरी हुई है इसलिये उसका निलम्बन न किया जाय, आप तो चाहते थे कि निलम्बित किया जाय लेकिन ऐसा नहीं किया गया...

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

मान्यवर, क्योंकि मेरी निजी जानकारी की बात उठाई गई है इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की कोई बात गन्ना मंत्री जी ने मुझसे नहीं कही।

श्री राजेन्द्र सिंह––

हो सकता है न कही हो, ठीक है लेकिन मेरी ऐसी सूचना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस मंत्री को अपने अधिकारियों के साथ हाथापाई करने की नौबत आ जाय उस मंत्री को मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं है और न ही वह उसके लायक है। ऐसी नौबत क्यों आई ? उस अधिकारी को ऐसा क्यों करना पड़ा ?

श्री मुईद अहमद––

मान्यवर, नेता विरोधी दल जो अपने भाषण में मिथ्या आरोप लगाते हैं, उसमें तथ्य नहीं होता और जब उसका स्पष्टीकरण भी हो जाता है तो इस तरह का भाषण देकर वे एक तरह से अपमानित करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से तो वे किसी को भी अपमानित कर सकते हैं। यह और आरोप लगा सकते हैं मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष––

कोई भी माननीय सदस्य यहां पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते है और ऐसा करने में कभी–कभी वह सख्त शब्दों में एक दूसरे के लिये आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं। यह अच्छा ही हो कि बहुत जानकारी के बाद ही कोई आरोप लगाया जाय। लेकिन ऐसा कहना कि इसमें व्यवस्था का प्रश्न पैदा होता है। ठीक नहीं है यह तो अभिव्यक्ति है जो एक दूसरे के बारे में कहा जाता है जिसका कि स्पष्ट करण हो जाता है।

श्री राजेन्द्र सिंह––

श्रीमन्, मैंने जहां प्रदेश की पुलिस पर कटु प्रहार किया है मैं इस अखबार से, क्योंकि अखबार ही हमारे पास एक माध्यम है और मुझे खुशी है, लेकिन अभी पिछले दिनों कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में जो कांड हुये हैं, उनके बारे में आपकी पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंच रही है कि उसने राजनीतिक लोगों और सत्ताधारी

[श्री राजेन्द्र सिंह---]

लोगों का हाथ रहा है और रहता है । मुख्य मंत्री जी यह समझ लें, यह आपके शासन काल में हो रहा है । मैंने पहले भी कहा था कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में सत्ता पक्ष के लोग जिम्मेदार हैं । रोज इंटरफेयरेंस प्रशासनिक कार्य में होता है । श्रीमन्, अभी-अभी यह प्रश्न सामने आया है कि कानपुर में एक मंत्री जी के रिस्तेदार उनके भतीजे ऐसे ही कृत्यों से सम्बन्धित हैं । मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में भी वह जानकारी कर लें । राजनीतिक जीवन के अन्दर प्राईवेट लाईफ और पब्लिक लाईफ में अन्तर नहीं होना चाहिये । इसलिए कभी-कभी जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो यह उनके हित में होगा यह कह दिया जय कि यह सही नहीं है। उस व्यक्ति विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं है । इससे आपका सम्मान बढ़ेगा क्योंकि सारे प्रदेश की जनता अखबार पढ़ती है वह भी निष्कर्ष निकालती है । कंट्राडिक्शन आता नहीं है शायद अब आये तो यह अच्छा होगा इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी ।

श्रीमन्, मेरे पास प्रमाण है एक माननीय सदस्य हैं सत्ता पक्ष के श्री हेमचन्द्र निमेष मेरठ के, उनका एक झगड़ा है मकान के एलोटमेन्ट के बारे में एक मकान 15-11-80 से जिसका नम्बर 54 एफ है जो सकेत के अन्दर है, जो जल निगम के नाम है । किसी प्राइवेट आदमी के पास नहीं सरकारी विभाग के पास है जिसका 15-11-80 से विभाग किराया भी दे रहा होगा । उस मकान के बारे में हमको सूचना है कि वे अपने कुछ साथियों को लेकर गये और ताला तोड़ कर सामान बाहर फेंक दिये । मेरे पास सूचना है कि एक दूसरा मकान नं0 54 ई0 उनके नाम एलाट है यह 7-3-81 का एलाटमेन्ट आर्डर है । इसका किराया 150 रु0 महीना है जो यह 54 एफ है । अगर कोई ऐसा प्रश्न है कि माननीय सदस्य 54 एफ और 54 ई0 दोनों ही एलाट करना चाहते हैं वह चीज अलग है । इससे पहले भी वह रहते थे जवाहर क्वाटर बेगम पुल में । हो सकता है आवश्यकता बड़े मकान की हो गयी हो और आपके नाम एलाट हो गया था तो आप माननीय मुख्य मंत्री जी से कह सकते थे कि यह मेरे पास एलाट हो गया है । इसलिए जल निगम का क्वार्टर वहां से हटा लें । इससे माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा बढ़ती, घटती नहीं । मेरे पास एलाटमेन्ट आर्डर की प्रति है उसमें जहां तक मैं फील करता हूं वह 54 इ है...

श्री दामोदर शर्मा---

एलाटमेन्ट हुआ है पजैशन नहीं लिया गया है ।

श्री राजेन्द्र सिंह---

मैं माननीय विधायक की बात स्वीकार कर लेता हूं लेकिन मैं यह चाहता हूं कि अगर इसमें डिस्प्यूट था तो आप अपने विभाग के अधिकारियों को बुलाकर कुछ पता लगा लेते...

(व्यवधान)

श्रीमन्, इसी तरह मेरे पास एक और सूचना है एक आपके श्री खुरशीद अहमद विधायक हैं उनके खिलाफ कम्प्लेंट की गयी थी । मुझे ऐसी सूचना मिली है माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पुलिस अधीक्षक बरेली श्री चक्रवर्ती से उसकी जांच कराई थी, वह जांच रिपोर्ट आ चुकी है । कृपया उसे निकाल कर देखने की कृपा करें । सिर्फ इतना पता है कि कोई शिकायत थी, आपने जांच भी कराई,

जिसकी जांच रिपोर्ट आ चुकी है, मैं चाहता हूं कि आप उसे देख जरूर लें। एक प्रश्न यहां पर आया था जब सिद्दीकी साहब के बारे में यहां पर आपका एक वक्तव्य आया था उसमें राजेन्द्र कुमार गुप्त ने एक प्रश्न किया था कि क्या ऐसा है कि इसमें पर्वतीय क्षेत्र के एक राज्य मंत्री जो के उनसे घनिष्ठ सम्बन्ध रहे हैं और उस सम्बन्ध में वहां लिखा-पढ़ी भी पाई गई है। उनके बारे में पत्रिका में भी निकला है, तो जहां तक हमारे सदस्य या मंत्री जी पर कोई बात आए तो उसका प्रतिवाद शीघ्रता से हो जाना चाहिये, इससे प्रतिष्ठा बढ़ेगी गिरेगी नहीं। कहीं गलतफहमी भी हो सकती है, लेकिन इसके बारें में कोई चीज आनी चाहिये। बहुत बार मुख्य मंत्री ने हरिजनों और गरीबों के बारे में कहा है, मैं एक ही तथ्य आपको बताना हूं कि आपकी पूर्ववर्ती सरकार ने सेवा मंडल (कोआपरेटिव) का अध्यक्ष एक हरिजन श्री गरीबदास प्रेमी को बनाया था। इस हरिजनों की हिमायती सरकार ने उसको हटाकर मिश्रा जी को लगा दिया है। आशा है आप इसको देख लेंगे। मैं एक बात माननीय कृषि मंत्री जी से कह रहा हूं, लखनऊ हेडक्वार्टर पर आपकी पूर्ववर्ती सरकार ने एक हरिजन को डिप्टी डायरेक्टर मुकर्रर किया था, लेकिन चूंकि यहां हेडक्वार्टर पर बड़े-बड़े अधिकारी, सभी प्रकार के अधिकारी सवर्ण आते हैं और इनको उनकी आवाभगत करनी होती है, इसलिए यहां हरिजन कैसे रहता, वह हटा दिए गये। आप सोचिए कि क्या यह उनके हिमायती हैं। हेड क्वार्टर से उनको क्यों हटाया गया, इसकी जांच आप करा लीजिएगा।

(व्यवधान)

श्री बिहारी लाल--

आप हरिजनों के हिमायती हैं, यह तो कुमायूं का इतिहास बतायेगा। हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री रामनरेश यादव ने हमारे यहां 'कुमायूं के इतिहास' पुस्तक का विमोचन किया था, उसमें हरिजनों पर उन्होंने ऐसे आरोप लगाये थ ...।

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कुछ हरिजन अधिकारियों को हटाने की बात इस सरकार को कही थी, इनको तकलीफ हुई, मुझे भी इसका दुख है। इन हरिजनों को इनसे मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिये थी, इसका मैं भविष्य में ध्यान रखूंगा। आपने भूमि वितरण के बारे में बात की। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने शायद कोई पट्टा किया था ...

(व्यवधान)

लेकिन जो सरकार कार्य करती है, उसको जरूर बताया जाए कि फलाना काम सरकार ने किया था। श्रीमन्, बहराइच की भींगा तहसील में हरिजनों को जो एलाटमेन्ट हुआ था, उसकी रिपोर्ट आप मांग लीजिए और सदन में बता दीजिएगा कि आपने जो भी एलाटमेंट किया था, उन सब पर क्या वह लोग काविज हो गये। वहां पर एलाटी काविज हो गए हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है, यदि नहीं हुआ है

[श्री राजेन्द्र सिंह---]

तो आप खाली भाषणबाजी करना थोड़ा कम कर दीजिए। श्रीमन्, हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमारा प्रशासन बड़ा ही चुस्त है और कोई भी हथकड़ियों से बच नहीं पायेगा। हम भी यह सुनकर ताज्जुब में आ जाते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी यह भी कहते हैं कि हम प्रशासन को सुधारने में काफी महत्व दे रहे हैं। मैं कुछ चीजें सदन में उनके सूचनार्थ निवेदन करना चाहता हूं। एक श्री देश राज सिंह जी हैं, उनका इसी सदन के माध्यम से स्थानान्तरण किया गया और वहां से हटाया गया लेकिन वे घूम फिर कर फिर वहीं अपनी जगह दिल्ली, जहां पहले थे, चले गये। सुना है कि उन्होंने शराब पीकर कोई एक्सीडेन्ट किया था। यहीं नहीं उन्होंने और भी कई ऐसे क्राइम किए थे और आज फिर उन्हें दिल्ली में रेजीडेंट कमिश्नर के पद पर पोस्ट कर दिया गया है। मैं जानना भी चाहता हूं कि उनके विरुद्ध क्या ऐक्शन हुआ ? एक श्री ए० पी० सिंह हैं, उनकी यहां पर बड़ी चर्चा हुई थी। हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि कोई व्यक्ति उन्हें नहीं बचा सकता है। इसी सदन में एक सवाल भी आया था और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि...

श्री सुरेन्द्र कपिल---

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री ने यह कभी नहीं कहा कि कोई आदमी हथकड़ी से नहीं बच सकता है। उन्होंने ये शब्द केवल गुन्डों के लिए कहे थे ?

श्री अध्यक्ष---

इस समय सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं, अगर वे बताना चाहेंगे तो बतायेंगे। आप कृपया बैठें ?

श्री राजेन्द्र सिंह---

मैं कह रहा था कि उनका स्थानान्तरण एक जगह कर दिया तो ऐक्शन क्या हुआ ? जब आपको सूचना मिल गयी थी तो आपने इन्क्वायरी क्यों नहीं की यदि की तो क्या ऐक्शन हुआ ? वे ज्यों के त्यों वहीं के वहीं हैं।

एक श्री आर० बी० सक्सेना थे। अखबारों के जरिये मालूम हुआ कि वे यहां से सुरा-सुन्दरी के चक्कर में हटाये गये। मैं जानना चाहता हूं कि उनके विरुद्ध एक्शन क्या हुआ। यदि आप स्थानान्तरण से संतुष्ट हैं तो हम भी चुप हो जायेंगे। इसी प्रकार से उन्नाव के एक जिलाधिकारी ने अपनी बिलवेड के नाम से एक कालोनी बसा दी। लेकिन उनके खिलाफ हमने नहीं सुना कि क्या एक्शन लिया गया।

पिछली बार इसी सदन में मैंने एक चरित्र-पंजिका का एक इन्सपेक्टर का मामला उठाया था जो हाथरस में पोस्टेड थे। उसे उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ी गौर से सुना भी था लेकिन उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यदि हुई है तो वे सदन में बता दें। मैंने 3 नवम्बर, 1980 को माननीय मुख्य मंत्री जी एक पत्र भी लिखा और जैसा कि माननीय मोहन सिंह जी कहते हैं एक चिट्ठी-पत्री मंत्री, श्री निर्भय नारायण सिंह जी हैं, उनका उत्तर आया कि चरित्र-पंजिका का जो मामला आपने उठाया उसको वे देखेंगे। यह तो आपके हेडक्वार्टर का ही मामला है जल्दी ही उपलब्ध हो सकता है लेकिन 6 महीने से आपकी कागज पत्री चल रही है कोई कार्यवाही आज तक भी नहीं हुयी है। यह तो हालत है आपके प्रशासन और काम करने के तरीके की। इसी प्रकार से

संख्या 3—मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या 17—सचिवालय, अनुदान संख्या 18—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 19—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 20—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 25—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 29—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 30—नागरिक सुरक्षा, अनुदान संख्या 37—विज्ञान और प्रोद्योगिक विभाग तथा अनुदान संख्या 81—गृह (पुलिस विभाग) पूंजीगत परिव्यय

जिलाधिकारी हटाव। जब वे जौनपुर में पोस्टेड थे तो उनके विरुद्ध बिजीलेंस की एक रिपोर्ट आयी हुई है जिसमें कहा गया है कि जिला परिषद् की गाड़ी से इन्जिन को निकलवाकर अपनी गाड़ी में लगवा लिया था। इसके बारे में पिछली बार एक अ.पसूचित प्रश्न भी देने का प्रयास किया था। कल हमको बतला दें कि क्या यह तथ्य सही है, रिपोर्ट कब आई और वह किस जगह पर दबी पड़ी है। एक शराब की नीलामी के सम्बन्ध में एक जूनियर अधिकारी को आबकारी आयुक्त नियुक्त किया गया था। जब घुटाला पाया गया तो उस अधिकारी को आपने हटाया। शायद डी0 डी0 सी0 वाराणसी बना दिया। मैंने सुना है अधिकारी बहुत भाग-दौड़ कर रहा है। लखनऊ में अच्छे पद पर आने के लिये। जरा ध्यान रखने की कृपा करें।

(इस समय 2 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राजेन्द्र सिंह यादव पीठासीन हुए।)

माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में मितव्ययता की बात भी कही थी और आपने भी कही। मैं पहले भी कह चुका हूं और पुनः बतलाना चाहता हूं कि आपने प्रदेश में 39 सीनियर स्केल के आई0 ए0 एस0 की पोस्ट्स को क्रियेट कर दिया। उसके प्रोपोर्शन में क्लर्क और चपरासी की कितनी पोस्ट्स क्रियेट की गयी? एक खतरनाक बात की ओर इशारा करना चाहता हूं। चीफ डेवलेपमेंट आफिसर के नाम से किसी आई0 ए0 एस0 आफिसर को खपाने की एक योजना है। अलीगढ़ में एक प्रोजेक्ट आफिसर डिप्टी डायरेक्टर के रैंक का अधिकारी रहता है और एक चीफ डेवलपमेंट आफिसर भी वहां नियुक्त हो गये हैं। पिछले दिनों जिला कृषि अधिकारी, जैसी सूचना है, ने एक मुसलिम लड़की के साथ नाजायज गड़बड़ी करनी चाही। (व्यवधान) मुझे पता है मंत्री जी यह कहेंगे स्थानान्तरण हो गया। लेकिन मैं यह कहना चाहता था कि मैं अधिकारी के विषय में नहीं कह रहा हूं खतरनाक बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उसे सुनें। वहां दो कैंवजन्स हो गये हैं। वहां सी0 डी0 ओ0 आई0 एस0 एस0 है। कृषि अधिकारी तथा प्रोजेक्ट अधिकारी में आनाकाना है। कलेक्टर आई0 ए0 एस0 होता है। अब आई0 ए0 एस0, आई0 ए0 एस0 की बात सुनेगा। तो यह खतरनाक खेल हो रहा है। इससे आप अधिकारियों को बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन काम की नहीं। इस पर पुनर्विचार करें। यह एक खतरनाक खेल है जिस पर गौर करना होगा।

मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं। विजिलेंस एक बहुत अहम विभाग है अति आवश्यक जांचें विजिलेंस को दी जाती हैं। हो यह रहा है कि बहुत सी जांचों को अधिकारी विजिलेंस को दिलवा देते हैं। इसलिये लिखवा देते हैं क्योंकि विजिलेंस इंक्वायरी में लम्बा समय लगता है और प्रोमोशन आसानी से हो जाता है क्योंकि इंक्वायरी के बीच में प्रोमोशन नहीं रुकता। मेरा सुझाव यह है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इमीडियेट करा लिया करें, जो 15 दिन के अन्दर हो जाया करे ताकि प्राइमाफेसाई केस सेटअप हो सके और कम से कम उस आफिसर का प्रोमोशन रुक सके। वर्ना इस तरह से वह प्रोमोशन पाते चले जायंगे और रिटायरमेंट के करीब केस डिसाइड हो सकेगा।

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

श्रीमन्, इसके साथ ही मैं एक और बात सदन को अचम्भे में डालने वाली कह रहा हूं उसको सुनकर पूरे सदन को ताज्जुब होगा। हमारे ग्राम्य विकास मंत्री जी के पास रूरल इन्जीनियरिंग विभाग भी है और रूरल इन्जीनियरिंग विभाग के मुख्य अभियन्ता के पद पर एक असिस्टेंट इन्जीनियर की नियुक्ति कर दी गयी है।....

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

जो एस० ई० थे वे आफिशियेट कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हुई है।

[समय 3 बजे अपराह्न]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

(श्री मोहन सिंह से) जैसे कभी-कभी आपकी नियुक्ति हो जाती है। (हंसी)

श्री राजेन्द्र सिंह--

हमारे यहां तो कभी-कभी एक दो बार हो जाती है, आपके यहां तो रोज होती रहती है।

मैं यह कह रहा था कि एक असिस्टेंट इन्जीनियर रैंक के अधिकारी को जो पुराने डिपार्टमेंट में भी अभी अपने पद पर कन्फर्म नहीं है, उसे रूरल इन्जीनियरिंग जैसे महत्व के विभाग में एस० ई० बना दिया गया और फिर उसे चीफ इन्जीनियर बना दिया गया। (व्यवधान) मान्यवर, इनके यहां अधिकारियों की कमी नहीं है। आप डायरेक्ट नियुक्ति से वह पद भर सकते हैं। सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण विभाग में आपके यहां तमाम चीफ इन्जीनियर हैं और काफी योग्य अधिकारी हैं। हमारा काम तो जहां लेक्यूना है उसे बताना है, इसलिये हमने इसे बताया है कि आप इसे देख लें।

कुछ बातें मैं प्रोमोशन्स के बारे में कहूंगा। पुलिस के अन्दर आज बड़ी कुन्ठा व्याप्त है इस चीज को लेकर। हमारे मंत्रियों के पास और हम लोगों के पास भी शैडोज हैं। (व्यवधान) उनका अभी हाल ही में प्रोमोशन हुआ है। एक बात तो मैं यह बता दूं कि पिछले 20 वर्षों में इस पुलिस विभाग में एक भी हरिजन का प्रोमोशन नहीं हुआ और न ही किसी मुसलमान अधिकारी को प्रोमोट किया गया है (शेम-शेम की आवाजें--विरोध पक्ष से)।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

क्या इसमें आपका भी 3 साल का समय शामिल है।

श्री राजेन्द्र सिंह--

सब है।

(व्यवधान)

अभी जो 6 आदमी शैडोज में से प्रोमोट किये गये हैं उनमें 2 व्यक्ति तो सीनियारिटी से प्रोमोट हुए हैं, बाकी 4 में दो का ससुर और दामाद का हो गया और दो में--एक माननीय संजय सिंह के शैडो का हुआ और दूसरे माननीय मुख्य मंत्री जी के शैडो का हो गया। यह बहुत छोटी चीज है, मगर मैं आपको नोटिस

में ला रहा हूं, हो सकता है माननीय मुख्य मंत्री जी की नोटिस में यह बात न हो, इसलिए कह रहा हूं कि वे इसे देख लें । अगर कहीं गड़बड़ी हो तो उसे कृपया ठीक कर लें कि जूनियर आदमी का प्रोमोशन क्यों हो गया ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

यह परम्परा तो आपने डाली है ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

हमारे यहां ससुर दामाद हैं ही नहीं ।

श्रीमन्, इस तरह से अभी एक सेलेक्शन बोर्ड बैठा था, आई0 पी0 एस0 के लिये, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिये नहीं कहता, मैं यह चाहता हूं कि सब-आर्डिनेट अधिकारी के बारे में आप सोचें, अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो उसे कुण्ठा हो जायगी, तो आप इस चीज को देखिये कि ऐसा कैसे हो गया। मैं कह दूं 54 साल के अधिकारी को प्रोमोशन मिला, जो नियम में भी नहीं आता ।

एक सदस्य--

अब कल बोलियेगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं यही सोच रहा था कि कितनी दवाई इनको दे दें, जो हजम हो जाय ।

एक अन्य सदस्य--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । नेता विरोधी दल अभी कितना समय और लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिये, नेता, विरोधी दल का कोई समय निश्चित नहीं है ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

तो मान्यवर, मैं कुण्ठा की बात कर रहा था, अधिकारियों में । जिला स्तर पर जिलाधिकारी तथा सुपरिन्टेन्डेन्ट, पुलिस के अन्दर कहां-कहां आपस में टकराव हो रहा है । यह प्रश्न मैं फिर अपने माननीय दोस्त का नाम लूंगा, बाजपेयी जी उजागर कर चुके हैं । टकराव हो रहा है । आई0 ए0 एस0 नाम के इस अधिकारी को शायद आपने ईश्वर समझ लिया है । जहां ला एण्ड आर्डर का प्रश्न है तो भी डी0 एम0 सुप्रीम, सिंचाई विभाग का मामला है तो भी डी0 एम0 सुप्रीम, कृषि का मामला है, तो भी डी0 एम0 सुप्रीम और अगर और छोटे-मोटे मामले हों तो

[श्री राजेन्द्र सिंह—]

भी डा० एम० सुप्रीम। मैं कहना यह चाहता हूं कि आप जितनी आई० ए० एस० की फौज बढ़ाते चल रहे हैं, यह मामला उतना ही उलझता चला जा रहा है। यह क म इन्डीपेन्डेन्ट पुलिस सुपरिन्टडेन्ट को आप सुपुर्द कर दीजिये और उससे कह दीजिये कि ला एण्ड आर्डर के लिये जिम्मेदार हो। आप अगर यह समझते हैं कि मेरा सुझाव सही है तो अ प अपने अधिकारियों से बात करिये। जिलाधिकारी के पास बहुत काम है, बह एक मल्टीपरपज व्यक्ति है। पुलिस से यह आशा कीजिए कि कानून-व्यवस्था उसको जिम्मेदारी है। ऐसा होता है कि जब जिले में पोस्टिंग करनी है तो टकराव होता है, बगैर उनके आप नहीं कर सकते। मेरा सुझाव है कि टकराव को बचाने की कोशिश क.जिए। यह आपके लिए हितकर होगा।

अखबार में यह चीज निकल चुकी है कि परिचय-पत्र आपने वापस कर दिए। मैं उसमें सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इसमें निश्चित तौर से माननीय सदस्य और माननीय मन्त्रियों का अपमान है। एक बात जैसा मैंने सुना कि जब हम दिल्ली जाते हैं तो हमको कठिनाई होती है। माननीय मुख्य मंत्री जी आप अपने साथियों से कहिए दिल्ली में उनके पास सभी सुविधायें उपलब्ध हैं—टेलीफोन, क र इत्यादि की। अगर पहरे पर कोई छोटे से छोटा कर्मचारी हमको रोक लेता है तो इसमें इंसल्ट मत समझिए, वह अपने कर्त्तव्य का पालन करता है। मेरा निवेदन है कि इससे आपका सम्मान अच्छा होगा। सचिवालय या दिल्ली के लिए पास है और यहां तो आप कारों से आते हैं और अपने गेट के संतरियों को आप इतना अक्षम क्यों समझते हैं, कभी गलती उनसे हो सकती है तो उस समय आपको कहना चाहिए कि हम पास नहीं लाए हैं, कल पेश कर देंगे।

अब श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने कुछ एडवाइजरों को नियुक्त करने का काम किया है। हमारे साथियों ने इसको क्रिटिसाइज किया है लेकिन मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। क्योंकि विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों को पता होना चाहिए कि आपने ही पूरे मंत्रिमंडल को गलत बता रखा है, किसी को भ्रष्ट और किसी को अनैतिक एवं कोई कार्य कुशल नहीं हैं कहते हैं। मुख्य मंत्री जी उनको बदल तो सकते नहीं हैं, वह उनको केवल अपने नियंत्रण में रख सकते हैं इसलिए यह काम उन्होंने हमारे ही सुझावों पर किया है। अतः उन्होंने अपने अक्षम मंत्रिमंडल को नियंत्रण करने का यह तरीका निकाला है जिसका हम स्वागत करते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

आइडेन्टिटी कार्ड का एक और खतरा था कि जिससे भूतपूर्व मंत्री इम्पर-सोनेट न करते रहें।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मुख्य मंत्री ने एक चीज कही जो कि हो सकती है। लेकिन 1985 क्यों उसमें डाल रखा है। बर्थडिटी न डालते जब तक थे तब तक वह चलता। पता नहीं कौन नश्तर और कौन यशपाल बन जाता। इसलिए उसको तो और भी नहीं देना चाहिए था। 1985 न डालते तो अच्छा होता।

श्रीमन्, अब मैं कहना चाहता हूं कि श्री मोहन सिंह ने यहां प्रश्न उठाया था खच पर, तो जैसा वित्त मंत्री ने कहा था मैं उसका अहसास करता हूं कि प्रवेश इतना बड़ा है इसलिए आवागमन के लिए हेलीकाप्टर होना चाहिए विहीकल

होना चाहिए और टेलीफोन की सुविधा होनी चाहिये, इसको मैं मानता हूं। लेकिन मेरा इसमें सुझाव है कि ऐसा न हो कि किसी मंत्री विशेष ने अपना यह वसूल बना लिया हो कि मैं दिल्ली की यात्रा बिना हेलीकाप्टर के नहीं करूंगा, यदि ऐसा है तो उसको रोकना चाहिए। श्रीमन्, आपने दस्यु उन्मूलन के लिए एक हेलीकाप्टर दिया है। तो जब आपके बच्चे उस पर जाते हैं तो अधिकारियों के बच्चों के लिए दे दिया है तो ठीक किया है। इसलिए सुविधा के लिए तो यह होना चाहिए लेकिन प्रश्न यह है कि सुविधा का उपयोग कितना और कैसे हो रहा है इसको देखने की बात है।

मान्यवर, अभी-अभी देश की प्रधान मंत्री ने देश के भ्रष्टाचार पर बहुत चिन्ता व्यक्त किया है कि उसको नियंत्रित करना है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि शराब के ठेकों की नीलामी हुई, मैं समझता हूं कि वह आपकी नोटिस में आ चुका होगा कि लखनऊ में भी एक सिंडीकेट है, एक ग्रुप है जो कि नीलाम को लेता है और छोटे लोगों को नहीं आने देता है।

श्रीमन्, इसी तरह से सहारनपुर में नीलामी हुई है वहां भी इसी तरह से हुआ। जो बड़े पैसे वाले हैं बड़े-बड़ व्यापारी हैं इसको लेते हैं। मेरा कोई दुराव नहीं है यह लोग लें। लेकिन अगर आप छोटे-छोटे आदमियों को छोटे-छोटे व्यापारियों को दें तो ज्यादा पैसा मिल सकता है। आपने जो इस तरह की जगह-जगह दुकानें चलाई हैं मैं नहीं समझता कि इससे ला एण्ड आर्डर की समस्या हल होगी इससे ला एण्ड आर्डर की समस्या बढ़ती जा रही है। लेकिन आप इसको आमदनी का स्रोत मानते हैं आप सत्ता में हैं मेरे कहने से आप इसको तोड़ तो देंगे नहीं लेकिन मैं सुझाव दे रहा हूं। अगर आप ऐसा करेंगे तो ज्यादा इनकम करेंगे। इसका लाभ केवल सिन्डीकेट को न दें।

मान्यवर, 16 मार्च, 1981 के आज में निकला है पी0 सी0 एफ0 में 11 करोड़ 32 लाख का घपला किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति जिम्मेदार हो उसको पनिशमेन्ट मिलना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी इसको देखें, चाहे वह आई0 ए0 एस0 अधिकारी हो, चाहे पी0 सी0 एस0 हो चाहे कोई राजनीतिक हो लेकिन उसको सजा मिलनी चाहिए जिसने जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ किया है। इसी तरह का एक छोटा सा मामला सिंचाई विभाग का है। सिंचाई मंत्री जो आपके विभाग से सम्बन्धित है कहना तो नहीं चाहिए था लेकिन यह मेरी नोटिस में था सदन में समय मिलता है। एक इजीक्यूटिव इंजीनियर हैं मथुरा में उनके अंडर में असिस्टेंट इंजीनियर हैं बालमपुर में 4 सौ बोरों का गबन उन्होंने किया है। मैंने टेलीफोन पर चीफ इंजीनियर को सूचित किया। उसकी जांच हुई तथ्य सही पाए गए और दोनों अधिकारियों ने आधा-आधा पैसा जमा भी कर दिया। लेकिन मंत्री जो इससे उनका क्या नुकसान हुआ 22 रुपए बोरी उनको मिला था उन्होंने 50 रुपए में बेचा और 22 रुपए के हिसाब से आप उनसे पैसा वसूल कर रहे हैं तो इससे उनको क्या पनिशमेन्ट मिला ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

केस कब का है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

आपके जमाने का है । मैंने चीफ इंजीनियर को सूचित भी किया है । उसकी इंक्वायरी हो चुका है फैक्ट आ चुके हैं। इसी तरह का एक और है, आपके यहां मानिक चन्द्र जैन हैं इक्जीक्यूटिव इंजीनियर । उनके खिलाफ घपले के आरोप हैं उनपर उनको चार्जशीट करनी है उनको चार्जशीट लगाने के आदेश शासन से हो चुके हैं । यह चार्जशीट श्री जिया लाल जैन है उनको लगानी है जिया लाल जैन उस समय सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर थे वह भी उसमें फंसे हैं एसलिए उसको दबाये बैठे हैं ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

आप भेज दीजिएगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं भेज दूंगा । इसी तरह का एक केस विद्युत् विभाग का है । एक लेटर है मेरे पास इसका नम्बर लिख लें । लेटर नम्बर डटेड, 23 अक्तूबर, 1980 लेटर नम्बर है 7/43/एस० ई० (इ०एफ०एफ०/डब्ल्यू०टी०टी०) एक सुपरिटेन्डिंग इंजीनियर का है यह एड्रेस किसको है मैं नहीं समझ पा रहा हूं । इसको लाइन पढ़ देता हूं ।

आई वाज शौक्ड एण्ड टेकन ए बैक टू सी दैट एन अर्डरफार ट्वैल नम्बर्स फिलिप्सि मेक इलेक्ट्रोड्स आइटम नम्बर 18 हैंड बोन प्लेस्ड एट दि रेटआफ रुपीज 430/--पर पीस, दि कास्ट अफ दिस आइटम इज रुपीज 400/- पीस ओनली.

मान्यवर, यह उस पत्र में लिखा है ।

एक सदस्य--

हिंदी कर दीजिये ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, यह कहा गया है कि एस० ई० को बड़ा अचम्भा हुआ जब उसके सामने यह वास्तविकता आई । यह मिर्जापुर, ओबरा का मामला है । एस० ई० ने अपने पत्र में लिखा है कि मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक फर्म विशेष के कोई इलेक्ट्रोड्स और 12 आइटम्स मंगाये गये और प्रत्येक की कीमत रुपये दी गई जबकि उनकी केवल 400 रुपये हैं । श्रीमन्, चावल को पका हुआ देखने के लिए एक ही चावल देखा जाता है । जैसे तैसे यह एक सबूत हमारे हाथ लगा है आप देख लीजिए कि क्या हुआ । मान्यवर, 6 अरब का इसमें नुकसान है, यह बिजली बोर्ड एक सफेद हाथी है । यह प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है । आपने कहा कि बहुत सी हड़तालें हुयीं, बहुत से प्रदर्शन हुए हमने शान्त कर दिया । आपने कुछ न कुछ टुकड़े डालकर कुछ न कुछ उनका पैसा बढ़ाकर, हाउस एलाउन्स बढ़ाकर और तनख्वाह बढ़ाकर ऐसा किया है। मान्यवर, जिस संस्था को 6 अरब का नुकसान है, हैदराबाद का कोई इंस्टीट्यूट है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट है उसने इसकी स्टडी की है और यह पाया है कि इक्जीक्यूटिव रैंक में 32 फीसदी अधिकारी सरप्लस में हैं और ऐवरेज 15 परसेन्ट से ज्यादा है । यह हाल है । आप कहेंगे तो मैं इसको भेज दूंगा । इस

विभाग में सरप्लस आफिसर्स हैं लेकिन इफीशियेंशी नदारत है। तनख्वाह बढ़ाते चले जा रहे हैं, इस बार भी आपने उनको एक तोहफा दिया है।

श्रीमन्, कारपोरेशन्स के बारे में अधिक नहीं कहना चाहता हूं। केवल एक दो बातें कहूंगा, इनकी हालत बहुत खराब है। मान्यवर, राज्य सड़क परिवहन निगम की बात है, सन् 1972 में जब यह शासन था तो फायदे में चला। आपकी यह किताब है आप कहेंगे तो आपको भेज दूंगा। समय नहीं है इसलिए फिर नहीं कर रहा हूं। तो श्रीमन्, जब से यह निगम बना है तब से लगातार नुकसान में है। मैं एक बात और कह दूं, यह जो आपके मंडलीय विकास निगम हैं हम सोचते हैं कि इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। यह आई० ए० एस० अफसरों के एशो आराम की जगह बन गये हैं। झांसी मंडलीय विकास निगम है, यह शो करता है कि हमको फायदा हुआ है लेकिन मैं कहता हूं कि उन्होंने पैसा फिक्सड डिपाजिट में रखा है उसी का ब्याज आता है, उसी को कहते हैं कि प्राफिट हुआ है। यह एक मैंने इन्स्टेंस दिया है आप देख लीजिए। एक चीज बहुत एलार्मिंग है कि निगमों के एकाउन्ट्स नहीं बन रहे हैं। निगमों की बैलेंस शीट नहीं आ रही है। ऐसे भी निगम हैं जिनकी 6-7 सालों की बैलेंस शीट नहीं बनी है। अधिकारी आई० ए० एस० बैठे हैं, तफरी करके चले जाते हैं किसको पकड़ेंगे। मैं चाहूंगा कि आप उस समय जो भी अधिकारी वहां हों, चाहे वह पी० सी० एस० हों या आई० ए० एस० हों उनसे पूछिये कि क्यों बैलेंश शीट नहीं बनाई है। आप उनके खिलाफ ऐक्शन करें और उन लोगों को सस्पेन्ड करें। श्रीमन्, कैसे पता चलेगा कि किसमें और कहां कितना लगा। ऐसी कोई भी चीज कई वर्षों से सदन के सामने नहीं आ रही है। हमारी पूंजी लगातार लगती चली आ रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सन् 1974-75 से श्रीमन्, 16 निगमों को बकाया, बैलेंसशीट, वार्षिक लेखे-जोखे नहीं बनाये गये। अभी राज्य सम्पत्ति अधिकारी ने एक सूचना दी प्रेस को, या बाहर दी कि कौन-कौन किन-किन विधायकों ने अनअथराइज कब्जे कर रखे हैं, या उन पर कितना बकाया है। मुझे इसमें एतराज नहीं कि उन्होंने क्यों निकाला। बल्कि मुझे कहना यह है कि उन अधिकारियों और आई० ए० एस० अफसरों के बारे में भी क्यों नहीं निकाला कि वह कब से अन-अथराईज रूप में रह रहे हैं और बकाया उन पर इतना है। उन्होंने विधायकों, मंत्रियों और भूतपूर्व विधायकों के बारे में ही क्यों निकाला? सवाल इस बात का है, जब इनके बारे में निकाला गया तो उन अधिकारियों के बारे में क्यों नहीं निकाला। इस पर भी आप ऐक्शन लें।

दूसरी एक और बात सुझाव के रूप में देना चाहता हूं। वैसे मैं यह जानता हूं कि आप नहीं कर पायेंगे क्योंकि ब्योरोक्रेसी हाबी है, जो हमारी और आपके पहुंच के बाहर है। जो नया आई० ए० एस० आफिसर आता है, उसको आप बहुत जल्दी जिला दे देते हैं। उनकी ट्रेनिंग अंग्रेजों के जमाने की है वह ट्रेनिंग तो आप बदल नहीं सकते। लेकिन जब आपके यहां आये तो उसे आप अपने यहां दो साल की ट्रेनिंग और दें। इनकी ट्रेनिंग में यह होता है कि आप पब्लिक से डिस्टेंस रखें। यह इनकी ट्रेनिंग का कोर्स है, जो आप मंगाकर देख सकते हैं कि तुमको जनता से दूर रहना है, डिस्टेन्स मेन्टेन रखना है। इसी से सम्बन्धित एक बात

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

और आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब में बहराइच गया। वहां पर एक भूतपूर्व मंत्री हैं, श्री कृष्ण बिहारी मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि जब में डी० एम०, बहराइच के यहां गया तो वह डी० एम० साहब कहने लगे कि डू यो नो, आई एम डी० एम० तो उन्होंने कहा कि एस आई नो, यू आर डी० एम०।

एक सदस्य--

इसको हिन्दी कर दीजिए।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय नेता विरोधी दल इसकी कृपया हिन्दी कर दें।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, उन्होंने कहा आप जानते नहीं कि में जिलाधिकारी हूं तो मिश्रा जी ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप जिला अधिकारी हैं। तो श्रीमन् इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इनको कम से कम दो साल तक गांवों की आब-हवा में रखें और उनको बिजली वाला मकान न दें और तीसरी बात यह है कि इनको मोटर कार वगैरह न दें? साथी जी का प्रश्न बहुत अच्छा है, दिक्कत कभी-कभी यह होती है, जैसा कि हम जानते हैं और आपने भी बताया, यह हम समझते हैं, हमने इसको मान लिया कि हम अपने समय में इसको नहीं कर पाये।

श्रीमन्, अगर आप समझते हैं तो मेरा सुझाव है कि इसमें अमेन्डमेन्ट करना जरूरी है। अमेन्डमेन्ट हो जाय तो आप उसे लागू कराइये नहीं तो मना कर दीजिये। मैं चाहता हूं कि हमारे जो उच्च अधिकारी हैं आई० ए० एस० वर्ग के हैं, जनता के बीच में मिश्रण करके रहें, उनसे टचेबिल रहें, अनटचेबिल न रहें। इस सम्बन्ध में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान में एक नियम है कि जितने भी आई० ए० एस० अधिकारी हैं उन्हें सबसे पहले बी० डी० ओ० बनाया जाता है एक सरटेन पीरियड के लिए जिससे कि वे जनता के बीच में जनता के टच में रहें उसके बाद कुछ समय बाद रखकर उन्हें कहीं जिलों में भेजा जाता है।

एक मेरा निवेदन है कि पुलिस में जो छोटे तबके हैं कहीं न कहीं से वे अपना प्राविजन कर लेते हैं। एक तबका है गजटेड आफिसर्स का, उनको भत्ता और एलाउन्सेज वगैरह मिल जाते हैं इसके अतिरिक्त एक तबका है मिडिल तबका जिसमें इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर आते हैं। उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है। हमारा यह कहना है कि उनके लिए भी आपको कुछ ध्यान देना चाहिए कि उनको भी सुख-सुविधा प्राप्त हो। चूंकि इस कानून व्यवस्था को बनाये रखने की वे मेन कड़ी हैं। आपके एस० पी० और डी० एस० पी० नहीं हैं, वे बाद में आते हैं, जब कहीं कुछ होता है तो पहले आपके इन्स्पेक्टर और सब-इन्स्पेक्टर हो जाते हैं। वे जिसे चाहें शरीफ आदमी बना दें और जिसे चाहे बदमाश बना दें।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपके जो विभाग हैं, इसमें जो तकनीकी आदमी हैं उनके लिए कह रहा हूं। अभी-अभी दिल्ली में हुआ है कि

उन्होंने कुछ सेक्रेटरीज एप्वाइन्ट किये वे सब नान आई0 ए0 एस0 हैं, यहां भी कहीं ऐसी परम्परा रही है। मैं चाहूंगा कि टेक्निकल व्यक्तियों की ओर आप विशेष ध्यान दें और अपने प्रशासन में उन्हें उच्च पद दें। देश को बनाने का कार्य वास्तविकता में यही करते हैं। टेक्निकल व्यक्ति ही आपके प्रशासन में वास्तविक कार्य करता है चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट हो। मैंने इसे करने की कोशिश की, मैं मानता हूं कि अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी मैं बैन्योर सिस्टम नहीं लागू कर पाया लेकिन कृषि विभाग में बैन्योर पैटर्न लागू करना बहुत जरूरी है। मैंने सुना है कि अभी बैन्योर साहब यहां आये थे, आपसे मिले भी थे। मैं यह बात आपसे इसलिये कहता हूं कि आप भी मानने लगे हैं कि जहां 80 फीसदी आबादी देहातों में रहती है उसके आर्थिक विकास के लिये, आर्थिक उन्नति के लिये दो रास्ते हैं-- कृषि का अधिकतम उत्पादन और लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना। होता यह है कि जिस साल फसल अच्छी होती है, उत्पादन ज्यादा होता है, कोई भी पैदा करे, सबका श्रेय सरकार स्वयं ले लेती है लेकिन जब नेचुरल कैलेमिटी से फसल खराब हो जाती है तो कह देती हैं कि दैवी प्रकोप के कारण हो गया। तो यह बात नहीं चल पायेगी कि श्रेय तो सारा सरकार ले ले और यदि कभी बुरा समय आये तो प्रकृति को दोष दे दें। कृषि विभाग 68 करोड़ रुपया खर्च करता है। आपको जानकारी देने के लिये कहता हूं कि सिर्फ 3 फीसदी बीज और 6 फीसदी खाद देते हैं। जबकि 68 करोड़ रुपया खर्च होता है कृषि विभाग का और उसमें 3 फीसदी बीज जितनी आवश्यकता हो उसका और वैसे ही 6 फीसदी खाद उपलब्ध कराते हैं। जब तक कृषि में उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। हम आप श्रेय ले लेते हैं लेकिन कृषि विभाग और ग्राम्य विकास विभाग आपस में खींच-तान करते हैं। मैं कहता हूं कि आप इनका काम बांट दें। लघु उद्योगों का काम ग्राम विकास में दे दें। और कृषि विभाग में नाम उसका कुछ भी रखें लेकिन एक विभाग विशेष का काम सुपुर्द कर दें। ऐसा आप कर दें तो प्रदेश की तरक्की हो सकती है।

मान्यवर, जैसा कि अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा है ला-एन्ड आर्डर की सिच्युएशन, कानून व्यवस्था हमारी आर्थिक स्थिति से जुड़े हैं। मैं भी ऐसा मानता हूं। इसलिए मैं एतराज नहीं करता। श्रीमन् यह सण्डे मैगजीन है 28 सेप्टेम्बर की। हमारे राष्ट्रपति जी ने इन्डिपेन्डेन्स डे के दिन राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि दि राइजिंग प्राइसेज एन्ड इनक्रीजिंग डिसपैरीटीज, मेकिंग दि रिच मच रिचर एन्ड दि पुअर स्टिल पुअरर आर वाइडिनिंग दि गल्फ बिटवीन दि पयू हैप्स थाईविंग आन दि मिसरीज आफ दि हैव नौट्स, एन्ड दि डीप्राइफ मासेस लैपट विद लिटिल होप आफ एनी बेटर लाइफ इन दि फोर सीबिल फ्यूचर" फिर इसको उन्होंने तीन भागों में कहा है जैसे, जो हम समझ पाये हैं, इसमें इन्होंने तीन बातें कहीं हैं। एक तो यह कि जो खाई है अमीर और गरीब की वह बढ़ती जा रही है। इसको न तो आप डिनाई कर सकते हैं न ही मैं। जो हैव्ज हैं वह हैव नाट्स पर बढ़ते जा रहे हैं। और तीसरी बात है कि निकट भविष्य में गरीब जनता के जीवन स्तर में सुधार होने की आशा बहुत ही क्षीण है। फ्यूचर में भी सम्भावना नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि "एरिच मैन्स सन हाईली रिमेम्स अनइम्पलायड, ए पुअर मैनस सन रेग्रेटली फाइन्डस ए जाब नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस दि विनर टक्स

[श्री राजेन्द्र सिंह---]

इट आल वाइल ओनली फेल्योर पाइल्स अपान फेल्योर आन दि अदर साइड आफ दि लाइन दि प्रोसपैरिटी आफ दि पयू इज बिल्ड अपौन दि पावरटी आफ मैनी दि पुअरर यू आर दि वर्स आर योर प्रौसपैक्ट्स सच इज दि व्हीशस स्पायरल आफ इण्डियन इकोनोमिक्स" में इसकी हिन्दी कर दूं--अमीर आदमी का बेटा कभी बेकार नहीं रहता और एक गरीब आदमी के बेटे को नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है । इस तरह से जो गरीब है गरीबी उसके लिए अभिशाप है । यह इनका कहना है । इसी तरह ये एक चीज और आगे कही बट व्हाई इज देयर दिस आइरनी आफ इकानामिक्स" मतलब यह कि आर्थिक विसंगति क्यों, यह वह अपने आप से प्रश्न भी करते हैं । तो यह एक गरीब के साथ क्यों किया जा रहा है । श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं, जैसा मंत्री जी ने कहा इस प्रदेश की जब तक आर्थिक उन्नति नहीं होगी, हम हर साल घटते हुए आंकड़ों के जाल में जलती हुई कानून व्यवस्था में कुछ सुधार नहीं कर सकते हैं । हमारी जो पूर्ववती सरकार थी उसके बारे में कहना चाहता हूं, मिश्रा जी मैं आपके सुभीते के लिए बता देना चाहता हूं, डा0 अम्मार रिजवी ने एक पत्र भेजा है प्रधानों के लिए, तारीख तो इस पर मुझे नहीं दिखाई दी, इसमें सन् 77 और 78 एक साल के कार्यों का उल्लेख किया है । मैं चाहूंगा, माननीय, मुख्य मंत्री जी अच्छा हो कि इस पत्र की कापियां माननीय सदस्यों को भी वितरित कर दें ताकि भविष्य में कम से कम यह कहने की हिम्मत तो न कर पायेंगे कि पिछली सरकार नाकारा थी, उसने कुछ नहीं किया । इसमें यह कहा गया है कि इसमें 77-78 के अन्तर्गत खाद्यान्न योजना आरम्भ की गई और 69 करोड़ रु0 का कार्य सम्पन्न किया गया तथा 10, 97, 73, 587 मानव दिवस सृजित किये गये । इस योजना के अन्तर्गत 35000 कि0 मी0 से अधिक कच्ची सड़कों का निर्माण, 2050 कि0 मी0 खडन्जा, 539 कि0 मी0 नालियां बनाई गई । 1344 तालाब गहरे किये गए । 65278 हेक्टेयर भूमि में वन लगाये गए । 4279 गूल निर्माण की योजनायें पूरी की गई तथा 4371 पुलियों का निर्माण किया गया ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

यह आई0 ए0 एस0 के आंकड़े हैं । (व्यधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

इसको सही मत मानिए लेकिन कम्पेरेटिवली स्टडी करके आपने यह माना है कि हमारा कार्य अच्छा रहा है । आप भी अपने अच्छे काम दिखा दीजिए फिर आंकड़ों को बदल लेंगे । श्रीमन्, पिछली 10 फरवरी को सत्ता पक्ष ने किसानों की तथाकथित रैली की । मेरा ऐलीगेशन है कि इसमें सरकारीतंत्र का दुरुपयोग हुआ । इसके पीछे झगड़े भी हुए अब मैं सब का नाम क्या लूं, जिले में अभी भी झगड़े मच रहे हैं । मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि बस्ती के आपके कांग्रेस आई0 के कोई एम0 पी0 हैं उन्होंने सिंचाई विभाग के इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर से यह कहा कि किसान रैली के लिए डीजल तुमको देना है, उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की तो उन्होंने उसको थप्पड़ किया । मुझे सूचना मिली है कि बस्ती के इन्जीनियर्स ने एक प्रस्ताव भी इस सम्बन्ध में पास करके शासन को भेजा है । श्रीमन् पोस्टर्स हैं, हमारे सूचना विभाग ने उस मौके पर पोस्टर्स भी चिपकाये । वह अवसर जो था वह रैली के उद्देश्य से था, वैसे पोस्टर्स में कोई ऐतराज नहीं है ।

अखबार में भी एडवरटीजमेन्ट दिया गया । मिश्रा जी यह आपसे ज्यादा सम्बन्ध रखेगा, आप पढ़े-लिखे आदमी हैं । श्रीमन् हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी एडवरटोजमेन्ट दिया और दिखाया कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए क्या-क्या किया है ।

श्रीमन् उसी दिन बिहार की सरकार ने भी एक इसी तरह का छापा । हमें तकलीफ इस बात से हुई कि बिहार हमसे गरीब राज्य है, हमसे छोटा राज्य है, उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य, कृषि प्रधान प्रदेश और वहां के मुख्य मंत्री जी कहे जाने वाले किसानों के मसीहा किसानों को रियासतें देने में भी....

श्री मोहन सिंह--

यहां राजा, वहां पुरोहित (हंसी) ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

एक-दो बातें कहूंगा । मैं इतना चाहूंगा मुख्य मन्त्री जी कि दोनों एडवरटोइजमेन्ट को आप मंगा कर थोड़ा देखें । मैं दो-चार चीजें बताऊंगा जो आपके प्रदेश ने नहीं की परन्तु किसानों के साथ जो उस प्रदेश ने की । वह चाहे 16 फरवरी को की गई हों या बाद में की गई हों । मैं बधाई देना चाहता हूं बिहार सरकार को जिसने किसानों के लिए कुछ कार्य किया । आपने तो सिर्फ इतना लिखा कि हमने 100 करोड़ करेन्ट ईयर में दिया है....

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, बहुत अच्छा होता कि बिहार की विधान सभा में यही खड़े हो कर बधाई देते वहां के मुख्य मन्त्री को....

श्री राजेन्द्र सिंह--

ऐसा है, श्रीमन् माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी भावना का हम आदर कर देते बशर्ते आपने कर्म भी वैसे हो किए होते । आपके कर्म इन लोगों के जैसे नहीं ये तो हम वह दुस्साहस नहीं कर सकेंगे ।

श्रीमन्, आपने गोल बात की है । मैं फिर चाहता हूं कि आप देखें । मेरा निवेदन है कि इसमें डिसप्यूट है कि लैण्ड रेवेन्यू, एग्रीकल्चर ड्यूज में 100 करोड़ रुपए की रियायत की है । मैं चाहता हूं कि आप सत्ता पक्ष के लोगों की एक कमेटी बना दें या सौ करोड़ रुपये किस मद में कहां दिए आप हमको कल बता दें । यह गलत तथ्य, झूठा तथ्य है, यह प्रदेश की जनता को प्रलोभित करने के लिए किया गया है । जिस सरकार ने किया है उसके बारे में स्टेप बाइ स्टेप बता देता हूं शायद फ्यूचर में आप इस पर ध्यान रखेंगे । वहां की सरकार ने, बिहार की सरकार ने क्या किया इंगलिश में है, हिन्दी ट्रान्सलेशन करता रहूंगा । टोटल रिमीशन आन तकावी लोन-तकावी लोन की माफी । रिमी-

[श्री राजेन्द्र सिंह-]

इन आफ 100 परसेन्ट इन्ट्रेस्ट आन शार्ट टर्म लोन-शार्ट टर्म लोन पर के इन्ट्रेस्ट को पूरी माफी । रिमीशन आफ इन्ट्रेस्ट आफ कोआपरेटिव लोन्स कोआपरेटिव के कर्जों में ब्याज की माफी । रिमीशन आफ इन्ट्रेस्ट आप लोन्स बाई लैण्ड डेपलेपमेन्ट बैंक-एल0 डी0 बी0 द्वारा विपरित ऋणों के इन्ट्रेस्ट की माफी । रिमीशन आफ 75 पैसा पर रुपी आन आउट-स्टेन्डिग पावर बिल्स-बिजली के बिलों पर-जो बकाया बिल हैं रुपए में 75 प्रतिशत की माफी । सेल्स टक्स एग्जेम्प्शन आन सरटिफाइड सीड्स-प्रमाणित बीजों पर सेल्स टक्स की माफी । फरटिलाइजर आन कनसेशनल रेट्स-फरटिलाइजर रियासती दरों पर-आपने भी दिया था, आपने 10 प्रतिशत दिया वहां 20 प्रतिशत दिया गया है । मख्य मंत्री जी मेरा कहने का मतलब यह है कि वहां किसानों के साथ ज्यादा रियायतें बरती गई हैं । यह ज्यादा अपीलिंग है बजाय आपकी बातों के ।

मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं यदि आप इस बात को समझें जैसा आपने बड़ा लम्बा चौड़ा भाषण दिया और कहा कि इस ईयर को विकलांग इयर के साथ किसानों से जोड़ दिया है । मेरे कुछ सुझाव हैं अगर आप विचार कर सकें तो । मेरा निवेदन है कि लघु और सीमान्त कृषकों के ऊपर जो सरकारी देय हैं, पेन्डिग ड्यूज हैं या कृषि विभाग का हो या एल0 डी0 बी0 की हो या विद्युत विभाग का हो, उनका ब्याज आपको माफ कर देना चाहिए । और अगर यह ऋण ऐसे कार्य के लिए लिया गया हो जो कि नेचुरल कैलेमिटीज से सम्बन्धित हो जैसे मिसाल के तौर पर आप से कहता हूं...

मान लीजिए किसी लघु एवं सीमान्त कृषक ने कुंआ लगाने के लिए कर्जा लिया हो, खाद के लिए कर्जा लिया हो, जानवर खरीदने के लिए कर्जा लिया हो लेकिन सूखा या अतिवृष्टि हो गई हो और जानवर मर चुका हो, कुंए में पानी न निकला हो। अगर ऐसी समस्यायें हों तो मेरा निवेदन है कि ऐसे केसेज में आपको पूरा कर्जा माफ कर देना चाहिए । अन्य कृषकों के लिए भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं, जो कि पुराने कर्जे हैं कोआपरेटिव का मामला है, इसमें तो वलेरिफिकेशन हमारी सरकार ने किया था । जो पुराने कर्जे हैं उन पर आप मूलधन के साथ 15 प्रतिशत ब्याज ले लें और बाकी ब्याज माफ कर दें । इस सम्बन्ध में पूरा माफ करने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि शासन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है । इसलिए उस स्तर तक नहीं कहूंगा। मूलधन के साथ 15 प्रतिशत ब्याज आप ले लें । इसी तरह से विद्युत बिलों का मसला है । इस बारे में यहां पर प्रश्न भी उठाया गया था और आपने वह प्रश्न टाल दिया था । बहुत काफी ब्याज प्रायः इन बिलों पर लेते हैं जो कि आउट-टर्स्टेंडिग हो चुका होता है । जितना आपका असली पैसा है उतना ही उस पर ब्याज भी मिल जाता है कोआपरेटिव में तो ऐसा होता है । लेकिन विद्युत में ऐसा नहीं है । मैं मानता हूं कि जो एमाउन्ट है उसको पे किया जाना चाहिए । लेकिन हम यह चाहते हैं कि विद्युत बिलों के मामले में मूलधन और 15 प्रतिशत तक ब्याज आप ले लें और बाकी माफ कर दें । समय भी आप बांध दें कि फलां तारीख तक पेमेन्ट हो जाना चाहिए तभी हम रेमिशन देंगे ।

मान्यवर, यह मामला हमारे दिमाग में तब उठा क्योंकि आपने यह अपने बजट भाषण में कहा है । मैं वित्त मन्त्री जी के बजट भाषण की ओर सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इसके पृष्ठ 33 पर वित्त मन्त्री ने कहा है--"राज्य सरकार ने इन देयों की जांच के लिए कदम उठाए हैं ताकि न वसूल होने योग्य देयों को पृथक किया जा सके तथा शेष देयों की वसूली के

लिए प्रभावशाली प्रयास किया जा सके जिससे आयोजना के संसाधनों में वृद्धि हो सके।" मैंने यह बात पिछले सत्र में भी कही थी। जब हमारा मन्त्रिमंडल था तो हमारी ब्यूरोक्रेसी एक प्रस्ताव लाई थी। इस बजट भाषण के माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री करोड़ों रुपये का सेल्स टैक्स माफ कर सकते हैं यह दिखा करके कि वह वसूल नहीं हो सकता लेकिन किसान के लिए ये कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे सामने ब्यूरोक्रेसी एक प्रस्ताव लाई थी जिसमें यह कहा गया था कि सेल्सटैक्स की जो पुराने की अदायगी है उसका इन्टरेस्ट माफ कर दिया जाय। मैंने इस प्रस्ताव का स्वागत किया था लेकिन उसमें एक चीज और लगा दी थी कि किसानों के ऊपर जो इस तरह का कर्जा है उसको भी इसी तरह से माफी की जाय और वैसी व्यवस्था की जाय। उस समय आज के हमारे जो मुख्य सचिव हैं, वे वित्त सचिव थे। वे बड़े होशियार थे, समझ गए और फिर दुबारा वह प्रस्ताव हमारी मन्त्रि परिषद् के सामने नहीं आया जब तक कि हम रहे। मैं कहता हूं कि हम अविश्वास भी नहीं करते हैं। माननीय वित्त मन्त्री के डिस्क्रिशन में है: वे सही निर्णय लेंगे। किसानों के मामले में आप यह कर दें समय निर्धारित कर दें लेकिन आपाधापी में कोई ऐसा काम न करें। आप ऐसा कर दें कि....फलां तारीख तक ड्यूज को दे दिया जायेगा तो इतना परसेन्ट ब्याज लेंगे और अगर इसके बाद देंगे तो इतना परसेन्ट लेंगे वह मैं चाहता हूं कर दें।

एक बात और कहना चाहता हूं इस प्रदेश के अंदर सिंचाई की दरें देश में सबसे अधिक हैं, विद्युत की दरें सबसे अधिक हैं, इस प्रदेश में लगान की दरें सबसे अधिक हैं आप कम्परीजन कराकर देख लें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री राजेन्द्र सिंह––

माननीय मुख्य मन्त्री जी मैं बड़ी अहम बात किसानों की कह रहा हूं किसानों के ड्यूज जो हैं उनकी ब्याज की दर चाहे वह विद्युत की हो, चाहे सिंचाई की हो, चाहे लैण्ड रेवेन्यू की हो देश में सबसे अधिक हैं। आपने एक और काम किया कि विद्युत की दरें बढ़ा दी, यह तरीका किसी प्रजातांत्रिक देश की सरकार का नहीं है कि घाटा हो तो उसे किसान से वसूला जाय। घाटा हो आफिसरों की नालायकी से, उसकी अकर्मण्यता से और शासन के अप्रभावी होने से और उसका दन्ड मिले किसान को। 6 अरब रु0 का घाटा जैसा मैंने कहा विद्युत परिषद् के अन्दर हो और उसे किसानों से विद्युत दरें बढ़ा कर वसूला जाय। तो यह किसान के समर्थन की नीति नहीं है यह किसान विरोधी नीति ही कही जाएगी।

इसके साथ ही एक दो बातें और कहूंगा जो बहुत जरूरी हैं वह गन्ने की कीमत के बारे में है। माननीय मुख्य मन्त्री जी उस दिन आप तशरीफ नहीं

[श्री राजेन्द्र सिंह---]

रखते थे, एक प्रश्न के उत्तर में गन्ना मन्त्री जी नें कहा कि इस प्रदेश के अंदर ज्यादातर चीनी मिलें 26 रु0 देना शुरू कर दी हैं । आप अपने आप देख लें कहां ज्यादा दे रहे हैं

(व्यवधान)

मैं कह रहा था कि गन्ना मन्त्री जी ने इस सदन के अन्दर कहा कि आदेश दे दिए हैं संचालक परिस्थितियों को देखते हुए गन्ने के दाम 26 रु0 तक दे सकते हैं । तो हमने कहा था कि आप इस बात को मान रहे हैं कि 26 रु0 देने में मिल को कोई घाटा नहीं है तो आप भी जो सरकारी या सहकारी मिलें हैं उनसे भी 26 रु0 दिलवाना शुरू कर दें चाहे वह पूर्वी जिले की हो या पश्चिमी जिले की हो । माननीय मन्त्री जी नें कहा कि चीनी मिलें खराब अवस्था में हैं, तो हमारा निवेदन है कि चीनी मिलें जिनकी दशा खराब है उनको सरकार देखती है लेकिन किसान की खराब दशा को नहीं देखती है । आपकी चीनी मिलें खराब अवस्था में हैं लेकिन प्राइवेट मिलें 26 रु0 देकर भी मुनाफा कमा रही हैं, तो आप अपनी खराब मिलों से प्राफिट न लीजिये क्योंकि नुकसान तो आपको होगा नहीं क्योंकि प्राइवेट वाले 26 रु0 में नफा भी ले रहे हैं तो आप बिना नफा लेकर ही चला दीजिये और वहां भी 26 रु0 किसान को दे दीजिये । तो मेरा निवेदन है कि इस पर थोड़ा गम्भीरता से विचार करें ।

एक बात और कहना चाहता हूं आपने कहा कि गेहूं के दाम बहुत बढ़ा दिये, पहले कहा कि धान के दाम बढ़ा दिये हैं । आप यहां लखनऊ में चापलूसों से घिरे रहते हैं । बहुत सी बातें आप तक नहीं पहुंच पातीं । मेरा आपसे निवेदन है कि आप सत्ता पक्ष के, जहां धान होता है वहां कुछ विधायकों को भेज दीजिये सर्वे करने के लिये और अगर आप यह पावें कि 105 रुपया दाम नहीं मिला वास्तव में इनको 95 रुपया मिला । तब तो आप सदन में क्षमा तो न मांगिये लेकिन महसूस कर लीजिएगा कि प्रशासन में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई है । अब 130 रुपया गेहूं के दाम की बात आई....

(व्यवधान)

[समय 4 बजे अपराह्न]

इस सदन में गेहूं के दाम के सम्बन्ध में एक बार प्रश्न आया था, तो हमारे कृषि मन्त्री जी ने उत्तर दिया था, वह सदन की प्रोसीडिंग का अंग बन चुका है, कि 140 रुपया दाम होना चाहिए और 140 रुपया लागत पड़ती है ।

(व्यवधान)

उन्होंने कहा था कि 130 रुपया तो लागत पड़ती है और 140 रुपया हमने रैकमेन्ड किया है ।

कृषि मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)---

143 ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

जिस प्रकार गैर किसान लोग बहुत बधाई की बात कह रहे हैं।

श्री दामोदर शर्मा--

मैं किसान हूं, गैर किसान नहीं हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

ठीक है आप बहुत बड़े किसान हैं। मैं छोटे किसान की बात कह रहा था, आपके ऐसे किसान की बात नहीं कह रहा हूं। जिस प्रदेश की सरकार यह मानकर चले और रेकमेन्ड करे कि किसान का लागत मूल्य 130 रुपया पड़ता है और केन्द्र सरकार 130 रुपया लागत मूल्य ही घोषित कर दे और फिर भी सत्ता पक्ष के लोग हमसे सरकार के लिए बधाई मांगें, तो मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, यह हमारे लिए सम्भव नहीं है...

श्री रियासत हुसैन--

10 रुपये की सब्सिडी का घोषणा मुख्य मन्त्री जी करने जा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

ठीक है, यह कर दें। एक भूमि अधिग्रहण का मामला है...

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

इसके पहले तो आप लागत से भी कम पर खरीद रहे थे।

श्री रियासत हुसैन--

उस वक्त लागत से 20 रुपया ज्यादा पर खरीद रहे थे। 117 रुपये की दर पर हम खरीद रहे थे और उस समय लागत 105 रुपये थी, इस प्रकार हम 12 रुपये ज्यादा पर खरीद रहे थे।

श्री बलराम सिंह यादव--

मैं नेता विरोधी दल से एक बात पूंछूंग वह इस प्रदेश के कृषि मन्त्री रहे हैं। तो जब वह यहां कृषि मंत्री थे, तो उन्होंने गेहूं और धान के समर्थन मूल्य के लिए क्या लिखा था और केन्द्र सरकार ने क्या मंजूर करके भेजा था ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

कृषि मन्त्री जी ने बहुत अच्छी बात पूछी है, अब इसकी फाइलें आपके पास हैं, जब इधर आयेंगे तो निश्चित रूप से उसका जवाब दे देंगे..

(व्यवधान)

अब मैं एक अहम प्रश्न पर आ रहा हूं ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अब मैं भूमि अधिग्रहण के विषय पर आता हूं ।

(व्यवधान)

यह किसानों के लिए एक बहुत ही अहम प्रश्न है । मुझे अफसोस है कि जब हम मन्त्री रहे तो इस बात को हल नहीं करा पाये । यह हल होना चाहिए । इस प्रश्न का निदान होना चाहिए । अड़चनें आपके बीच में भी आयेंगी । तरीका क्या है ? जब भूमि अधिग्रहीत होता है तो किसानों को जो मुआवजा दिया ।

(इस समय 4 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

जाता है वह प्रीवलेन्ट रेट पर दिया जाता है । इसमें दसियों साल लग जाते हैं । आप इनसे सम्बन्धित फाइलें मंगवाकर देख सकते हैं । जब किसान अपनी जमीन बेचता है और कोई परचेज करता है तो स्टाम्प लगता है । आपकी सरकार को स्टाम्प का एक फारमूला बनाना चाहिए । किसान अपनी जमीन को किसी हिसाब से बेचे लेकिन उसको उसी हिसाब से उतना ही स्टाम्प लगाना पड़ता है । तो मेरा निवेदन है कि इस प्रदेश में 2 स्टैन्डर्ड नहीं होना चाहिए । जब सरकार वैल्युएशन पर स्टाम्प लगवाती है तो एक और तरीका हो और जब किसान की भूमि को अधिगृहीत करे तो उसका मापदंड दूसरा हो । इसमें दसियों साल लग जाते हैं । अगर उसी फारमूले को कम्पेन्सेशन के लिए स्वीकार कर लें तो यह मसला एक मिनट में हल हो सकता है । चूंकि उस समय हमारी बात पर मुख्य सचिव ने ही अड़ंगा लगा दिया इसलिए यह काम नहीं हो पाया था । हरियाणा में एक उझाना ड्रेन बनायी गयी थी । माननीय सिंचाई मंत्री जी पता लगा लें कि वहां पर भूमि लेने के पूर्व हरियाणा सरकार ने किसानों को वही फारमूला अख्तियार करके कम्पेन्सेशन दिलाया । वही फारमूला आप भी बनवा लीजिए । इस मामले में किसी लम्बे चौड़े फारमूले की आवश्यकता नहीं और न बहुत अधिकारियों की ही आवश्यकता होगी । विभाग में जो अधिकार इसकी देख-रेख करता है वह, जिलाधिकारी और लेखपाल एक साथ रहें, वे यह देखें कि कितनी भूमि अधिगृहीत करनी है और अगर यह फारमूला बना हुआ है तो चैक बना दीजिए और चैक देकर यह कहिए कि चैक तुम्हारा और जमीन हमारी हो गयी । आप इस मसले को अपना कर किसान की जमीन को लीजिए और उसे कम्पेन्सेशन का पूरा-पूरा पैसा दीजिए । आपके यहां पर बड़ी-बड़ी योजनायें बनती हैं जिनके लिए भूमि अधिग्रहीत की जाती है और बड़े झगड़े मचते हैं । एक ओर तो भूमिहीनों को जमीन देने की बात की जाती है लेकिन बड़ी-बड़ी योजनाओं से लिए जो आपकी भूमि अधिग्रहीत करने की स्कीम है, उससे आप भूमि वालों को भूमिहीन बना देते हैं । आपकी पूर्ववर्ती सरकार का एक निर्णय था कि ऐसे केसेज में जहां पर बड़ी योजनायें कार्यान्वित की जायेंगी और भूमि अधिग्रहण का सवाल पड़ेगा चाहे मध्य गंगा हो या घाघरा हो तो वहां पर चकबन्दी करा दी जाय । उससे यह होगा कि कामन पूल से जमीन निकल आयेंगी और सैकड़ों किसान भूमिहीन नहीं होंगे ऐसी प्रक्रिया आप कर लें ।

मान्यवर, इस ओर भी ध्यान दिया जाय । एक है अन्त्योदय योजना । दरअसल यह ग्रामीण रोजगार योजन है । सत्ता पक्ष के लोग मेरी बात को सुन कर अपने उत्तर में या तो स्वीकर करेंगे अथवा डिनाई करेंगे कि कैटिल परचेज स्कीम के अन्तर्गत जो जानवर दिलाये जाते हैं उसमें 500 से लेकर 1 हजार रुपया अधिकारी खा जाते हैं । इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार ह । कैसे होता है ? जो अधिकारी हैं इसके लिये उन्होंने बीच में कार्यक्रम चलाया उसमें 4, 5 व्यापारी होते हैं पैठ में । उनका सौदा पहले से ही पटा होता ह और दो हजार का जानवर आसानी से तीन हजार में भेड़ दिया जाता हैं । कई विभाग इसमें सम्मिलित हैं । इसका निदान में नहीं समझ पा रहा हूं क्या होना चाहिये । प्रति उत्तर के के समय हो सका तो बतलाऊंगा । अन्त्योदय हमारे समाज के निम्न श्रेणी के व्यक्तियों के लिये बनी है । चाहे हमने उसे बनाया हो चाहे आपने उसे बनाया हो लेकिन यह देखना होगा कि जो यह एक हजार की रकम बीच वाले खा जाते हैं उसको कैसे बचाया जाय ? एक बात साफ कह दूं आपने एक किसन मित्र सेल बनाया हैं । इसका विवरण 15 तारीख के "आज" अखबार में निकला है । 31 मार्च, 81 तक इसकी अवधि है । यह किसानों को खाद तथा बीज देगा । लेकिन जायद की फसल के लिये ज्यादा आवश्यकता होती है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

यह पर्मानेन्ट सेल है । एक महीने 24 घंटे चलेगा और बाद में सामान्य रूप से चलेगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह––

सूचना ठीक है । एक चीफ टाऊन–प्लानर हैं उनके खिलाफ विजिलेन्स द्वारा इन्क्वायरी हो रही है । उसके लिये सुना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश कर दिये हैं । लेकिन उस फाइल को पुनः वापस मंगाकर उसमें कुछ हो रहा है । कहीं ऐसा न हो कि आदेश करने के बद किसी दबाव में मुख्य मंत्री जी को अपने आदेश वापस लेना पड़े । मैं इन शब्दों के साथ यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार किसानों की सरकार नहीं है, आज कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज प्रदेश में नहीं रह गयी है । यह कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी––

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया । हमारे मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने बजट प्रस्तुत करते समय यह कहा कि चुनौतियां शक्ति का परिचय देती हैं और यह भी कहा कि चुनौतियों का सामना करके उन पर काबू पा लेना यही हमारा परीक्षा-फल है, यही हमारा प्रमाण पत्र है, मान्यवर, उन्होंने यह बात बिलकुल सही कही है । इस सरकार की नीतियों के आधार पर, सामान्य प्रशासन और पुलिस को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्रीमती प्रेमवती तिवारी—]

नीतियों के आधार पर, एक जिम्मेदार मुख्य मंत्री की तरह, उन्होने बड़े सूक्ष्म में, महत्वपूर्ण बातों को सदन के समक्ष रखा । प्रदेश को ऊंचा उठाने के लिये और जनता को राहत देने के लिए जो कदम उठाये गये हैं उनको उन्होंने बताया । अब उस पर कटौती का प्रस्ताव लेकर माननीय नेता, विरोधी

ड आये

(व्यवधान)

और यह बार-बार कहा कि "सुना है, सुना है, सूचना है, सूचना है "ऐसी-ऐसी घटनायें हुई, और सुना है के आधार पर कल्पनाओं की जो लम्बी और चौड़ी चादर उन्होंने बना कर तैयार की है, मैं उस चादर को हटाकर, उनके कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं और इस बजट का समर्थन करती हूं । उनको तो मान्यवर, आपने बड़ा लम्बा चौड़ा समय दिया, हमको तो बहुत थोड़े समय में ही अपनी बात कहनी है ।

मान्यवर, माननीय नेता, विरोधी दल ने अपना भाषण शुरू किया एक थानेदार से और कहा कि उसने फलां थाने पर जाकर के यह-यह अत्याचार किया । मुझे अब आज्ञा दें एक कहानी सुनाने की । मान्यवर, सच्चाई की तो सीमा होती है, मगर "सुना है और सूचना है "इसकी कोई सीमा नहीं होती, यह असीमित शब्द है ।

कहानी इस प्रकार है । एक साहब को कहानी सुनने का बड़ा शौक था । उन्होंने कहा एक से कि तुमको कहानी सुनानी होगी और जब तुम कहानी खत्म कर दोगे तब तुम्हारी गरदन काट दी जायेगी । उसने कहा कि हां, ठीक है, हम कहानी जरूर सुनायेंगे । उसने फिर कहा कि हम अपनी कल कहानी सुनायेंगे । जब कहानी सुनाने का दूसरा दिन आया तो उसने कहानी सुनाना शुरू की । उसने कहा कि एक चिड़िया थी और एक अन्न का भन्डार था जिसमें खूब अन्न भरा हुआ था । चिड़िया पेड़ की डाल पर से उड़कर आती थी और भंडार से एक दाना लेकर उड़ जाती थी । वह बार-बार यही कहता रहा कि एक चिड़िया आई और एक दाना लेकर फुर्र से उड़ गयी । उसके बार-बार ऐसा कहने पर राजा बहुत घबड़ाया और उन्होंने पूछा कि आखिर इस कहानी का कोई अन्त भी है । उसने राजा से कहा कि अभी कहां, अभी तक तो सारा भंडार भरा पड़ा है । इस कहानी का अभी अन्त कहां होना है ।

मान्यवर, आप देखें कि माननीय नेता विरोधी दल अपने भाषण में कहा कि एक थानेदार ऐसा था, वह ऐसा कर रहा था उस थानेदार का ट्रान्सफर क्यों हुआ, आदि-आदि । मान्यवर, कुछ चीजों को ठेकेदारी इन्होंने ले रखी है, खासतौर से किसानों की और जब किसानों की ठेकेदारी ली और जब प्रदेश से लेकर केन्द्र तक यानी किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने जिन्दगी में कभी खेत के किनारे यह नहीं देखा होगा कि खेत सूखा है कि लहलहा रहा है । प्रदेश से लेकर सारे भारत में करीब-करीब उनकी सरकार बनी, तो किसानों ने सोचा कि अब हम लोगों का कल्याण हुआ । कौन सा कल्याण हुआ ? गन्ने खेत में जल गये । मिलें बन्द हो गयीं, उत्पादन खत्म हो गया, तो हुआ क्या उससे कि जो ठेकेदारी थी उनकी ठेकेदारी कुछ खोटी मालूम होने लगी । किसानों ने देखा कि भाई यह जो सिक्का है, यह तो खोटा है । जब इनके हाथ में कुछ नहीं था, तब इन्होंने बड़ा डींग हांकी और जब इन्हें कुर्सी पर बैठाल दिया गया तो इन्होंने तो बड़ा

पार कर दिया । इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया । ढाई वर्ष में अब इनकी सरकार चली गयी, तब ये फिर चुनाव से मैदान में आ गये । तो किसान ने इनको कह दिया कि नहीं भाई अब तो तुम खोटा सिक्का हो गये । हमारे लिये तो फिर वही इंदिरा गांधी और फिर वही इंदिरा गांधी का चुनाव निशान अच्छा है । जनता ने जमकर श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व की सरकार का समर्थन देश भर में दिया आपने कह दिया कि लोकदल की सरकार, पीठासीन अधिकारी ने बता दिया कि लोकदल की सरकार कहीं बनी, तो उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार नाम रख दिया । पिछली सरकार की, जनता पार्टी की जो सरकार थी, उसका उन्होंने नाम रख लिया पूर्ववर्ती सरकार । इनका वही हाल कि अंधा बांटे रेवड़ी, पुनि-पुनि अपने को देय । तो मान्यवर, इसी तरह से अपनी तारीफ करके अपने को खत्म किया । उन्होंने इस सरकार की बुराइयां तो देखी, लेकिन अपनी नहीं देखी । मान्यवर, हर चीज के दो पहलू होते हैं । दिन भी होते हैं और रात भी होती है । सुख भी होता है और दुःख भी होता है । उन्होंने अपना विरोधी पक्ष का जो रोल प्ले किया, बड़ा अच्छा किया । लेकिन उनको कम से यह भी तो देखना चाहिए कि कौन से ऐसे कार्य हुए हैं, जिनकी वजह से इस देश को कहीं न कहीं लाभ मिला है । मैं बता देना चाहती हूं कि उन्होंने सारी पुलिस की बुराई की । लेकिन मान्यवर, उस मूलचन्द के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा, जोकि बीरगति को प्राप्त हो गया । मान्यवर, झूठे से उनके मुंह से नहीं निकला उस मलचन्द के बारे में । अगर झूठे से उस मूलचन्द की कहानी निकलती, तो इस प्रदेश की सरकार की तारीफ हो जाती, इसलिए उन्होंने नाम नहीं लिया ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपनी लोकप्रिय सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि जिस मूलचन्द के शव में सम्मिलित होकर उसका सम्मान बढ़ाया । अगर जरूरत पड़ जाय तो उसके नाम पर एक स्कूल या स्मारक जरूर बनवा दें ।

हरिजनों के बीच में इनकी दाल नहीं गल रही है । हम तो हरिजनों के सेवक हैं ही । बड़ी आप पिछड़ी जाति की दुहाई दिया करते थे । मैं दावे के साथ कहती हूं कि हमारी सेवा से आपकी दो विचारधाराओं की वजह से न केवल हरिजन बल्कि कोई भी मनुष्य इसी तिरंगे झंडे के नीचे और इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार बन लेगा । इनके शासन की तो बात वैसी ही थी जैसे तीतर के हाथ बटेर लग जाय, तो तीतर के हाथ बटेर लगी तो वे सोंचते हैं कि कहीं कुछ ऐसा करो कि बटेर फिर वह हमारे हाथ में आ जाय। अब वह बटेर आपके हाथ में आने वाली नहीं है पहले आपने कहा कि सरकार बहुत जल्दी गिर जायगी, लेकिन सरकार नहीं गिरी । अब माननीय नेता, विरोधी दल कहते हैं कि 5 साल बाद तो सरकार गिरेगी ही । मैं पूछती हूं कि जब आपके पास कोई नीतियां नहीं हैं तो आप कौन सी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं । जब हमारे मुख्य मंत्री जी हैलीकाप्टर में जाते हैं, तो आप बड़ी आलोचना करते हैं, हालांकि वास्तविकता यह है कि उनके पास काम बहुत अधिक है । जरा अपने जमाने को याद कीजिये विदेश में जाकर रहे, कितना खर्चा किया । अगर वह आपको याद आ जायगा तो हैलीकाप्टर की बात भूल जायेंगे । इस प्रदेश के मुख्य मंत्री अगर हैलीकाप्टर से

[श्रीमती प्रेमवती तिवारी—]

जाते हैं तो सरकारी काम से जाते हैं। आपके जमाने में शादी-ब्याह में हेली-काप्टर से जाया करते थे।

हरिजनों की बड़ी इनको परेशानी है, लेकिन जब इनको मौका मिला तो पता चला कि हरिजनों का दर्द इनको छू भी नहीं गया दिल्ली में बैठे इनके नेता चौधरी चरण सिंह ने हरिजनों के लिये रिजर्वेशन की जब बात थी तो इतनी देर की कि हरिजनों को और उनके अधिकारों को खत्म करने की पूरी कोशिश थी। वह तो हम लोग समय पर चेत गये और श्रीमती इंदिरा गांधी ने और हम लोगों ने ऐसी योजना बनायी कि हरिजनों के अधिकार सुरक्षित हैं और वह, वे सारे लाभ पा रहे हैं, जो उनको मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप का समय अब समाप्त हो चुका है।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, दो मिनट का समय और दे दें। अगर आपकी आज्ञा हो तो दो मिनट और बोल लूं। नेपोलियन का एक शब्द मुझे याद आता है—

राईट मैन एट राइट प्लेसेस कंट्री कैन नेवर बी डिफीटेड

आज मुख्य मंत्री, जी ने इस प्रदेश की सरकार ने चतुर्मुखी विकास के लिये और इस प्रदेश की जनता राहत के लिये बहुत काम किये हैं। पहले घायल को 200 रु0 मिला करते थे, अब 2,000 रु0 कर दिया, पहले मृतक के परिवार को 5 हजार मिला करते थे, अब दस हजार कर दिया, इसी प्रकार क्षतिग्रस्त व्यक्ति को 25 प्रतिशत की छूट, राहत मिला करती थी, अब वह 50 प्रतिशत की छूट हो गयी है।

महिलाओं पर अत्याचार की बात की जाती है। पहले महिलाओं पर अत्याचार हुआ करते थे क्योंकि वह एक साजिश थी, जिसका पर्दाफाश हो गया, जिस पर्दे की आड़ में उनका नापाक साजिश हुआ करती थी। पर्दे की आड़ में अपने अड्डे बना लिये थे, उन अड्डों को ढूढ़ने में देर लगती है। हमने डकैतों को ढूढ़ा है और उसके परिणाम आपके सामने हैं। इस तरह जिस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आयीं थीं उनको प्रदेश की सरकार ने कन्ट्रोल किया है।

मान्यवर, जहां तक महिलाओं के अत्याचार की बात है तो वह पहले से कम हुई हैं। इसके लिये एक डी0 आई0 जी0 अलग से नियुक्त हो गये हैं और प्रयास है कि उनको ज्यादा से ज्यादा राहत मिले।

मान्यवर, आज जो छात्रों की समस्याओं की बात है उसके लिये चाहे इस पक्ष के माननीय सदस्य हों या उस पक्ष के वह सभी जानते हैं कि राजकीय सहायता से कभी छात्र समस्या का निदान नहीं हो सकता है इसलिए उसके लिये राजनीति से हटकर हमको छात्रों की तरफ से ध्यान देना होगा और उसके लिये हम सब को मिला कर योग्य छात्र तैयार करने होंगे और उसके लिये हमें ऐसी शिक्षा देनी होगी जो कि रोजगार परक हो जिससे बेरोजगारी दूर होगी और उत्पादन बढ़ेगा और तब देश और प्रदेश की प्रगति होगी। इन शब्दों के साथ में आप सबके प्रति आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

*श्री थम्मन सिंह गहलौत––

माननीय, आपका मैं अभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया ।

श्री यदुनाथ––

माननीय, कांग्रेस अर्स का नम्बर आना चाहिये बोलने के लिये ।

(व्यवधान)

मुझे बोलने का समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष––

यदुनाथ जी आप शांत रहें । जब आपको बुलाया जाय तब बोलें । बार–बार इस तरह से सदन में व्यवधान उत्पन्न करना अत्यन्त अनुचित है। आपसे प्रार्थना है कि दो मिनट के लिये मुझसे बात कर लेंगे और फिर कल से जिस तरह से चाहें बोलें ।

श्री थम्मन सिंह गहलौत––

माननीय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । और मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में माननीय सदस्या जो बोल रहीं थीं । हम सब जानते हैं कि इस देश के अंदर पारिवारिक व्यवस्था बड़ी गहरी बनी है और उसका एक अंग यह भी है कि जब बच्चा रात में सोता है तो दादी अम्मा उसको पहले कहानी सुनाती हैं तो उस तरह इन्होंने कहानी सुनाया । अच्छा होता कि वह कुछ तर्कसंगत बात कहतीं ।

माननीय, अब मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी जब भाषण देते हैं तो बड़े भावुक होकर काव्य भाषा में बोलते हैं लेकिन उनका कुछ रंग फीका था । मुझे एक साप्ताहिक पत्रिका में पढ़ने को मिला कि मुख्यमंत्री जी शायद पहले कवि रहे हैं इसलिये वह काव्यात्मक भाषा बोलते हैं, तो वह ठीक है । लेकिन मैं आलोचना की बात ज्यादा नहीं कहूंगा जिससे उधर के दल के लोगों को बुरा लगे । मैं अब सुझाव की बात कहना चाहता हूं । माननीय, एक सप्ताहिक पत्रिका में एक घटना मुझको पढ़ने को मिली कि कोई करोड़पति सज्जन एक होटल बनाना चाहते हैं नजूल की भूमि पर और उसको गिरवी रखकर लोन लेना चाहते हैं । इसके लिए जितने अधिकारी थे उन सब ने उनके पक्ष में संस्तुति किया लेकिन जब इसकी फाइल मुख्य मंत्री जी के पास आयी तो उन्होंने देखा और नोट लिखा कि क्या नजूल की भूमि को गिरवी रखकर लोन देना सही है । चूंकि सही नहीं था इसलिये वह बात गिर गयी । तो यदि यह सही बात है तो मैं इसके लिये मुख्य मंत्री जी को बधायी देता हूं कि उन्होंने एक इमानदारी का निर्णय लिया । लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि जिन पी० सी० एस० और आई० ए० एस० लोगों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री धम्मन सिंह गहलौत---]

ने अवैधानिक गलत टिप्पणी लिखी उनके खिलाफ माननीय मुख्य मंत्री जी ने क्या कदम उठाये, जो अधिकारी बाल की खाल निकालते हैं और सही काम में रोड़ा अटकाते ह उनके विरुद्ध कोई ऐक्शन लिया गया अगर नहीं लिया गया है तो यह समझा जायेगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी नौकरशाही में जकड़े हुये ह ।

श्री अम्मार रिजवी---

किसमें निकला है ?

श्री मोहन सिंह---

धर्मयुग में ।

श्री धम्मन सिंह गहलौत---

मोहन सिंह ने बता दिया धर्मयुग में छपा था ।

श्री अम्मार रिजवी---

किस जगह ?

श्री धम्मन सिंह गहलौत---

यह नहीं मालूम, आप अपने दफ्तर में देखिये कहां का मामला था । मान्यवर मुख्य मंत्री जी आये तो एक छवि लेकर आये कि यह एक ईमानदार और सज्जन आदमी हैं 9 महीने बीत जाने के बाद एक विशेषण और लग गया कि भ्रष्ट और चरित्रहीन आदमियों के घेरे में हैं । आज मंत्रिमंडल के सदस्यों पर आरोप लगता है कि वह चोर है, डकैत हैं, हत्यारे हैं, यह अपहरण कराते हैं । आपके कांग्रेस आई के लोग कहते हैं कि यह इतनी शराब पीते हैं कि शराब पीकर पलंग से नीचे गिर जाते हैं और सुबह उनको लोग उठाते हैं ।

मान्यवर, एक अंग्रेजी की कहावत है "मैन इज नान बाई दि कम्पनी ही कीप्स" आदमी जिस कम्पनी में रहते है वैसे ही जाना जाता है । माननीय मुख्य मंत्री जी इनसे पीछा छुड़ाये । मैं तो समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी छवि लेकर आये थे अगर इस्तीफा दे दें तो इतिहास में नाम लेकर जायेंगे कि एक ईमानदार आदमी थे जो सुधार नहीं कर पाये तो इस्तीफा दे दिया, गद्दी का मोह नहीं था । मान्यवर, चरित्र की बात छोड़ दिया । अब दूसरी बात की तरफ का आप ध्यान दिलाना चाहता हूं । अभी पिछले दिनों शिक्षा मंत्रालय का बजट, प्रस्तुत हुआ उस बहस चल पर रही थी शिक्षा राज्य मंत्री जी जोश में आ गये और उन्होंने भाषण दे डाला। वैसे शायद इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि कैबिनेट स्तर के शिक्षा मंत्री यहां थीं । आप कार्यवाही उठाकर देख लें उन्होंने एक दर्जन बार कहा है कि मैंने क्रान्तिदर्शी योजनायें बनाई हैं । व्यक्ति तो क्रान्तिदर्शी हो सकता है लेकिन योजनायें तो क्रान्तिदर्शी नहीं हो सकती हैं । महात्मा गांधी, विवेकानन्द वगैरह को आप क्रान्तिदर्शी कह सकते हैं लेकिन योजनायें क्रान्तिदर्शी नहीं होती हैं । योजना क्रान्तिकारी हुआ करती है । क्रान्तिकारी योजनायें बनाते तो बात समझ में आती । जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री इतना विद्वान हो भगवान रक्षा करे इस प्रदेश की । मान्यवर, सारे भारतवर्ष में यह कार्यवाही छपती है क्या समझा गया होगा, आप समझ सकते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत सारे प्रतिबन्धों से घिरे हैं । उन्होंने शायद मंत्री न बनाया हो

माता जी ने दिल्ली से आदेश दिया होगा उनको मुख्य मंत्री जी हटा भी नहीं सकते हैं। मुख्य मंत्री जी उनको बदल सकते हैं, शिक्षा विभाग के बजाय सड़क विभाग में कर दे तो ठीक होगा, खाली है मिट्टी कूटते रहेंगे। यह पी० डब्लू० डी० विभाग कम महत्वपूर्ण नहीं है। मंत्री जी के पास दो विभाग है न्याय विभाग और सड़क विभाग। यह दोनों विभाग ऐसे हैं जिसमें परिश्रम बहुत करना पड़ता है या तो मंत्री जी बहुत परिश्रम करते होंगे या दोनों विभाग के साथ न्याय नहीं कर पाते होंगे। कोई न कोई एक बात तो जरूर होगी। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कम से कम मुख्य मंत्री की छवि सुधारने के लिए कुछ काम करें। एक काम मुख्य मंत्री जी ने कर रखा है, मैं अच्छे काम के लिए अच्छा कहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी रोजाना सबेरे आम जनता से मिलते हैं। जो लोग पहुंचते हैं वह उनसे मिलते हैं और उनकी बात सुनते हैं। हमारे देश की जनता बड़ी सरल और सहृदय है। आप उनकी बात सुन लीजिए तो उनका आधा दुख दर्द दूर हो जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी का यह काम अच्छा होते हुए भी कोई बहुत बढ़िया काम नहीं है क्योंकि लोग लखनऊ आते हैं, लखनऊ सिर्फ वह आपके मुख्य मंत्री के दर्शन करने के लिए पैसा खर्च करके नहीं आते हैं। जिले, तहसील और ब्लाक स्तर पर जो कम हो सकते हैं वह क्यों नहीं होते हैं, इसलिए वह यहां आते हैं। उनका कोई प्रतिनिधि होता है जिसको लेकर वह किसी मंत्री या मुख्य मंत्री के यहां अपनी फरियाद सुनाने आते हैं। जब उनके काम नीचे के स्तर पर नहीं होंगे तो हजारों लोग यहां आयेंगे। मुख्य मंत्री तक मेरी आवाज पहुंच जाय कि आप अपने अफसरों को जिम्मेदारी दीजिए। जो मामले जिस अधिकारी से सम्बन्धित है उनको जिम्मेदारी दीजिए की निश्चित अवधि के अन्दर उसका निर्णय ले लें। जिस अफसर के पास फाइल पहुंचती है वह निश्चित अवधि के अन्दर निर्णय ले, यह कोई तरीका नहीं है कि महीनों लटकाए रखा जाय और लोग दौड़ते रहें। अगर मुख्य मंत्री जी ऐसा करेंगे तो जो अफसर हैं उन पर इसका उत्तरदायित्व रहेगा और वह फाइल जल्दी निपटायेंगे, अगर ऐसा होगा तो मैं समझता हूं कि जो भागदौड़ हजारों लोगों की होती है वह कम हो जायेगी। आज से 30 साल पहले इतने लोग यहां नहीं आते थे। लोग यहां मजबूरी में आते हैं।

मैं एक बात पुलिस के सम्बन्ध में कहूंगा, आज लोग पुलिस के बारे में शिकायतें करने लग गए हैं कि पुलिस में लोग गलत हैं, लेकिन स्वर्गीय मूल चन्द्र के नाम पर, मैं उस दिवंगत और कर्त्तव्य परायण व्यक्ति के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि पुलिस के लोग इससे कुछ सबक लेंगे। यह भावना लोगों में क्यों है कि पुलिस में गलत लोग हैं, क्या इनके प्रशिक्षण या भर्ती में गलती है। इस तरफ आपको देखना चाहिए। जो हमारे रक्षक हैं अगर उनके बारे में यह हो गया कि यह हमारे भक्षक हैं तो मुसीबत हो जायगी। मान्यवर, समय नहीं है इसलिए इन शब्दों के साथ मैं जो माननीय नेता विरोधी दल ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उनकी तर्कपूर्ण बातों का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री खान गुफरान जाहिदी--

श्रीमन्, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इन्तजामियां और पुलिस मुकहमें पर पेश करदा बजट जो मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है उस पर बोलने का मौका दिया। नेता विरोधी दल ने आज एक ऐसे वकील का तरीका अख्तियार किया जिसका मुकदमा तो बहुत कमजोर था लेकिन काफी देर तक वह बोर करते रहे और मुकदमा आवाम की अदालत में जब उन्होंने फेल होते हुए देखा तब उन्होंने यह रास्ता अख्तियार दिया।

श्री हुकम सिंह--

आपकी समझ में नहीं आया।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

माननीय हुकुम सिंह जी, पढ़े लिखे सिर्फ आपही नहीं हैं।

श्रीमन्, मुझे यह कहना है कि उन्होंने अपने पूरे भाषण में पूरी तकरीर में मुतजात कंट्राडिक्टरी रुख, या एप्रोच अख्तियार किया। लेकिन मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, उन्होंने यह कहा, किसानों के बारे में उन्होंने कहा कि आपकी मोनोपली नहीं है। मेरा कहने का मतलब ह कि किसानों के सिलसिले में हमारी सरकार के जरिए इतनी जल्दी इतना काम हुआ और इसमें कोई दो राय नहीं है। जबकि पिछली सरकार जो पहले से दावा करती रही कि हम किसानों के बहुत हिमयती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वह इनके लिए कोई काम नहीं कर पायीं जबकि हमने कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम करके दिखाए। भाई मोहन सिंह जी तो कभी-कभी इस सच्चाई को मान भी लेते हैं लेकिन हमारे नेता विरोधी दल इसके लिए तैयार नहीं हुए मगर जब उन्होंने देखा कि इस सरकार में कुछ मिल नहीं रहा है तो बराय राह न कह कर घुमा-फिरा कर बिहार से तुलना कर दी ताकि पकड़ न हो सके और अपने मुकदमे को बहुत ही कमाले होशियारी से पेश करना चाहा, लेकिन उसके बावजूद फेल हो गए।

मान्यवर, मैं आगे यह कहना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल तो यह अभी हुए हैं। दौराने गुफ्तग जब हमारे कृषि मंत्री जी ने उनसे एक सवाल कर दिया, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इससे यह साफ जाहिर हो गया कि जो आप खुद सुझाव दे रहे हैं, उससे तहत आप खुद दिलचस्पी नहीं रखते। अगर दिलचस्पी जरा भी होती तो उस ओर आप कोई जानकारी जरूर देते (शोर) मान्यवर, बीच-बीच में जो टोका-टिप्पणी होती है, उसमें काफी वक्त खराब होता है, उस वक्त का मान्यवर, ध्यान रखें। माननीय नेता विरोधी दल ने कमाले होशियारी से एक खराब मुकदमें की पेश करते वक्त कई बातें कहीं, उन बातों में से मुझे सिर्फ यह कहना है कि उन्होंने जो हरिजनों के बारे में जिक्र किया तो हरिजनों के बारे में वही ही अपने कार्यकाल के कुछ ऐसे कामों को गिनवा देते, जो उन्होंने किए हों। हमने तो उनके मुकाबले में इतने कम वक्त में माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के जेरे कयादत में इतने ज्यादा से ज्यादा काम किए हैं, जिनकी कहीं मिसाल नहीं है। अभी 65 दिन ही हुए थे सरकार के बने हुए, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कुदरती और इंसानी परेशानियों से घिर गए। सैलाब आए, उसके बाद मुरादाबाद का मामला आया, फिर अलीगढ़ का मामला आया उसके बाद दूसरे मसले-मसायल आए इन मसलहतों पर जबो-जेहद करते हुए हमारी सरकार ने उस रुख को अपनाया,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिससे सारी परेशानियां, सारी मसलहतो पर काबू पाया जा सका। इसके बाद फिर डाकुओं से मुकाबले का मसला आया, उसको भी निपटाया गया और कई डाकू मारे गए। अगर यह इम्प्रूवमेन्ट नहीं हुए होते तो यह 45 मुल्जिम कैसे मिल गए? माननीय नेता विरोधी दल ने बड़ी होशियारी से यह भी कहा कि यह मेरी इत्तिला है, मैं इसकी गहराई में जाना नहीं चाहता कि माननीय मुख्य मंत्री जी फला मामले में कामयाब नहीं हो सके और अवाम का विश्वास उन पर से जाता रहा। (शोर)

मान्यवर, एक बात नेता विरोधी दल ने बड़े स्पष्टरूप से इन-काउन्टर्स के बारे में कही। 1400 इनकाउन्टर्स का जिक्र आप करते हैं और अब इधर से उधर से बील रहे हैं। माननीय मोहन सिंह से गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे तो सिर्फ एक सवाल करके इस मसले को बढ़ा देना चाहिये। इनकाउन्टर जो आप गलत बताते हैं उनके बारे में सारी इत्तिला सिर्फ आपके पास क्यों आती है? उस जिले के तो दूसरे विधायक भी तो हैं, इसके बीच में कोई राज हो सकता है और वह राज नेता विरोधी दल जानें और उनके दल के विधायक लोग जानें।

श्रीमन्, एक तरीका था अपोजीशन का। अब के अपोजीशन के सदस्यों को देखा गया है कि वह सीधे करेक्टिव की चर्चा करते हैं। यह सत्ता पक्ष है और वह अपोजीशन है दोनों की कलेक्टिव रिसपान्सबिलिटी है। एक को कंस्ट्राडिक्ट करके, इल्जाम लगा करके क्या पायेंगे। अभी आपसे नेता विरोधी दल ने कहा कि हर बात की इनक्वायरी नहीं हो सकती तो यह कह कर कि जांच करायें, हर एक की जांच नहीं हो सकती। प्राइमाफेसी में अगर कोई बात आये तब तो जांच की बात कीजिये वरना मैं समझता हूं कि कन्ट्राडिक्शन की आवश्यकता नहीं है अगर अपोजीशन जिम्मेदारी की बात न करे।

मान्यवर, मुझे खुशी होती अगर नेता विरोधी दल ने एक बात और कही होती मुरादाबाद का जिक्र किया होता। जुर्म को जुर्म नहीं कहता। मुसलसल कहा जा रहा है कि 23 मार्च को जिस अन्दाज से वहां होली मिलन हुआ है, मैं बधाई देता हूं वहां के हिन्दुओं को, वहां के मुसलमानों को जो गले से गले मिले, जिनका दिल से दिल मिला।

(व्यवधान)

मैंने आपके समय में व्यवधान नहीं डाला है, आप भी कृपया मेरे समय में व्यवधान न पैदा कीजिये। एक जिक्र किया गया नरायनपुर का। सारी बात सरकार को करने की बात कर गये लेकिन दूसरे जिलों में बनारस में, लखनऊ में कितनी-कितनी वारदातें हुई?

श्री अध्यक्ष--

जाहिदी साहब अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

माननीय, एक मिनट और दे दें। नेता विरोधी दल ने आज अपनी फाइलें नीचे छिपा रखी थीं। समय से एक-एक पर्चा उठाते गये। यह समझ में नहीं आ रहा था कि कब इनके बोलने का अन्त होगा और कब हम लोगों को बोलने का समय मिलेगा। बात कुछ थी नहीं, बस बात को बढ़ाना था। जो इल्जाम लगाये गये, वह नेता हैं, कह दिया। मैं आपको बताता हूं कि इनाम को तक्सीम करते वक्त यह कहा गया कि फलां-फलां डाकू मारे गये लेकिन इनाम गलत आदमी को दिया जा रहा है।

(व्यवधान)

माननीय कुबेर भण्डारी जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप व्यवधान न डालें। एक बात कह कर मैं खतम करता हूं कि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, कांग्रेस (आई) की सरकार ने जिस अन्दाज से सारे चैलेन्जेज का सामना किया है उसने 9-10 महीनों में मुसलसल आने वाली चुनौतियों का जिस अन्दाज से सामना किया है और उसे जिस अन्दाज से ग्रहण किया है, जो आरोप, जो इल्जाम, रवायतें सर की ही हैं, वह उन्हीं के प्रशासन ने की हैं। माननीय, एक डी० एम० होता है और उसके नीचे ए० डी० एम० होता है। इसी तरह से एक एस० पी० होता है और उनके नीचे ए० एस० पी० होता है। मेरी दरखास्त है कि आप पुलिस में कोआरडिनेशन करने के लिए एक एडीशनल एस० पी० को रखिये जो आपके लां एण्ड आर्डर के मामलात को देखे और अपराधियों को सजा दे। इस दरखास्त के साथ माननीय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा पेश किये गये बजट की बराबर ताईद करता हूं और नेता विरोधी दल के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री चेतराम गंगवार--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया मैं आपका आभारी हूं। माननीय, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि 9 माह के शासन में हमने चुनौतियों का मुकाबला किया है। उन्होंने कुछ कठिनाइयां बतलायीं, चाहे वह जौनपुर की बाढ़ विभीषिका हो, डकैतों का मुकाबला हो जिनमें बहुत से ऐसे थे जैसे विक्रम मल्लाह, गौतम गड़रिया, महराज सिंह, ऐसे-ऐसे जिन पर पचासों हजार का इनाम था, उनका सफाया कराया, यही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि हमने इस प्रदेश को जो, अराजक तत्व हैं, विदेशी हैं जिन पर राजनीतिक दलों के लोगों का हाथ है, उनके कृपा पात्र हैं, इसको गुजरात और आसाम बना देना चाहते थे, बचाया। मैं इस बात का ताईद करता हूं और मैं बधाई देता हूं कि इस सरकार ने वाकई जो मुरादाबाद, बनारस, कानपुर में घटनाक्रम चल रहे थे, मुरादाबाद की तो आग बरेली में भी आ गई थी, उस पर ठीक तरह से नियंत्रण करने के लिए यह सरकार बधायी की पात्र है।

माननीय, जो पुस्तिका वितरित की गई है उसके पेज 3 को देखें पुलिस के क्रिया-कलापों को तो माननीय, इसमें लिखा है कि डकैती में 14 प्रतिशत, राहजनी में 8 प्रतिशत, हत्याओं में 2·5 प्रतिशत की कमी हुई और आगे दिया है कि 77-78-79-80 की तालिका। इसमें डकैती में 77 में 2508 के मुकाबले 80 में 1,806 और लूट में 77 में 5,234, 78 में 4,168, इससे घट कर 80 में 3,658,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस प्रकार मान्यवर, नकबजनी में 77 में 24,418, 78 में 19,316, 79 में 16,428 और 80 में घट कर 15,693 रह गई। तो मान्यवर, वाकई यह बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन मान्यवर, इससे आपको संतोष हो जाये और आप समझ लें कि लक्ष्य की पूर्ति हो गई तो यह ठीक नहीं है। मेरी जानकारी है, मेरे ही जिले में दो-एक लोगों को घर से बुला कर, जिनका डकैती से कोई सम्बन्ध नहीं था, कोई वास्ता नहीं था, जैसे मनोहर नामक एक आदमी था, उसको मार दिया, पुलिस से जहां रंजिश हुई, वहां बहुत से लोग ऐसे मारे गये जिनका डकैती से कोई वास्ता नहीं है।

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने जो सब से पहले ग्रान्ट पेश की है वह मंत्री परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के सम्बन्ध में है। मान्यवर, इस मंत्रि परिषद् में ऐसे-ऐसे मंत्री हैं, डर लगता है मान्यवर उनके कमरे में जाने पर कि कहीं कबूतर न बना दें। भाषा प्रयोग करते हैं कि कबूतर बना दूंगा। मान्यवर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई अच्छी बात नहीं है। अफसरों से अगर मिलने जाय तो कहेंगे कि मैं उल्लू नहीं पालता, कुत्ते के खूंटे से बंधवा दूंगा और यहीं मुझे वह शब्द कहने की आज्ञा दें आप कि डंडा चूतड़ों में करवा दूंगा। अब मान्यवर, पता नहीं कहीं परिसर में हैं या नहीं लेकिन अभी नेता विरोधी दल ने एक बात कही थी कि आई० ए० एस० को दो साल की ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहिये तो मैं यह कहूंगा कि दो महीने की ट्रेनिंग इस मंत्रि मन्डल को कम से कम दिलवा दें जिससे कोई अफसर या विधायक या आम जनता के लोग आवें तो उससे कोई डर तो न लगे। मान्यवर, हमारे बरेली में एक मुशायरा हुआ, मैं भी सुनने चला गया, वहां एक मंत्री के ऊपर शेर पढ़ा गया, उसकी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं :

निर्जन पथ पर चली जा रही थी एक सुन्दर बाला,
निकट पहुंचकर लगा छेड़ने एक लड़का मतवाला,
दूर लाल पगड़ी को लखकर चिल्लाई वह बाला,
खड़े-खड़े क्या देख रहे हो, पकड़ो-पकड़ो, तो सिपाही ने कहा
पगली यह मोटरसाइकिल से मेरी
टांग तोड़ सकता है,
अरे धीरे-धीरे चीख, किसी मंत्री का बेटा हो सकता है।

यह उसने कहा। मान्यवर, इसके बाद एक और कवि मंच पर आये।

श्री अध्यक्ष--

समय का भी ध्यान रखिये।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, मैं अभी समाप्त करता हूं । अभी तो केवल मुझे 5 मिनट हुये हैं । सबको आपने 15 मिनट दिया है, 13 मिनट दिया है । जो दूसरे कवि मंच पर आये, वह कहने लगे :--

मुख्य मंत्री जी ने डंडा दिया, मैं अब अफसर हांकूंगा,
कबूतर बनाऊं, चूतड़ तोड़ों, खूंटे से कुत्ते को बांधूगा,
नहीं कुछ मतलब बुर्दवारी से, न तललफुस की मुझे दरकार ।
आली जनाब को--आली जनाब, इज्जतमाआब को इज्जतमाब,
तजर्वा को तजर्बा कहते सरकार ।
मान्यवर, अब मैं कुछ सुझाव दे दूं ।

श्री अध्यक्ष--

सुझाव भी दे दीजिए ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, एक तो सुझाव यह रहा कि 2 महीने की ट्रेनिंग मंत्रियों को दिलवायें । दूसरा सुझाव यह है कि जो लाइसेंस आप दे रहे हैं उसमें आपके पुलिस विभाग में यह है कि सब लोग दरोगा जी को पूछते हैं जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में लेखपाल होता है । मान्यवर, आज दरोगा जी को रिश्वत में 500 और 1,000 रुपया दिया जा रहा है और लाइसेंस सस्पेन्ड और कैन्सिल किये जा रहे हैं तो मान्यवर, इसको आप समाप्त कराइये । मान्यवर, ग्राम समितियों का आपने गठन किया है इनको कुछ सुविधायें दें । 145 डकैतों को इन्होंने भी मारा और इनकी भी जानें गई ।

मान्यवर, इनके बारे में एक बात और कहूंगा । पुलिस विभाग के बारे में । इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं । तमाम डकैतों से मुठभेड़ करा रहे हैं और आप का स्केल क्या है डिपार्टमेन्ट का । क्या आप ने उसे बढ़ाया है । ब्लाक डेपेलेप्मेंट आफीसर का स्केल बढ़ा दिया गया है लेकिन दरोगा जो हर वक्त अपनी जान हथेली पर रखता है उसका स्केल 400-750, 300-500, कानस्टेबल का 200-320 । इस महंगाई में ये स्केल । इनको बढ़ाइये ।

आवास की बात है । आवास में आप ने 2 करोड़ 30 लाख की व्यवस्था कर दी है । एक बूंद है रेगिस्तान में । इससे काम चलने वाला नहीं है । जब तक सुख सुविधा नहीं होगी तब तक अच्छा प्रशासन नहीं चल सकता ।

मान्यवर, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि स्थानान्तरण के बारे में आप ने बहुत सी पर्चियां बांटी, सामान्य प्रशासन के विवरण में लिख दिया कि राजनीतिक प्रेशर नहीं होना चाहिए प्रशासन के अलावा दूसरा । लोग बराबर प्रेशर चला रहे हैं । आपने कहा कि अप्रैल में ट्रान्सफर नहीं होंगे । हमारे बरेली, रुहेलखण्ड कमिश्नर साहब का माननीय हर गोविन्द शर्मा का ट्रान्सफर अभी-अभी किया गया । क्या आदेश हैं आप के कि इन का पालन नहीं होता । सचिवालय

में आप देखें । हरिजनों की बात आप करते हैं । पेज 15 देखें जिसमें निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक का विवरण है । निजी सचिव ग्रेड 1 में कोई हरिजन नहीं है, संख्या शून्य, शून्य दिखाई गई है । निजी सचिव ग्रेड 2 में 92 जगहें हैं जिनमें हरिजन, अनुसूचित जाति और जन जाति कोई नहीं है, वैयक्तिक सहायक 443 हैं जिनमें केवल ग्यारह अनुसूचित जाति के हैं । 80 होने चाहिए । चिराग के तले अंधेरा है ।

एक बात कह कर खत्म करता हूं । आप से फिर वही बात कहना चाहता हूं कि परिचय-पत्र अधिकारियों से मत दिलवाइये और एक बात और कह दूं कि आप केन्द्र सरकार को रिकमेन्ड कर दें कि जिस तरह से आप के बी० टी० सी० प्रशिक्षण केन्द्र बंद कर दिये हैं इसी तरीके से ये पी० सी० एस० और आई० ए० एस० अफसरों का जो ट्रेनिंग कालेज हैं इनको 10-15 वर्ष के लिए बंद कर दें नहीं तो परिचय-पत्र ही नहीं बाटेंगे नाक में नकेल ड ल देंगे ।

श्री अध्यक्ष--

इस पर चर्चा कल जारी रहेगी ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मण्डी समिति (कार्यकाल का विस्त र) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आप की अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150 (1) के अन्तर्गत यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मण्डी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981, जो विधान सभा द्वारा 14 मार्च, 1981 को पारित किया गया था और जिसे पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की 25 मार्च, 1981 की बैठक में अस्वीकार हो गया, आज दिनांक 26 मार्च, 1981 को वापस प्राप्त हुआ है ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 26 मार्च, 1981 की बैठक में सदन के दिनांक 28 मार्च, 1981 के उपवेशन के कार्यक्रम में इस संशोधन की सिफारिश की है कि उस दिन पर्वतीय विकास विभाग से सम्बन्धित आय-व्ययक की मांगों के प्रस्तुतीकरण एवं उन पर विचार से पूर्व उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मण्डी समिति (कार्यकाल का विस्त र) विधेयक, 1981, जो इस सदन द्वारा दिनांक 14 मार्च, 1981 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ भेजा गया था और जिसे पारित किये जाने का प्रस्ताव विधान

[श्री अध्यक्ष--]

परिषद् की 25 मार्च, 1981 की बैठक में अस्वीकृत हो गया, को, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित करने का प्रस्ताव लिया जाय--आधा घण्टा ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गई है, सहमत हैं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से, जिसकी सूचना अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दे दी गई है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश पथ-कर विनियमन (उद्ग्रहण और संग्रह) नियमावली, 1980 से नियम 9 निकाले जाने का प्रस्ताव

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश पथकर विनियमन (उद्ग्रहण और संग्रह) नियमावली, 1980 सदन के पटल पर रखी गई थी । इस पर मैंने एक छोटा सा संशोधन प्रस्तुत किया है । संशोधन यह है कि जो इसका पैरा 9 है कि "पट्टे की अवधि बढ़ाना--राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना पट्टों की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती है ।" मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह जो धारा 9 है "राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना पट्टों की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती है ।" निकाल दिया जाय ।

मान्यवर, यह बात सही है कि पी0 डब्लू0 डी0 और अन्य विभागों द्वारा जिन सड़कों पर या घाटों पर पुल बनाया जाता है उन पर पथकर लगाया जाता है । इसमें मेरा विरोध है । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक सराय नदी बहती है और उस पर एक पुल बना था । बाढ़ के कारण वह पुल बह गया और वर्षों तक वह वैसा ही पड़ा रहा । उसके बाद उस पर एक पेंटून ब्रिज बना दिया गया । जो कि कुछ ही दिनों के लिये बनाया जाता है । जब नियमावली मैंने देखी तो उसमें टैक्स शेड्यूल दिया हुआ है । उसके मुकाबले में न जाने कितने टैक्सेस वसूल किये जा रहे हैं । मैंने इस बारे में आपत्ति भी की लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई । उसके बाद एक व्यक्ति को थोड़े दिनों के लिये ठेका दे दिया गया । क्षेत्र की जनता ने भी निवेदन किया कि वह व्यक्ति ठीक नहीं है, शोहरे-पुश्त है और नाजायज टैक्स वसूला जा रहा है । लेकिन जब उसकी अवधि समाप्त हुई तो उसके बाद आपकी सरकार ने और इसी लखनऊ मंडल के आयुक्त ने उसकी अवधि दो साल के लिये और बढ़ा दी । मैं कहता हूं कि अगर इस तरह से प्राविधान किया जाता रहेगा, जोर जबरदस्ती की जाती रहेगी, भ्रष्टाचार होता रहेगा तो ऐसे लोगों को प्रश्रय मिलता रहेगा और भ्रष्टाचार समाप्त नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो सकेगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि जो पट्टे की अवधि दी गई है उसको निकलवा दिया जाय । इसीलिये सामान्य रूप से मैंने यह छोटा सा संशोधन रखा है जिससे कि राज्य सरकार पट्टे की अवधि बढ़ा देती है । यह भी हो सकता है कि यदि कोई दूसरा ठेकेदार उस पर आ जाता है तो वह ठीक काम करें और उससे जनता को लाभ भी हो सकता है, भृष्टाचार दूर भी हो सकता है । इसलिये यह मेरा छोटा सा संशोधन है । मैं समझता हूं कि सम्मानित सदस्य मेरी बात से सहमत होंग और इस एक लाइन को निकाल देंगे जो कि भृष्टाचार की जननी है । इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को पेश करता हूं ।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, नियमावली में जो अमेन्डमेंट रखा गया है माननीय राजेन्द्र गुप्ता जी द्वारा वह उचित है । श्रीमन्, देखने में आता है कि जो सड़कों पर पट्टे दिये जाते हैं टेम्परेरी तौर पर, उसको लोग मोनोपली बनाने का प्रयास करते हैं । इसके अतिरिक्त जहां ये पट्टे पर दिये जाते हैं वहां सिर्फ नाम ही चज कर दिया जाता है और वही एफ व्यक्ति ठेके पर उसको ले लेता है । एक दफे जिसको दिया जाता है फिर वह उस पर अपनी मोनोपली कर लेता है और तजुर्बा उससे हासिल कर लेता है । इसलिये इस लाइन को हटा देने से काफी हद तक भृष्टाचार जो इस तरह से होता है वह दूर हो जायेगा । यह एक मामूली सा संशोधन है और आपके डिपार्टमेंट के लोगों को इस पर ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा । इससे असामाजिक तत्व भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे । इसलिये आप इसको मान लें, यह मेरी आपसे गुजारिश है । हो सकता है एक दफा एक ठेका ले ले दूसरी दफा दूसरा ले ले और तीसरी दफा तीसरा ले ले । इसलिए यह एक अच्छा अमेंडमेंट है मंत्री जी इसे मान लीजिए ।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

श्रीमन्, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो संशोधन रखा है उसके संबध में माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि इस प्रदेश के हित को दृष्टि में रखते हुए जिससे राजस्व का भी लाभ होगा स्वीकार कर लें । क्योंकि आज यह देखा जा रहा है कि हर क्षेत्र में विशेषकर जो व्यवस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग में चल रही है उसमें ठेकेदारों ने अपना पूरा एकाधिकार बना लिया है और जो असामाजिक तत्व हैं उनको भी ठेकेदारों के माध्यम से आमदनी होती है, उनको वह संरक्षण देते हैं और इसके आवागमन में भी जो राजस्व है उसका नुकसान हो रहा है । अभी तक का जो अनुभव है उसमें इससे भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है । ठेकेदारों का एकाधिकार होने से बहुत कम बोली बोलते हैं। मेरे सामने इसके उदाहरण हैं । हमारे झांसी जनपद में जो बोली बोली गयी उसमें किसी दूसरे को बोलने नहीं दिया और कम बोली पर ठेका ले लिया मुश्किल से 30 हजार और 15 हजार में ठेके छूट गये जो कि एक-एक और दो-दो लाख तक जा सकती थी। तो इससे रेवेन्यू का नुकसान हुआ । मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार कर लें ताकि प्रदेश की आय भी बढ़े और भ्रष्टाचार भी कम होगा । कुछ ठेकेदार अपने एकाधिकार से भ्रष्टाचार के आधार पर बोली बोल रहे हैं तो वह भी इससे समाप्त हो जायेगा । मैं पुनः यही अनुरोध करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

श्रीमन्, अभी माननीय सदस्यों ने यह उत्तर प्रदेश पथ-कर विनियमन (उद्ग्रहण और संग्रह) नियमावली, 1980 के नियम 9 के बारे में अपनी बातें कही हैं। मैं बताना चाहता हूं कि यह नियमावली जो बनाई गयी है और उसमें जो नियम 9 रखा गया है वह भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ही रखा गया है। यदि यह नहीं रखा गया तो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार आप देखेंगे हो जायेगा। इसको इसीलिए किया गया है। जो ठेकों की अवधि समाप्त होने वाली होती है उसके पहले ही ठेके नीलाम किये जाते हैं। किन्हीं कारणों से हो सकता है कभी-कभी आक्सन स्थगित हो जाता है। चाहे मुकदमा होने के कारण हो या स्वीकृति के कारण हो इसलिए तब तक वह व्यवस्था की गयी है। इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है केवल भ्रष्टाचार रोकने के लिए यह किया गया है। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं केवल दो बातें कह कर खत्म करता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो बात कही वह मैं समझता हूं कि शायद हम लोग उनको अपनी बात नहीं समझा पाये या वह स्वयं बात को नहीं समझ पाये। जहां न्यायालय में बात पहुंच जाती है वह तो दूसरी परिस्थितियां हैं तब तो बोली बोलने का मौका नहीं आयेगा उस परिस्थिति में हम भी नासमझ नहीं है कि न्यायालय की अवमानना की बात करेंगे। लेकिन सामान्य परिस्थिति में विभागीय आदमी मिल गए और उन्होंने रिपोर्ट लगा दी कि इससे ज्यादा आमदनी नहीं बढ़ सकती है। उसका परिणाम यह हुआ कि ठेके की अवधि बढ़ा दी। इसमें 5 साल की अवधि मानी गयी है तो यह अवधि पूरी होने से पहले सरकार उनके लिए कार्यवाही करे और जो ज्यादा बोली बोलने वाला ठेकेदार है उसे ठेका दीजिए। न्यायालय वाली बात तो अपरिहार्य परिस्थिति है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको स्वीकार करें, मैंने कितना दुखी होकर यह बात रखी है क्योंकि मैंने सीतापुर जिले की बात आपके सामने रखी थी, एक गलत आदमी बड़ा अत्याचार करता था, लेकिन भ्रष्टाचार के बल पर उसकी दो वर्ष के लिए कालावधि बढ़ा दी गई, उसने फिर लूटना शुरू कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि ठेकेदार का आदमी बरसात की अंधेरी रात में, बढ़ी हुई नदी में, शराब पीकर नाव चला रहा था, जिसके फलस्वरूप यह भीषण दुर्घटना हुई और उसमें एक ही परिवार की तीन-तीन स्त्रियां विधवा हो गईं। उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए मैंने एक सामान्य-छोटा सा संशोधन रखा है।

श्री जगदीश प्रसाद--

जो आपने बताया वह न्यायालय के कारण ही नहीं और कारणों से भी ऐसा करना पड़ता है। कभी-कभी नीलामी की बोली कम आने पर भी उसको वापस कर दिया जाता है और दुबारा नीलामी होती है। इस सबको देखते हुए यह प्राविधान किया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से नियम 9 के निकाले जाने का प्रस्ताव

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पथ-कर विनियमन (उद्ग्रहण और संग्रह) नियमावली, 1980 जो 20 फरवरी, 1981 को सदन के पटल पर रखी गई थी, उसमें से नियम 9 निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 की कुल पांच सूचनाएं आई थीं, जिसमें से श्री प्रदीपकुमार यादव की दिनांक 22 मार्च, 1981 को जनपद बुलन्दशहर के थाना बिवाई के अन्तर्गत कुछ हरिजनों पर एक सरपंच द्वारा गोली चलाने के फलस्वरूप दो हरिजनों की मृत्यु तथा 20 हरिजनों के बुरी तरह से जख्मी होने सम्बन्धी सूचना स्वीकृत हुई है । शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं ।

मैनपुरी के थाना नगला खंगर के ग्राम उरावर में सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा एक ही परिवार के 8 व्यक्तियों की हत्या करने व आग लगाने के फलस्वरूप उसके पशुओं के जल जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

दिनांक 20-3-81 की रात्रि श्री प्राग सिंह, निवासी ग्राम उरावर, जिला मैनपुरी ने थाना नगला खंगर पर इस आशय की सूचना दी कि बचान सिंह, ऊदल सिंह आदि सहित 27 नामजद व्यक्तियों द्वारा जिनमें कुछ व्यक्तियों के पास आग्नेयास्त्र थ तथा बाकी के पास लाठी, भाला, कांता थे, ने दिनांक 20-3-81 की रात्रि को करीब साढ़े दस बजे उनके घर को घेर लिया तथा घर की तरफ फायर करना शुरू कर दिया । घर से किसी के बाहर न निकलने पर उनमें से तीन अभियुक्तों ने घर में घुस कर कई फायर करने के बाद बाहर निकल आये । उसके बाद एक अभियुक्त ने उनके घर में आग लगा दी । आग की लपट की वजह से उनकी भतीजी के घर से भाग कर बाहर आने पर उसको गोली मार दी गई । इस सूचना पर अपराध संख्या 36 धारा 147/148/149/307/302/436 भा० द० वि० के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया ।

इस सूचना के प्राप्त होते ही थानाध्यक्ष नगला खंगर तत्काल मय फोर्स के घटनास्थल पर पहुंचे और जलते हुए मकान से तीन व्यक्तियों को निकाल कर उपचार हेतु भेजा जिससे उनकी जान बचाई जा सकी । मैनपुरी से फायर ब्रिगेड बुलवाकर घर की आग बुझवाई गई । सर्वश्री पृथ्वी सिंह तथा प्राग सिंह के परिवारों के आठ व्यक्तियों की मृत्यु गोली लगने से अथवा आग में जलने एवं दम घुटने से होना पाया गया । इसके अतिरिक्त उनके घर का सामान जलकर राख हो गया । तीन बकरियां, दो गायें, दो बैल एवं एक बछड़ा भी आग में जलने के कारण मर गये ।

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---]

सूचना प्राप्त होने पर क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद व पुलिस अधीक्षक मैनपुरी भी घटनास्थल पर पहुंच गये। अब तक की विवेचना से 27 नामजद व्यक्तियों में से एक अभियुक्त को बन्दी बनाकर जेल भेजा जा चुका है तथा शेष अभियुक्तों जो अपने घरों से भागे हुए हैं, की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और दबिश दी जा रही है।

यह घटना सम्पत्ति सम्बन्धी आपसी पुरानी रंजिश व अपराधियों के एक रिश्तेदार की हत्या के बदले की भावना से की गई प्रतीत होती है। इस घटना के कारण क्षेत्र में कोई आतंक नहीं है फिर भी गांव में सुरक्षा हेतु नागरिक पुलिस के अतिरिक्त डेढ़ सेक्शन पी० ए० सी० तैनात कर दी गई है। पुलिस ने इस घटना से पहले ही दोनों पक्षों के चालान धारा 107/116 दं० प्र० सं० में किये थे जो न्यायालय में विचाराधीन है। मृतकों के परिवार जनों पृथ्वी सिंह व प्राग सिंह को जिला मजिस्ट्रेट मैनपुरी द्वारा 500-500 रु० आर्थिक सहायता तत्काल प्रदान कर दी गई है।

श्री प्रदीप कुमार यादव---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित घटना की रिपोर्ट थाने में कब हुई और रिपोर्ट के होने के कितने समय बाद थानाध्यक्ष मौके पर गये ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

यह रिपोर्ट साढ़े दस बजे हुई और उसके आधे घंटे के अन्दर ही वे लोग पहुंच गये थे।

श्री रियासत हुसैन---

क्या यह सही है कि सर्वश्री पृथ्वी सिंह तथा प्राग सिंह एक-दो दिन पहले ही आगरा की जेल से प्रोवेशन पर छूट कर आये थे और जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है कि यह घटना पुरानी रंजिश के ही कारण हुयी थी तो क्या इसको ध्यान में रखते हुये जब वे जेल से छूट कर आये थे तो पुलिस ने वहां की ला एंड आर्डर को कायम रखने के लिए क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

यह बात सही नहीं है कि वे लोग प्रोवेशन पर छूट कर आये थे। वे लोग तो जमानत पर आये थे और जिस दिन वे छूट कर अर्थात् 20 तारीख की दोपहर में ही यह आशा नहीं की जा सकती थी। दूसरे जिसका घर बगल में था वह मजबूत पक्ष था। इसलिए यह नहीं आशा थी कि वे तुरन्त हमला कर देंगे।

श्री रियासत हुसैन---

जमानतें जेल से भी होती हैं और जब तमाम उमर की कैद होती है तो वहां पर पेरोल या प्रोवेशन पर उसे कुछ भी कहिये, छूट जाते हैं। तो वे कौन सी जमानत पर वहां से छूटे, क्या उस मुकदमे में जमानत पर छूटे, जो चल रहा था या जेल में कुछ सजा काटने के बाद छूटे थे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

कुछ दिन पूर्व जो मुकदमा चल रहा था जिसमें परिवार वालों ने हमला किया था और उसके रिश्तेदार को मारा था। उसके बारे में पहले ही कहा था कि वह मुकदमा विचाराधीन है, उस पर निर्णय नहीं हुआ है।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी ने बताया है कि बहुत पुरानी कोई घटना नहीं थी जिसको 5-10 साल बीत गया हो उसी वक्त यह मुकदमा न्यायालय में चल रहा था, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या पुलिस ने दफा 107/116 की कोई कार्यवाही की थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

पहले से चल रही थी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

बताया गया कि एफ0 आई0 आर0 10 1/2 बजे लिखायी गयी थी, लेकिन वक्तव्य देखने से पता चलता है कि कुछ व्यक्तियों ने उनके घर को दिनांक 20-3-81 को रात्रि को करीब साढ़े दस बजे घेर लिया था और घर की तरफ गोली चलनी शुरू हुई और फिर यह घटना घटी। तो उस स्थान से थाना कितनी दूर है और वहां पर इस घटना की रिपोर्ट किस समय लिखी गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

वह केवल 3-4 किलोमीटर पर है लेकिन घंटे घड़ी से तो समय नहीं बताया। 10-15 मिनट का फर्क हो सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

एफ0 आई0 आर0 में और जी0 डी0 में कुछ टाइम अवश्य लिखा होगा। उसे अवश्य पढ़ कर सुना दें ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

साढ़े दस बजे का समय स्पष्ट लिखा हुआ है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

उसमें यह भी लिखा जाता है कि अमुक घटना किस समय की है। जब वहां से दरोगा चला होगा यह भी टाइम लिखा होगा। कृपया इसे बताने की कृपा करें ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, साढ़े 10 बजे घटना घटी थाने में लिखाई गयी और 10 बजे घटना घटी है तो आध घंटे में दो तीन किलोमीटर आदमी पहुंच सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

पहले मंत्री जी ने कहा चार किलोमीटर है और अब कहा दो ढाई किलोमीटर है...

श्री अध्यक्ष--

बहुत खतरा नहीं हो रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

खतरा हो रहा है । इससे मामला छूट जायगा । पुलिस वहां की मिली हुई है । 27 लोग नामजद हैं लेकिन अभी तक एक ही आदमी पकड़ा गया है । तो क्या 87-88 की कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है कि गिरफ्तारी हो जायगी । नहीं हुई तो 87-88 की कार्यवाही की जायगी ।

श्री रियासत हुसैन--

10 बजे घटना की अकरेंस होती है । 4 किलोमीटर का फासला थाने से होता है और साढ़े 10 बजे ही रिपोर्ट को तो क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे घटना किस समय हुई, रिपोर्ट किस समय लिखाई गयी और रिपोर्ट लिखाने में अगर देर हुई तो उसका क्या कारण है यह सब कालम रजिस्टर में होते हैं । यहां अकरेंस का टाइम और रिपोर्ट का टाइम लगभग एक ही है इससे स्पष्ट होता है कि लोकल पुलिस मिली हुई है, तो क्या इस बात की जांच कर ली जायगी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इसमें लोकल पुलिस के मिले होने की कोई बात नहीं आती क्योंकि आधे घंटे का फर्क है । इसमें उनको शंका है लेकिन मेरा कहना है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री चेतराम गंगवार--

बेहमई कांड में 15 आदमी मारे गये थे और इसमें भी 8 आदमी मरे जिसमें 3 बच्चे हैं जिससे इसकी गम्भीरता बढ़ जाती है । उस कांड में आपने एक बड़े अफसर को हटा दिया तो क्या इसमें भी किसी बड़े अफसर को हटाने पर सरकार विचार कर रही है और पुलिस मिली हुई है तो क्या किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

यदि किसी के खिलाफ कोई गलती पाई जायगी तो अवश्य कार्यवाही की जायगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

घटना घटने के समय तथा एफ0 आई0 आर0 का समय लिखने में जो विसंगति पाई जा रही है उससे इस बात का सन्देह होता है कि वहां की पुलिस

मैनपुरी के थाना नगला खंगर के ग्राम उरावर में सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा एक ही परिवार के 8 व्यक्तियों की हत्या करनें व आग लगाने के फलस्वरूप उसके पशुओं के जल जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

ने जानबूझ कर इस तरफ की एफ0 आई0 आर0 लिखी हैं जिससे अपराधी छूट जायं, तो क्या सरकार इस मामले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से करायेगी ताकि दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जा सके ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

अगर कोई अधिकारी गलती पर पाया जायगा तो जरूर उसे सजा दी जायगी ।

श्री रियासत हुसैन—

जो इंवेस्टिगेटिंग आफिसर वहां का थानेदार हैं क्या उसे हटाकर किसी दूसरे अफसर से जांच करायेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

स पर भी विचार कर लिया जायगा ।

श्री रघुबीर सिंह यादव—

जब दो परिवार नष्ट हो गये तो उनको केवल 500–500 रु0 ही दिये गये मुआवजे के तौर पर, क्या यह कम नहीं हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

जिलाधीश ने स्वविवेक से इसे किया हैं । इस पर भी विचार कर लिया जायगा ।

श्री बदन सिंह—

मंत्री जी ने अपने बयान में बताया कि 8 व्यक्तियों की मृत्यु गोली लगने, आग से जलने तथा दम घुटने के कारण हुई । मैं यह पूछना चाहता हूं कि इनमें कितने लोग गोली से मरे, कितने लोगों की मौत आग में जलने से हुई और कितनों की दम घुटने से हुई । दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो सामान घर का सारा जल कर राख हो गया, तो वह सामान कितने रुपये का था ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट तो सभी की हैं, पर इसमें गोली से 3 की मृत्यु बतायी है, शेष के बारे में स्पष्ट नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
26 मार्च, 1981

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1037 पर)

नगरपालिका, जौनपुर के वाजिदपुर एवं कन्हईपुर मोहल्लों में उपलब्ध नागरिक सुविधाओं का विवरण

सफाई--

कन्हईपुर मुहल्ला आंशिक रूप से नगरपालिका की सीमा में है तथा वाजिदपुर सम्पूर्ण मुहल्ला, जिनकी कि सफाई व्यवस्था के लिए नगरपालिका द्वारा एक सफाई कर्मचारी तैनात है, जो केवल इन्हीं मोहल्लों की सफाई कार्य करता है । आवश्यकतानुसार विशेष अभियान के रूप में भी इन मोहल्लों में सफाई की व्यवस्था की जाती है ।

सड़क--

वाजिदपुर मुहल्ले में टी0 डी0 कालेज के दक्षिण नगरपालिका सीमा तक सड़क, नाली व फर्श बनवाया गया है । कन्हईपुर मोहल्ले का जितना भाग नगरपालिका की सीमा में ह उसमें सड़क बनी हुई है ।

रोशनी--

वाजिदपुर मोहल्ले के मुख्य मार्ग पर रोशनी की पर्याप्त सुविधा है । कन्हईपुर मोहल्ले में अभी स्ट्रीट लाईट की सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

पानी--

वाजिदपुर एवं कन्हईपुर में स्थित पुराने कुओं की नियमित सफाई आदि कर के उनमें ब्लीचिंग पाउडर आदि डाला जाता है । वर्तमान में इन्हीं कुओं से नागरिकों को पेय जल की सुविधा उपलब्ध है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1061 पर)

नगरपालिका, मुरादाबाद के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिए गए ऋण का विवरण

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	प्रयोजन	ऋण की धनराशि
			रु0
1	श्री हामिद अली, लेखा लिपिक	भूमि क्रय हेतु	2,640.00
2	श्री हबीब शाह खां, मुख्य लिपिक	भवन निर्माण	12,720.00
3	श्री उस्मान अली, लेखाकार	भवन निर्माण	15,000.00
4	श्री ऋषि कुमार गुप्ता, अधिशासी अधिकारी	भवन निर्माण	17,850.00
5	श्री विनोद कुमार, लेखा लिपिक	भूमि क्रय हेतु	5,000.00
6	श्री आर0 पी0 शर्मा, प्रकाश निरीक्षक	भवन निर्माण	9,500.00
7	श्री नवाब अली, टैक्स कलेक्टर	भवन निर्माण	8,700.00
8	श्री राशिद अली, टैक्स कलेक्टर	भूमि क्रय एवं भवन निर्माण	9,000.00
9	श्री राम चन्द्र अग्रवाल, लेखा लिपिक	भवन निर्माण	4,000.00
10	श्री मदन लाल गुप्ता, नायब मोहर्रिर	भवन निर्माण	8,500.00
11	श्री नूर उद्दीन, लिपिक	भवन निर्माण	5,000.00
12	श्री वेद प्रकाश गर्ग, अधिशासी अधिकारी	भूमि क्रय एवं भवन निर्माण	25,000.00
13	श्री मोहम्मद शब्बीर, चपरासी	भवन निर्माण	3,000.00
14	श्री जलील हुसैन	भवन निर्माण	12,000.00

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 49 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1072 पर)

(1) दिनांक 3/4-7-77 को गोदाम संख्या 17 की छत की एक शीट उखाड़कर 11 बोरे यूरिया उर्वरक की चोरी हो गई थी, जिसकी दिनांक 4-7-77 को कोतवाली, बुलन्दशहर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । परन्तु माल, मुल्जिम का कोई पता नहीं चला था, अतः पुलिस ने न्यायालय में अपनी अन्तिम जांच रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी । उपरोक्त चोरी का क्लेम बीमा कम्पनी में दर्ज कराया गया था, जोकि प्राप्त हो गया है ।

(2) दिनांक 28/29-9-77 को गोदाम संख्या 29 से 6 बोरी यूरिया उर्वरक की चोरी हो गई थी, जिसकी एफ0 आई0 आर0 कोतवाली, बुलन्दशहर में दर्ज करा दी गई थी । पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया था तथा चोरी गई समस्त यूरिया उर्वरक को बरामद कर लिया था जोकि बाद में इस निगम को प्राप्त हो गई थी ।

(3) दिनांक 1/2-11-77 की रात्रि में गोदाम संख्या 17 से ही 84 बोरी यूरिया तथा 11 बोरी एन0 पी0 के0 उर्वरक की चोरी हो गई थी । चोर गोदाम के पीछे खड़े एक पेड़ से रस्सा बांधकर गोदाम की छत पर चढ़े थे तथा गोदाम की छत की सीमेन्ट शीट को उखाड़कर गोदाम में प्रविष्ट हुए थे, पेड़ से बंधे मिले रस्से तथा वहां बिखरी हुई खाद से यह अनुमान लगाया गया था कि चोरों ने रस्से से उर्वरक की बोरियां बांधकर छत से नीचे उतारी थी । मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 2-11-77 को कोतवाली में दर्ज कराई गई थी, जिसमें माल व मुल्जिम का पता न चल पाने के कारण पुलिस ने अपनी अन्तिम जांच रिपोर्ट न्यायालय में दिनांक 15-12-77 को प्रेषित कर दी थी । उक्त क्षति का क्लेम बीमा कम्पनी में दर्ज कराया गया था, जिसका भुगतान बीमा कम्पनी से प्राप्त हो गया था ।

(4) दिनांक 13/14-12-80 को गोदाम संख्या 7 से 241 बोरी यूरिया उर्वरक की चोरी हो गई थी, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट कोतवाली, बुलन्दशहर में घटना के कुछ ही क्षणों के पश्चात् दर्ज कराई गई थी । कोतवाली पुलिस ने मामले में जांच बड़ी ही तत्परता के साथ की, तथा जो संदिग्धावस्था में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 20 बोरी यूरिया उर्वरक बरामद की, जो इस निगम की सुपुर्दगी में सौंप दी गई हैं । उपरोक्त चोरी का क्लेम (221 बोरी यूरिया) बीमा कम्पनी में दर्ज करा दिया गया है तथा घटना की सूचना जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को भी दे दी गई है । मामले की जांच अभी जारी है ।

नत्थी 'घ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 1085 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के लिए निर्धारित श्री जंग बहादुर सिंह द्वारा पूछे गए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद का सीमेन्ट एलाटमेन्ट 7000 क्विन्टल से 3000 क्विन्टल कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या जनपद की आवश्यकताओं को देखते हुए इसे बढ़ाने और जनता को दिये जाने वाली सीमेन्ट का अलग से व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो शासन को इसमें क्या कठिनाइयां हैं ?	जी नहीं। जौनपुर जनपद को त्रैमासिक 32,000 कुन्तल (3,200 मी0टन) सीमेन्ट का आवंटन होता है । भारत सरकार से प्रदेश की वास्तविक मांग से कम सीमेन्ट प्राप्त होने के कारण जिलों की आवश्यकता के अनुरूप सीमेन्ट देना सम्भव नहीं है । जनता को जन वितरण श्रेणी के अन्तर्गत सीमेन्ट देने की अलग व्यवस्था है । राम सिंह खन्ना, खाद्य मंत्री ।

पी0 एस0 यू0 पी0—47 वि0 सभा—24—8—82—835(पी0 डी0)